(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1) सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 36वां दिवस (संख्या 19

शुक्रवार

दिनांक 8 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11–2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क

420. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से वसूल किये जाने वाले शुल्क पर शिक्षा विभाग का किसी प्रकार का नियंत्रण है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(2) क्या यह सही है कि अनेक निजी शिक्षण संस्थाएं विभिन्न कार्यों तथा भवन निर्माण आदि के लिए शुल्क के अतिरिक्त अनुदान या सहायता राशि वसूल कर रही हैं? यदि हां, तो क्या यह खुली लूट के समतुल्य नहीं है?

(3) क्या सरकार इन संस्थाओं में प्रवेश फीस, टी.सी. तथा वेतन भुगतान आदि बातों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो किन कारणों से?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) अनुदानित संस्थाओं द्वारा छात्रों से वसूल किए जाने वाले शुल्क के लिये राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के नियम 5 (डी) के तहत विस्तृत निदेश सभी संस्थाओं को दिये गये हैं। नियमों में अधिक शुल्क वसूल करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं अपितु यह प्रावधान है कि संस्थायें राजकीय शालाओं से कम दर पर फीस वसूल नहीं करें।

(2) यदि संस्थायें लोगों की स्वेच्छा से सहायता प्राप्त करती हैं तो उसमें तो कठिनाई नहीं है पर यदि अनियमित वसूली की सूचना मिलती है, तो संस्था के विरुद्ध अनुदान नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(3) जी हां, राजस्थान अनुदान नियम, 1963 में संशोधन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, आपको पिछले

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)
वर्षों में काफी शिकायतें प्राप्त हुई होंगी। जो छात्र फीस देते हैं उनको रसीद नहीं दी जाती है, पेरेन्ट्स के नाम से डोनेशन की रसीद काट दी जाती हैं, इस प्रकार की शिकायतें होंगी। दूसरी ऐसी भी प्राप्त हुई होंगी कि जो अनुदानित संस्थायें है, उनको आपके यहां से एड मिलती है लेकिन टीचर्स को जितना पेमेंट मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है, कम दिया जाता है और दस्तखत पूरे के लिये जाते हैं। क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनायेगी जिससे बच्चों के पेरेन्ट्स को भी नुकसान न हो और अनुदान प्राप्त संस्थायें टीचर्स को पूरा भुगतान कर सकें ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मेरे कार्यभार संभालने के बाद कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रसीदें जो उनको दी गई हैं वह डवलपमेंट के नाम की दी गई हैं। मैंने उन संस्थाओं से पूछा है कि डवलप करने की उनकी क्या स्कीम है ? यदि कोई है तो उसके लिये यदि सरकारी सहायता कोई मिलती है तो वह बतायी जाये। यह जानकारी प्राप्त की है।

इसके बाद शिक्षण शुल्क में समानता का जहां तक प्रश्न है, मैंने स्वयं ने कहा है, यह मामला विचाराधीन है। प्रश्न इसमें एक आता है कि जो फीस के नाम से पैसा लिया जाता है वह एड से डिडक्ट हो जाता है। फीस कम करने की बात है, तो ऐड का प्रतिशत बढ़ाना होगा क्योंकि एड में से वह कम हो जाती है। जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है विकास के नाम पर उस पर जरूर विचार करेंगे। एक छात्र पर कितना वजन डालते हैं, गरीब वर्ग के लड़के उस संस्था में पढ़ सकते हैं या नहीं इस पर कुछ विचार करने जा रहे हैं। यदि हम फीस समान करते हैं तो एड का पैसा बढ़ाना होगा। गरीब लोगों का उस संस्था में प्रवेश नहीं हो सकता। इस पर विचार हो रहा है। दो बार विचार कर चुके हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा समय इसमें लगेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आज परीक्षाओं के लिये, कोई पी. एम. टी. की परीक्षा के नाम पर और कोई दूसरे स्कूल चल रहे हैं। मिडिल स्कूल पास हैं और एम. ए. तक की क्लासेज लेते हैं। क्या इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा ? इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जहां तक कोचिंग इन्सटीटयूट का प्रश्न है, सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उन्हें रोक सकें। किसी माननीय सदस्य का कोई सुझाव हो तो विचार किया जा सकता है। मेरा उत्तर सहायता प्राप्त संस्थाओं तक सीमित था। अभी कोई ऐसी नीति नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रांट इन एड रूल में ऐसा प्रावधान है कि बगैर संबंधित शिक्षा अधिकारी की अनुमति के कोई संस्था विकास के नाम से फीस नहीं ले सकती ? अगर विकास के नाम से पैसा लिया जा सकता है तो उसके लिए स्वीकृति विभाग ने दी है ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, यह गलत है। इससे गरीब छात्रों पर बोझा पड़ता

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
है। दूसरी ओर प्रश्न आता है यदि उनको भवन बनाना है तो भवन की दृष्टि से हम सहायता नहीं दे पाते हैं। तो दोनों पक्षों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। दो बार विचार कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गोबिन्दसिंह : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जो फीसें ली जा रही हैं, बिना अनुमति के ले रहे हैं या उनको विभाग ने अनुमति दे रखी है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने आपसे निवेदन किया, विकास शुल्क के लिए अनुमति देने या नहीं देने का प्रश्न नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षण संस्थाओं में छात्रों से वसूल की गई राशि भारी मात्रा में पड़ी हुई है तथा उसे खर्च करने की क्या प्रक्रिया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक): क्या शिक्षा मंत्री को ऐसी जानकारी है कि जो एडेड स्कूल हैं उनको आप 90 प्रतिशत तक एड देते हैं किन्तु कुछ संस्थायें ऐसी भी हैं जिनके कर्मचारियों की राज्य कर्मचारियों से तनख्वाह कम होती है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। सम्भव प्रश्न ही पूछें।

श्री भैंरूलाल (उदयपुर ग्रामीण): आयकर देने वालों के बच्चों को क्या डबल फीस देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो आयकर नहीं देते हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क एक सीमा तक समान है। आय कर देने वालों के बच्चों को शिक्षण शुल्क देना पड़ता है। डबल फीस का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री सी.पी. जोशी।

राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

421. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सरकार को निदेश दिया है कि राजस्थान राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये ?

(2) यदि हां, तो सरकार कब और कहां कृषि विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने राज्य सरकार को कोई ऐसे निर्देश नहीं दिये हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि राजस्थान के लिये अलग कृषि विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता है या नहीं ? दूसरे रन्धावा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज तक सरकार ने क्या मानस बनाया ? दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1977 में भारतीय कृषि अनुसंधान

(श्रीमती कमला)

परिषद ने रन्धावा कमेटी इसलिए नियुक्त की थी कि भारत में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनके कार्य-कलापों का गंभीरता से अध्ययन करके रिपोर्ट दें। उसका कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में प्रतिवेदन है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है उन्होंने खास तौर से उल्लेख किया है कि राजस्थान में और हिमाचल में जो कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनमें कृषि संकाय को अलग किया जाय। उन्होंने तीन बातों का उल्लेख किया है यूनिवर्सिटी से College of Law and School of Basic Science and Humanities including commerce. को अलग बनाया जाय। दूसरा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उदयपुर को अलग से कायम किया जाय। तीसरा यह है कि इस यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता के आधार पर गवर्नमेंट का जो कृषि फार्म है, उसके साथ कायम किया जाये, इसके लिये राज्य सरकार अपना प्रतिवेदन दे। राजस्थान सरकार ने एक मिस्टर सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उसको सम्पूर्ण रूप से अध्ययन करके, विचार करके रिपोर्ट देने के लिये कहा था, उसने रिपोर्ट दी है किन्तु उस रिपोर्ट में कुछ कमियां रह गई हैं। इसके बाद जनवरी, 1979 में मिस्टर माथुर की अध्यक्षता में कमेटी कायम की गई जिसमें इन टर्म्स एण्ड रेफरेंस के अलावा यह भी है कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को अलग करने के लिये क्या सुझाव हैं। उसकी रिपोर्ट आने पर अन्तिम निर्णय किया जायगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया यह स्टेटमेंट दें कि राजस्थान में सिद्धान्त रूप से अलग यूनिवर्सिटी बननी चाहिये या नहीं बननी चाहिये, बननी चाहिये तो कब बननी चाहिये, कहां बननी चाहिये, यह एक अलग प्रश्न है किन्तु क्या सरकार का यह मानस है कि राजस्थान में अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बने ?

श्रीमती कमला : अलग बनाने के लिये कोई राज्य सरकार मना नहीं करती है। पहले इसका नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ही रखा गया था लेकिन बाद में परिवर्तित किया गया और जो फैकल्टीज हैं वह भी चालू की थीं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद बराबर तकाजा कर रही है कि मल्टी पर्पज के बजाय सेपरेट यूनिवर्सिटी बनाई जाय। अब उसके आधार पर जांच हो रही है। हम भी चाहते हैं भारत सरकार भी चाहती है कि अलग विश्वविद्यालय कायम किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है उसका फायदा नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : मैंने निवेदन किया अलग कृषि विश्वविद्यालय बनाने के बारे में भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी प्रयत्नशील है। कमेटी से रिपोर्ट मांगी जा रही है। उसके आने पर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।

प्रश्न संख्या 422

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री तेज पाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकुमार ।

फागी व चाकसू तहसील में सड़क निर्माण कार्य

423. **श्री राम कंवार बेरवा (फागी):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फागी विधान सभा क्षेत्र में फागी और चाकसू तहसील में कौन कौनसी सड़कों पर काम चल रहा है और कब तक पूरा हो जायगा ?

(2) इस वर्ष दोनों तहसीलों में कौन-कौन सी सड़कों का काम कब शुरू होने वाला है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री राम पाल उपाध्याय) : (1) फागी विधान सभा क्षेत्र में फागी व चाकसू तहसील में चल रहे कार्यों का विवरण इस प्रकार है :

तहसील	सड़कों का विवरण	काम समाप्त होने की तिथि
1	2	3
फागी	चाकसू फागी सड़क के अपग्रेडिंग का कार्य	मार्च, 81
	तूंगा से कोटखावदा सड़क का कार्य	जून, 81
	चाकसू फागी सड़क पर विशिष्ट रख रखाव का कार्य	मार्च, 81
	चाकसू-फागी सड़क के कि. मी. 1 एवं रेलवे स्टेशन सड़क का विशिष्ट रख रखाव का कार्य	मार्च, 81
	चन्दलाई से तीतरिया तक सड़क का नया कार्य	जून, 81
	चाकसू सम्पर्क सड़क खदाना गांव	जून, 81
	सम्पर्क सड़क पहाड़िया गांव	जून, 81
	सुधार कार्य चाकसू फागी सड़क कि. मी. 38 एवं 39	जून, 81
	सुधार कार्य चाकसू फागी कि. मी. 14/40 सी.डी. वर्क्स	जून, 81
	सुधार कार्य दूदू फागी सड़क कि. मी. 22, 23, 24	जून, 81
	सुधार कार्य दूदू फागी सड़क कि.मी. 15 से 18	जून, 81
	सुधार कार्य दूदू फागी सड़क कि.मी. 4, 12, 13 और 14	जून, 81

ये कार्य जून, 81 तक पूरे होने की सम्भावना है ।

(2) इस वर्ष दोनों तहसीलों में 1500 से अधिक आबादी के गांव नई सड़कों के मापदण्ड के लिये न होने के कारण नये कार्य शुरू होने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री तेजपाल (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि फागी और चाकसू जयपुर से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। फागी व चाकसू तहसील मुख्यालय है वहां तक सड़कें जाती हैं। एक सड़क जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया चाकसू वाया फागी होते हुए दूदू जाती है लेकिन फागी तहसील में सड़कों का अभाव है। वहां पर गांवों में लोगों को 10-10 मील पैदल चल कर बस पकड़नी पड़ती है। वहां से लोग तारीखों में जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि माधोराजपुरा से चान्दना और खेडा हनुमान जी को हजारों आदमी जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। संक्षेप में।

श्री तेजपाल : वहां सड़क की ठीक व्यवस्था करवायें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जिन सड़कों पर कार्य किया है वह कुछ और खर्चे के बिना बेकार हैं। काम के बदले अनाज योजना में काम शुरू किया गया, तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जिन सड़कों के प्रस्ताव पारित है या अधूरे काम हैं उनको पूरा करवा येंगे ?

एक मेरा निवेदन यह है कि जहां सड़कें नहीं हैं वहां प्राइवेट बसों को भी नहीं चलने दे रहे हैं। वहां के नागरिकों ने क्या गुनाह किया है। जब बरसात नहीं होती है तो आसानी से गांवों में बसें जा सकती हैं। प्राइवेट बसों को न चलने देना उन लोगों के साथ घोर अन्याय है। मेरा निवेदन है कि ऐसी जगहों पर कम से कम प्राइवेट बसों को चलने दिया जाय। साथ ही जो अधूरी सड़कें हैं वह तत्काल पूरी करवाई जायं।

1500 से कम आबादी वाले....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री तेजपाल : गांव आपके नियमों में नहीं आते हैं; तो मेरा निवेदन है ऐसे गांवों में प्राइवेट बसों को चलाने की मान्यता दिलाने की कृपा करें। यह आश्वासन चाहता हूं मैं आपसे।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रत्युत्तर में बहुत विस्तार से माननीय सदस्य महोदय को निवेदन कर दिया है। जहां तक सड़कों के निर्माण, रख-रखाव एवं विकास का प्रश्न है उसका सारा आधार राज्य की नीति होता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस आधार में जो आयेगा वहां सड़कें जरूर बनेंगी और जहां पर टूट-फूट होगी वह भी ठीक होगी।

अकाल वगैरह में काम होता है उसके लिए मैं सरकार की तरफ से आज यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि इस योजना में यह सड़कें ली जायेंगी या नहीं, क्योंकि वे सब कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिये जाते हैं। जहां तक कच्ची सड़कों पर बस चलाने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न यातायात विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरा लाल।

(व्यवधान)

बहुत लम्बी चौड़ी जानकारी मांग ली है आपने और मंत्री महोदय ने भी विस्तार से उत्तर दे दिया है....

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य।

ग्राम सीनोता की भूमि को वन विभाग से मुक्त कराना

424. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सीनोता ग्राम के खसरा नम्बर 227, 229, 230 की जमीन में वहीं के गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति वर्षों से खेती करते आ रहे हैं तथा उन्होंने मेहनत करके उस भूमि को समतल तथा उपजाऊ, कृषि योग्य बनाया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन की वन विभाग से मुक्ति हेतु बार-बार निवेदन किया जाता रहा है ? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को अभी तक मुक्त नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उन गरीब अनुसूचित जाति के लोगों, जिनके पास आजीविका का दूसरा साधन नहीं है, उक्त जमीन को वन विभाग से मुक्त करने के आदेश प्रदान करेगी ?

वन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) खसरा नम्बर 227, 229, 230 के कुल 546 बीघा 7 बिस्वा क्षेत्र में से 443 बीघा 7 बिस्वा क्षेत्र वन विभाग के अधीन है, जिसमें से खसरा नम्बर 229 के 283 बीघा क्षेत्र में अतिक्रमण कर कुछ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों द्वारा समय समय पर काश्त की गयी।

(2) उक्त भूमि को वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना है। अतः कृषि हेतु छोड़ना संभव नहीं है।

(3) यह क्षेत्र सन् 1980 में राजस्व विभाग से वन विभाग को कृषि अयोग्य होने के कारण स्थानान्तरित किया गया था। इस भूमि को कृषि हेतु मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीरा लाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भूमि कृषि से वन विभाग को ट्रान्सफर हुई थी उस पर पहले से किसान काबिज थे। उन किसानों को बार बार वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सुलतानपुर तहसील और कोटा मे पेशी के लिए बुलाया जाता है। वन विभाग के लोग उनको बार-बार परेशान करते हैं। उनका पेशी के लिए इतनी दूरी पर आना सम्भव नहीं है। उनके सामने आर्थिक कठिनाई रहती है। वे गरीब अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी आजीविका को छीना जा रहा है। इसलिए सरकार इस पर सहानुभूति से विचार करे और उनकी भूमि को वन विभाग से मुक्त करने का विचार करे। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है।

श्रीमती कमला : भाग (3) में माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में विवरण मंगाया जा रहा है। आपने कहा कि उनका कब्जा है। उनका अगर भूमि पर अतिक्रमण में कब्जा बहुत पुराने समय से है, वन विभाग के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ती है और कृषि योग्य यह जमीन है व कोई बेदखली का मामला है उस पर निर्णय लिया जा सकता है, वरना नहीं लिया जा सकता।

श्री हीरा लाल आर्य : पहले भी एक प्रश्न इस सम्बन्ध में विधान सभा में उठाया था, उस समय भी यही उत्तर मिला था। अब विवरण सब आ चुका होगा। अब इस सम्बन्ध में आप विलम्ब न करें। मैं माननीय मन्त्री महोदया से निवेदन कर रहा हूं कि वन विभाग के लोग उनको परेशान कर रहे हैं। आप उनको कहें कि वे परेशान न करें। उनको तारीखों पर नहीं बुलाया जाय। आज गरीब लोग मुसीबत में हैं।

(व्यवधान)

श्रीमति कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक यह भूमि वन विभाग का है उस पर जो कोई भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए विभाग, पाबन्द करें कि उनको न छेड़ें, यह सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

एक प्रश्न माननीय सदस्य कर रहे हैं कि जब यह भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी थी 70 में उससे पूर्व में कब्जा था तो इस बात में....

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो कब्जा है, जिस पर अतिक्रमण किया गया है वह वन विभाग को हैण्ड ओवर की गई। इसके बाद कब्जा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि कितनी पुरानी जमीन पर कब्जा है उनको रेगुलेराइज किया जा सकता है या नहीं? उसका कोई क्राइटेरिया है क्या कि जिसका कब्जा है वह कितना पुराना कब्जा है? उसके लिए सरकार की कोई नीति है?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर आ गया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने उनकी कब्जे की जमीन को वन विभाग में लेने का निर्णय लिया हुआ है। मन्त्री महोदय उत्तर दें कि क्या यह सरकार की नीति है जिनका पुराना कब्जा है जो भूमिहीन हैं, 15 बीघा से कम का रकबा जिनके पास है उनको जमीन दे देगी?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री समर्थ लाल।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि सन् 66 के अन्दर रेवेन्यू की जमीन फोरेस्ट में और फोरेस्ट की जमीन रेवेन्यू में देने का जो सेटलमेन्ट

(श्री समर्थलाल)
हुआ था उसका कार्यान्वयन आज तक मौके पर नहीं हुआ है ? यही कारण है कि इस प्रकार के कब्जे लोगों ने आज भी कर रखे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जो किसान काबिज हैं वे कौन से वर्ष से काबिज हैं ? कृपया यह बतायें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर के दूसरे भाग में यह निवेदन किया है कि ये किसान कब से काबिज हैं, कितना एरिया है और अगर वन विभाग से जमीन को मुक्त किया जाय तो वन के विकास में दखल पड़ेगा या नहीं। यह सारी बातें हैं इनकी सूचना आने के उपरान्त इस पर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी समय हो गया।

नलों, खादरों को समतल कर कृषि अथवा अन्य उपयोग योग्य बनाना

425. श्री राजबहादुर (भरतपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा से लेकर धौलपुर तक चम्बल, बनास, सामा और बाणगंगा नदियों के दूर-दूर तक फैले हुए किनारों पर जो नले अथवा खादर (Ravines) हैं, उनको समतल कराकर कृषि योग्य अथवा अन्य प्रकार से उपयोग में लाये जाने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इस योजना की रूप-रेखा क्या है ? इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ? इसमें क्या प्रगति हुई है ?

(3) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारों ने अपने प्रदेश में इन नलों अथवा खादरों को रिक्लेम करने की दिशा में क्या प्रगति की है अथवा इस संबंध में उन सरकारों की क्या योजना है ? क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो क्या ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 425 स्थगित किया गया।

श्री रतन लाल ताम्बी !

ग्राम लुहाई कलां भीलवाड़ा में डिस्पेन्सरी खोलना

426. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का आदिवासी बहुमत क्षेत्र की दृष्टि से ग्राम लुहारी कलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में इस वर्ष डिस्पेन्सरी खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : लुहारीकलां में नयी डिस्पेन्सरी खोलने पर विचार बजट पास होने पर ही किया जा सकेगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : क्या इस संबंध में जिला आयोजना समिति और जिला स्वास्थ्य निधि के द्वारा दिये गये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास काफी वर्षों से विचाराधीन हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया था कि बजट पास होने के बाद ही विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री मोहन लाल शर्मा।

सरदारशहर के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करना

427. श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने विद्युतीकृत ग्रामों में मीठा पानी का कुआं होने की सूरत में वहां की ग्राम पंचायत की सिफारिश पर वहां के ग्रामो के लिये कुओं के पानी की व्यवस्था करने की कोई योजना चालू की थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) सरदारशहर तहसील में कितने ऐसे ग्राम हैं जहां बिजली है ? मीठा पानी होने की सूरत में कितने ग्रामों के कुओं पर यह सुविधायें दी गयी है ? सूची सदन की ऊपर रखने की कृपा करें ?

उप-मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक (श्री राम पाल उपाध्याय) : (1) जी हां, सरकार ने ऐसे ग्रामों, जहां पूर्व में उपलब्ध स्रोत ग्रामवासियों द्वारा उपयोग में लिया जाता रहा है, में विद्युत उपलब्ध होने की स्थिति में तथा ग्राम पंचायत द्वारा संधारण व्यय वहन करने का प्रस्ताव स्वीकार करने पर परम्परागत स्रोत नामक योजनाएं वर्ष 1980-81 से चालू की हैं।

(2) तहसील सरदारशहर जिला चूरू में ऐसे पांच ग्रामों हेतु पिछले वर्ष में योजनाएं चालू की गयी थीं जिनमें से चार योजनाओं में जल उपलब्ध करा दिया गया है। उन ग्रामों के नाम हैं भैरूसर, आनन्दवाला, आसलसर व अजानसर ग्राम दुलरासर में कार्य प्रगति पर है।

श्री मोहन लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बताने का मंत्री महोदय कष्ट करेंगे कि 5 गांवों में पानी देने की योजना किस प्राथमिकता के आधार पर ली गई है जब कि डापरासर, देराजसर, अजीतसर, सारसर, हरियासर में पानी नहीं है ? दूसरा प्रश्न यह है कि बुक्कनशहर, खेजड़ा जिन गांवों में जल प्रदाय योजनाएं हैं और जिनमें वर्षों से पानी जल प्रदाय योजना द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है और गांव वाले पीने के पानी को लेने में असमर्थ रहते हैं उन गांवों में जल प्रदाय योजना के बिजली वाले कुए से मीठा पानी देने की योजना है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया था उसको मैं अधिक स्पष्ट करना चाहूंगा कि पांच ग्राम छांटे हैं। अभी जितनी हमारे पास योजना है, जितना हमारा कार्यक्रम है और राज्य सर-

(श्री रामपाल उपाध्याय)
कार के पास पैसा है उसी के आधार पर यह निश्चय किया है कि उन ग्राम पंचायतों, जहां पर खारा पानी है, विद्युत् है, और जहां की पंचायतें व्यय भार वहन करने को तैयार हैं, को प्राथमिकता दी जाय। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरे ग्रामों को नहीं लिया जाएगा। क्रमशः दूसरे ग्रामों को भी लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : इस सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। जिन ग्रामों में मीठा पानी तो उपलब्ध है लेकिन बिजली नहीं है उन गांवों के अन्दर पीने के पानी की समस्या है . . .

श्री अध्यक्ष : यही निवेदन किया है मंत्री महोदय ने।

श्री रेवतराम चौधरी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां पर वेरे तो है, मीठा पानी भी है लेकिन बिजली नहीं है तो क्या वहां पर बिजली लगा कर पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे?

श्री रामपाल उपाध्याय : पानी देने का जहां तक सम्बन्ध है क्रमशः सभी ग्रामों को पीने का पानी दिया जाना चाहिए, यह अनिवार्य आवश्यकता है। बिजली लग जाएगी तो जरूर पानी देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री शिवसिंह !

श्री मोहनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि जलदाय योजनायें लागू हैं और वर्षों से लागू हैं लेकिन पानी नहीं सप्लाई होता है, कुओं में पानी मीठा है लेकिन बिजली नहीं लगी हुई है, तो क्या उन गांवों, जिनमें बिजली होते हुए भी योजना लागू नहीं है, में पानी के कुओं में बिजली लगाकर क्या आप योजना लागू करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जहां पर विद्युत् की व्यवस्था है। कुओं में मीठा पानी है, वहां पर वर्तमान में जो योजनायें हैं उन योजनाओं का क्रमशः बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का यह पूर्ण विचार है कि पुनर्गठन करे, उनकी पुनर्व्यवस्था करे और वहां पर पानी दिया जावे। पानी देने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर सरकार निरंतर विचार कर रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच वर्षों में सारे गांवों को जल देने की व्यवस्था सरकार करना चाहती है तो जहां पर बिजली उपलब्ध है, जहां पर मीठा पानी उपलब्ध है इस प्रकार के ग्रामों को पहले वर्ष में ही हाथ में लेने की व्यवस्था करे, ऐसा मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो दस वर्ष के अन्दर सारे राजस्थान को पेयजल प्रदान करने की योजना बनाई थी उसको पांच वर्ष में क्रियान्वित

(श्री रामपाल उपाध्याय)
करने का निर्णय लिया है। इसलिए इस सारे कार्यक्रम को किन फेजेज में, किन चरणों में किस तरह से किया जावे इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री शिवसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था वह भी इसी से सम्बन्धित था लेकिन मेरे तारांकित प्रश्न को अतारांकित कर दिया है। जल प्रदाय के सम्बन्ध में कोलायत में····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तारांकित को अतारांकित क्यों कर दिया, यह प्रश्न यहां पर नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! आप कृपया नियमों का ध्यान करें, नियमों का अध्ययन करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

प्रश्न संख्या 428

श्री शिवसिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 429

श्री मालूराम लेघा !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 430

श्री सुनीलकुमार विश्नोई !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री नन्दलाल मीणा !

जिला डूंगरपुर से सागड़ी प्रथा का उन्मूलन

431. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सागड़ी प्रथा केवल डूंगरपुर जिले में ही है अथवा प्रान्त के अन्य भागों में भी प्रवृत्त है ?

(2) क्या सरकार जिले में सागड़ी उन्मूलन के प्रयोजन से कोई जांच अभियान चलाना चाहती है।

(3) सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1961 के अनुसार डूंगरपुर जिले में कितने सागड़ियों को मुक्त करवाया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) डूंगरपुर सहित राज्य (प्रान्त) के अन्य जिलों में भी सागड़ी प्रथा प्रचलित है।

(2) जी हां।

(3) इस अधिनियम के तहत डूंगरपुर जिले में 16 सागड़ियों को मुक्त करवाया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : डूंगरपुर जिले के अलावा कौन कौन से भागों में सागडी है ?

श्रीमती कमला : राजस्थान के⋯

श्री अध्यक्ष : यह पता होता तो कानूनी कार्यवाही ही नहीं कर लेते ।

श्रीमती कमला : राजस्थान राज्य के सिर्फ तीन जिले ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार के मामले नहीं पाये गये हैं। वे जिले हैं, झुंझुनूं, जैसलमेर और नागौर। बाकी सभी जिलों में कुछ न कुछ संख्या में इस प्रकार के मामले पाये गये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच का अभियान जो सरकार चलाना चाहती है वह जांच का अभियान किस एजेंसी के माध्यम से चलाना चाहती है ?

श्रीमती कमला : अभी राज्य सरकार के जो विभाग मौजूदा हैं, उनके जरिये से ही यह कार्य करवाया है। थोड़े दिनों पहले जो श्रम मंत्रियों की कांफ्रेंस दिल्ली में हुई थी उसमें हमने भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि इसका सर्वेक्षण कराने के लिये और इस सम्बन्ध में तमाम प्रकार की जानकारी इकट्ठी करने के लिए, सुझाव देने के लिये एक इन्डिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन कायम किया जाय और उसका सारा खर्चा भारत सरकार वहन करे। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। फिलहाल रेवेन्यू एजेन्सी और पंचायत समितियों के माध्यम से यह कार्य कराया गया है। चूंकि वह पर्याप्त नहीं है इसलिये राज्य सरकार की तरफ से यह सुझाव भारत सरकार के सामने कांफ्रेंस में रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। रेलेवेंट उत्तर हो गया है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिन 16 व्यक्तियों का माननीय मंत्री महोदया ने उल्लेख किया है, 16 व्यक्ति कहां के निवासी हैं, उनका क्या पता है, इसका इस सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1968 में ही सागड़ी प्रथा को समाप्त करने की शुरुआत कर दी गई थी परन्तु सागड़ियों का पुनर्वास करने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिन सागड़ियों को मुक्ति दिलाई गई है, वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में ट्राइबल वेलफेयर इन्स्टीट्यूट उदयपुर और आदिम जाति सेवा संघ, इन दोनों ने जांच की है। माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि जांच करायेंगे। मैं कहता हूं कि जांच हो चुकी है, यह मैं याद दिलाना चाहूंगा। उस जांच के आधार पर आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पहले उत्तर आने दीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, वे अगर नाम जानना चाहते हैं, तो मैंने नामों की सूची तो दी है⋯

श्री अध्यक्ष : : नाम तो उनके पास भी हैं, उनके पते नहीं हैं। डूंगरपुर जिले के उनके घर के पते नहीं हैं उसमें।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं उनसे पत्र व्यवहार करना चाहता हूं...।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : बहुत जोर जोर से या जल्दी जल्दी बोलने से समस्या का हल नहीं होता ।

यह बात सही है कि आपको जो सूची दी गई है उसमें उनके डाक के पते लिखे हुए नहीं हैं । माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करवा दूंगी । जहां तक यह सवाल है कि उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई, मेरा निवेदन है, किन किन को क्या क्या धन्धा दिलाया गया इसका विवरण तो अभी मैं नहीं दे सकती लेकिन जितने भी सागड़ी प्रथा के अन्तर्गत आइडेंटीफाई किये गए उनमें से 5656 श्रमिकों को पुनर्स्थापित किया गया है । टोटल आइडेंटीफाई किये गए उनकी संख्या छः हजार है । उनको विभिन्न प्रकार के कामों पर लगाया गया है, किसी को खेती के काम पर, किसी को पशुपालन में, किसी को छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग धन्धों में, किसी को किसी अन्य प्रकार के काम में । इसकी फहरिश्त आप चाहेंगे तो बाद में उपलब्ध करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय । मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । कृपया सहयोग करें, माननीय सदस्य ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं सबूत के आधार पर पूछना चाहता हूं । मुझे सिर्फ एक सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया जावे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थान द्वारा यह सर्वे कराया गया है कि राजस्थान में कितने सागड़ी प्रथा के तहत पाए गए हैं...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह प्रश्न में इन्क्लूडेड है, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहती हूं ।

जो प्रश्न पूछा गया है उसके बाबत राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त हुई थी । गांधी शांति प्रतिष्ठान से पूछा है कि आपने ये जो अपने तखमीने दिये हैं वे किस आधार पर दिये हैं ? उनका अभी तक वापस जवाब नहीं आया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिमी जर्मनी की एक पत्रिका है सूचिविक, उसने एक सर्वेक्षण किया है । उसमें यह लिखा गया है मकराना के बारे में कि वहां पर पांच हजार बन्धक हैं । क्या आपने...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सारे बन्धकों का सर्वेक्षण हो चुका है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया ने अपनी जानकारी के आधार पर आपको उत्तर दे दिया। उसको विवाद का विषय बनाया जाय इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। जो प्रश्न की परिधि है उसके अन्दर ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री नाथू सिंह।

रेगिस्तान के प्रसार को रोकना

432. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रान्त में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने हेतु सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध किया है, या योजना भेजी है ?

(2) यदि हां, तो वह क्या है ? कृपया सदन की मेज पर रखें।

योजना मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (1) प्रान्त में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक् से किसी योजना का अनुरोध केन्द्र सरकार को नहीं किया है, किन्तु सम्मिलित रूप में केन्द्र प्रवर्तित मरु विकास...

श्री नाथूसिंह : समझ में नहीं आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : मलाई निकलवा लो।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : (1) प्रान्त में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक् से किसी योजना का अनुरोध केन्द्र सरकार को नहीं किया है। किन्तु सम्मिलित रूप में केन्द्र प्रवर्तित मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत वन्य-करण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(2) कार्यक्रम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री महोदय को ध्यान होगा, 67 में इजरायल की टीम भारत आयी थी ; इजरायल ने रेगिस्तान को बदल दिया। उसने भारत सरकार को यह बताया था। 67 में सर्वेक्षण किया था उस समय केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव दिया था, मुझे याद है उन्होंने कहा था...

श्री अध्यक्ष : 67 का आपको कहां से याद होगा, आप विद्यार्थी थे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें याद करने की आदत थी इसलिए याद है।

यह सवाल दो साल पहले लोक सभा में उठाया था। उस समय मेरे पास जवाब आया था···

एक माननीय सदस्य : 1977 में क्या हुआ ?

श्री नाथूसिंह : केन्द्र सरकार ने यह प्रस्ताव किया था, जितना सहयोग राजस्थान सरकार चाहेगी, वह हम देंगे। मैं माननीय

(श्री नाथूसिंह)
मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसके लिये तैयार है तो आपने केन्द्र सरकार को इसका पूरा कार्यक्रम अभी तक बना कर क्यों नहीं भेजा ? अब तक क्यों नहीं भेजा है ? क्या सरकार विचार रखती है कि इस तरह का कार्यक्रम बनाकर केन्द्र सरकार को भेजेगी जिससे रेगिस्तान को रोकने की कोई कार्यवाही की जाये ? दूसरा मेरा सवाल है कि रेगिस्तान को रोकने के लिए योजनायें बनायी गयी थीं उन योजनाओं को कब तक शुरू कर देंगे ? कितने रुपये की योजना बनायी गयी थी ? कुल कितनी राशि खर्च होगी ? यह मेरे तीन सवाल हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि राज्य सरकार की दो स्कीमें चालू हैं, एक डी. पी. ए. पी. और दूसरी डी. डी. पी.। इन दोनों स्कीमों में वृक्षारोपण के जरिये डेजर्ट को रोकने का प्रयत्न हो रहा है। इन दोनों स्कीमों के 74–75 से प्रोग्राम चालू हैं। जो सूखा सम्भावित परियोजना है, उसके अन्तर्गत 4 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। दूसरी स्कीम है मरु विकास कार्यक्रम योजना उसके अन्तर्गत 4 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इन दोनों स्कीमों में 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। रुपये की कमी नहीं हैं। भारत सरकार से देने के लिए कहा है। इसका संबंध योजना विभाग से···

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह विषय खेती बाड़ी विभाग का है। योजना विभाग के पास इसकी कोई·····

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान बढ़ते-बढ़ते आज कहां तक आ चुका है और बाद में कहां तक बढ़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों में ही मतभेद है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, मैं नाथूसिंह जी की वेदना को समझता हूं। भूतपूर्व राज्य मंत्री, वित्त श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने एक सार्वजनिक समारोह में कहा था, मैं राजस्थान के विकास की योजनाएं लेकर आता हूं, रुपया लेकर आता हूं, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उनकी इस वेदना का शमन करें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री शिवराम शर्मा।

सी-स्कीम जयपुर में मुख्य सीवर लाइन का कार्य

433. **श्री शिवराम शर्मा** (बनी पार्क): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सी-स्कीम क्षेत्र में मुख्य सीवर लाइन डाली जा चुकी है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस सीवर लाइन की उपयोगिता के लिये छोटी लाइनें डाले जाने की स्वीकृति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा चुकी है ? इस कार्य हेतु धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

उपमंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, सी-स्कीम क्षेत्र में अशोक मार्ग, पृथ्वीराज मार्ग एवं सुभाष मार्ग पर मुख्य सीवर लाइन डाली जा चुकी है।

(2) छोटी सीवर लाइनें डाले जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। राशि उपलब्ध होते ही कार्य हाथ में लिया जायेगा।

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बड़ी सीवर लाइन, जो सी-स्कीम क्षेत्र में डाली गई है, कब डाली गई है?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव की सूचनार्थ निवेदन है कि अशोक मार्ग की लाइन 8 वर्ष पूर्व डाली गई है। इसके बाद पिछले वर्ष सुभाष मार्ग पर डाली गई है।

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 8 साल पहले जिस क्षेत्र में मुख्य लाइन डाली गई है, उस पर जितना रुपया बरबाद किया गया है, खर्च किया गया है, उसकी उपयोगिता नहीं हो पायी। तीन साल पहले जो मुख्य लाइन डाली गई है, उसका उपयोग नहीं हो पाया। इस मेन लाइन डालने पर, मैं निवेदन करूंगा, जो रुपया सरकार के द्वारा खर्च किया गया, उसका जनता फायदा नहीं उठा सकी। सरकार का लाखों रुपया खर्च कर दिया। जनता के लिये भी सी-स्कीम 1948 में मिर्धा के टाइम में बसाई गई थी, वहां लाइन डाली गयी थी लेकिन छोटी लाइन से उस क्षेत्र के लोगों को वंचित रखा गया इसलिये लोगों को भारी परेशानी हुई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र में जो मुख्य लाइन डाली गयी है, उसके साथ साथ छोटी-छोटी लाइनें डाली जायें और जनता की जो परेशानी है, दुविधा है उसको दूर किया जाये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में इसका प्रावधान करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके साथ मेरा पूरक प्रश्न है। यह लाइन डाली गई है, मैं मानता हूं, बहुत उपयोगी लाइन है। यहां पर छोटी लाइन डालने का कार्य धन उपलब्ध होने पर करेंगे, यह बड़ी सीधी बात है। मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि एल. आई. सी. से, जयपुर नगर परिषद् और जयपुर नगर विकास न्यास की सारी योजनाओं को हाथ में लेने के लिये कुछ धन उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था हो सकती है, जिससे इन मेन लाइनों का उपयोग करवाया जा सके।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव ने जो बातें कही है, वह काफी उपयोगी बात है। जहां तक इन मुख्य लाइन के अलावा छोटी-छोटी लाइन डाल करके जन-सुविधा को बढ़ाने का प्रश्न है, इसके बारे में विभाग द्वारा स्थानीय निकाय आयुक्त के यहां पर मीटिंग की गई है। उसमें इस प्रकार का निर्णय हुआ है, तत्काल दस लाख रुपये की धनराशि का आवंटन इस विभाग को किया जायेगा। लेकिन अभी तक इस धनराशि का आवंटन

(श्री रामपाल उपाध्याय)
नहीं हो पाया है, इसलिये इस उपयोगी काम को हाथ में नहीं लिया जा सका है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह यह आवंटन कब तक कर देंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न करना चाहती हूं। जयपुर में कहां कहां लाइन डालने की योजना है···

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कहां कहां बाकी रही है ? माननीय मंत्री महोदय इसको ठीक कराने की व्यवस्था कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह अलग से प्रश्न है। यह सी॰स्कीम में सीवर लाइन से संबंधित है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद उल्लेख किया है सुभाष चौक नाले का। उसका नाम नहीं लिया हो तो·····

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुभाष चौक का नहीं कहा है सुभाष मार्ग का कहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हंसराज शर्मा।

तहसील बोंली के गांवों में कृषि व घरेलू उपयोग हेतु विद्युतीकरण

434. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में तहसील बोंली जिला सवाई माधोपुर में कितने गांवों में कृषि एवं प्रकाश हेतु विद्युत् कनेक्शन दिये गये ?

(2) क्या इस विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति के अनुसार सभी गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) तहसील बोंली के ग्राम देवली, भारजा नदी, दहलोद में अभी तक विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया, जब कि इन्हीं गांवों के आगे के गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री अब्दुल रहमान चौधरी): (1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में तहसील बोंली (जिला सवाई माधोपुर) के 14 ग्राम विद्युतीकृत किये गये।

(2) जी हां, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में स्वीकृत सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(3) पंचायत समिति बोंली की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अधीन प्रथम वर्ष में बोंली के आस पास के गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा देवली, भारजा नदी एवं दहलोद के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। इनके खम्भे खड़े कर दिये गये हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत बोंली में कितने टोटल गांव थे ?

(श्री हंसराज शर्मा)
उनमें कितने बाकी रहे हैं और कितने में लगा दी गई है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : बौंली में 159 गांवों में विद्युत् लगाने की स्वीकृति है। उनमें से पिछले वर्ष 47 गांवों का कार्य शुरू किया गया उनमें से 20 गांव पूरे हो चुके हैं बाकी में काम चालू है। कुल स्कीम पांच साल में पूरी होनी है।

श्री हंसराज शर्मा : अब शेष कितने गांवों में बिजली लगनी है और कब तक लग जायेगी ? उनका सामान क्या वहां पहुंचा दिया गया है ? माननीय मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि सामान पहुंचा दिया है। सदन में रिप्लाई दिया गया है वह निराधार है। वहां कोई सामान नहीं पहुंचाया गया है।

श्री अध्यक्ष : कार्य प्रगति पर है, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : सिर्फ खड्डे खुदवाने से, पांच रुपये के मजदूर लगा कर खड्डे खुदवाने से कार्य प्रगति पर नहीं होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि 47 गांव पिछले वर्ष में थे। मार्च समाप्त हो गया इस समय तक 20 गांव विद्युतीकृत हुए हैं 27 गांव बाकी हैं जिनका विद्युतीकरण मार्च 80 तक पूरा हो जाना चाहिए था। क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इन 20 गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति में कौनसी बाधा थी और क्या उनका विद्युतीकरण इसी वर्ष में पूरा हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : 27 गांव हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : 47 गांव में विद्युतीकरण फर्स्ट ईयर में करना था, उनमें से 20 गांवों का पूरा हो चुका है बाकी में काम चल रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 47 गांव पिछले वर्ष के हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया बताने की कृपा करें कि 47 गांव में विद्युतीकरण 1979-80 में करना था या 80-81 में ? यह पूछना चाहते हैं। आर्डर प्लीज।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : उनमें सामान की कमी की वजह से काम चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण डूंडी, 435।

तहसील बिलाड़ा की रणसी गांव नल योजना का विस्तार

435. श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में कितने गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है तथा कितनी योजनाएं इस क्षेत्र में बनाई गई हैं ?

(श्री रामनारायण डूंडी)

(2) क्या सरकार शेष ग्रामों को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा व कब तक ?

(3) क्या रणसी गांव नल योजना तहसील बिलाड़ा का विस्तार कर सिधियों की ढाणियां, जो 5-6 किलोमीटर में करीबन 500-600 घर पंचायत क्षेत्र भूडाना, पीपाड, राडरिया के अन्तर्गत बसी हैं, को पीने का पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना विभाग के विचाराधीन है ?

उप मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) बिलाड़ा तहसील जिला जोधपुर में 73 गांवों को जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा तथा 5 गांवों को पंचायतों द्वारा जल वितरण कराया जा रहा है। 12 गांवों में अभी योजनाएं विचाराधीन हैं एवं 16 गांवों की योजनाएं इस वर्ष विश्व बैंक परियोजना में प्रस्तावित हैं।

(2) जी हां, शेष ग्रामों में छठी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक पीने का पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(3) ऐसी कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न सं. (3) में जो गांव बताये गये हैं उनकी स्कीम पास हुई थी वहां नल लगे हुए हैं, पाइप लाइन बिछी हुई है लेकिन पानी के अभाव से पांच छः सालों से पानी कतई नहीं दे रहे हैं ? क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि वहां पर बोरूंदा और पीपाड़ से पानी दे सकें ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, रणसी गांव अलग-अलग टुकड़ों में बसा हुआ है। माननीय सदस्य ने बताया कि पाइप लाइन वहां पर लगी हुई है और पानी दिया जा सकता है तो सरकार पानी देने पर विचार करेगी। एक कठिनाई इस संबंध में महसूस की जा रही है कि पीपाड़ के जल स्रोत हैं तो पीपाड़ से कई जगह पानी दिया जा रहा है। वहां यह भी अपर्याप्त है। विभाग शीघ्र ही व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है ताकि उनको पानी दिया जा सके।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि जो स्कीम 5–6 साल पहले बन गई, रुपये खर्च हो गये, 5–6 साल के बाद लाइन में बिच्छू और सांप हो गये। तो इस स्कीम में, मेरा मतलब है, जो ट्यूब वैल बने हुए हैं उनका क्या उपयोग है ? जितने गांवों में लाइन पहुंची हुई है वहां कोई योजना बनायें बासनी से खेपी सालवा तक। और जो गांव हैं मलार बूंडाणा, पीपाड़ रोड, खेड़ी सालवा वहां पर आपके ट्यूब वैल खुदे हैं इनका उपयोग करें। वहां पर लाइन बिछी हुई है उसको चालू करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 436

श्री भंवरसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामकिशोर मीणा । प्रश्न सं. 437 ।

लालसोट के तत्कालीन तहसीलदार श्री रामगोपाल मीना की हत्या

437. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट तहसील के तत्कालीन तहसीलदार श्री रामगोपाल मीणा की 27 मार्च, 1980 की रात को हत्या की गई थी ?

(2) क्या पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की हैं ? यदि हां, तो गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) वर्तमान में यह केस किस स्टेज पर है ?

उपमंत्री, गृह (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) जी हां, कारणों के बारे में अनुसंधान जारी है।

(2) जी नहीं।

(3) अभियोग में अनुसंधान जारी है।

श्री राम किशोर मीणा : एक तो मुझे यह जो सूची दी गई है इसमें चित्तौड़गढ में विद्युतीकरण के गांवों की सूची दी गई है। दूसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ, श्री रामगोपाल मीणा तहसीलदार की हत्या की गई उसकी जांच में उनकी वाइफ को परेशान किया जा रहा है। जब तक विस्तृत जांच न कर ले तब तक उनको इस तरह हरैस नहीं किया जाय। इसमें कब तक अन्तिम परिणाम तक पहुंच जायेंगे ? यह मैं पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अनुसंधान जारी है।

श्री रामकिशोर मीणा : कब तक अनुसंधान हो जायेगा, अध्यक्ष महोदय ?

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : पांच महीने हो गये हैं। अनुसंधान किस स्टेज पर है, क्या प्रगति है और अनुसंधान कौन कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, अनुसंधान जारी है इसलिये है कि अभी इसकी केमिकल रिपोर्ट आनी है वह नहीं आई है। जब तक केमिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक अनुसंधान कार्य पूरा कैसे हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुसंधान कब तक पूरा हो जाएगा ? कोई निश्चित सीमा होगी, नियम होंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो असल घटना है, वहां के लोग बता रहे थे कि डीजल के मामले में कालाबाजारी हुई थी। उसी रात को उसकी मृत्यु हुई। उसकी हत्या की गई। उसकी वाइफ को परेशान किया जा रहा है। यह कब तक फाइनल हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मृतक के खिलाफ कोई साक्षी

(श्री गोविन्द सिंह)

तफतीश के दौरान नहीं आई है। कोई साक्षी नहीं है तो उसकी वाइफ को क्यों परेशान किया जा रहा है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : केमिकल रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है ?

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह मामला संगीन है इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर जो तत्कालीन एस. पी. हैं या कोई दूसरा आफिसर है वह मिला हुआ है इस वजह से पूरी तफतीश नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि किसी दूसरे अधिकारी को वहां पर नियुक्त किया जाकर तफतीश करायी जानी चाहिए।

श्री रामपाल उपाध्याय : सिर्फ पूछताछ की जा रही है। परेशान करने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक अनुसन्धान का प्रश्न है, केमिकल रिपोर्ट का प्रश्न है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिए तेजी से कार्यवाही की जाएगी और पूरी जानकारी कर के उचित कदम उठाया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री राम किशोर मीणा : इसके मुकद्मे का चालान पेश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। (शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चौमू क्षेत्र में कालाभाटा स्थान पर बांध निर्माण

422. **श्री तेजपाल (चौमू) :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चौमू क्षेत्र में बन्दोल नदी से बरसात में बाढ़ से जन-धन की क्षति होने का खतरा रहता है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से कोई कार्य किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि बन्दोल नदी से त्रांसा एवं मोरीजा आदि ग्रामों को खतरा रहता है और कृषि की हजारों बीघा जमीन प्रति वर्ष बाढ़ से खराब हो जाती है ? विभाग ने कृषि भूमि एवं ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए क्या कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या सरकार की उपरोक्त ग्रामों एवं कृषि भूमि की सुरक्षा करने के लिए कालाभाटा नामक स्थान पर बांध बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह एक छोटा-सा नाला है, अधिक वर्षा होने पर इस नाले का पानी फैल जाता है। जन-धन का नुकसान हुआ या नहीं, यह विभाग की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(2) अधिक बरसात होने पर खतरा होने की संभावना तो हो सकती है। इस विभाग के पास हानि के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बाड़ी-सूरोठी वाया घनोरा सड़क

428. श्री शिवसिंह (बाडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का बाड़ी से सूरोठी वाया घनोरा सड़क निर्माण कराने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

राज्य सरकार के निर्धारित माप दण्ड के अनुसार अभी 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को ही सड़क से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। सूची में वर्णित गांव इस मापदण्ड में नहीं आते हैं। इस कारण फिलहाल यह सड़क प्रस्तावित नहीं है।

बीकानेर व लूणकरणसर तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

429. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसील के कितने गांवों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है तथा शेष का कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

माह जून, 1980 के अन्त तक तहसील बीकानेर के 71 तथा तहसील लूणकरणसर के 51 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त तहसील बीकानेर के 85 ग्राम तथा तहसील लूणकरणसर के 94 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं, जिनके विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत योजनाओं में प्रस्तावित कार्यक्रमों के अनुसार प्रगति पर है। शेष ग्राम किसी स्वीकृत कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं। अतः इनके विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

चीतलवाना में मतदाताओं को मत देने से रोकने सम्बन्धी दर्ज मामला

430. श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 29 मई, 1980 को पुलिस स्टेशन चीतलवाना, जिला जालोर में मतदाताओं को मत देने से रोकने के विषय में एक झूंठा मुकदमा दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो किसकी रिपोर्ट पर एवं कितने लोगों के खिलाफ ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त झूंठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच करने के बारे में अभियुक्तगणों की तरफ से शिकायत उच्च पुलिस अधिकारियों के पास की गई थी ? यदि हां, तो कब, और उन शिकायतों के आधार पर उक्त प्रकरण की जांच अब तक किसके द्वारा की गई है ?

उत्तर

(1) मतदाताओं को मत देने से रोकने के विषय में कोई अभियोग थाना चीतलवाना जिला जालोर पर पंजीबद्ध नहीं कराया गया था। फर्जी मतदाताओं द्वारा वोट डालने बाबत रिपोर्ट कराने जाते समय मारपीट का मुकदमा पुलिस थाना में मु. नं. 29 दि. 29-5-80 धारा 147, 148, 323, 352 भा.द.सं. के अन्तर्गत 18 व्यक्तियों के,

(गृह मंत्री)
विरुद्ध श्री नेमीचन्द ओसवाल की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध हुआ था।

(2) उक्त अभियोग के सम्बन्ध में अभियुक्त हरीराम द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) द्वारा पुलिस अधीक्षक, जालोर को सारे मामले की स्वयं छानबीन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट अपेक्षित है।

नवलगढ़ क्षेत्र के गांवों में पेयजल के वितरण की समुचित व्यवस्था

436. श्री भंवरसिंह (नवलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नवलगढ़ क्षेत्र के गांवों में पेयजल के वितरण की व्यवस्था पूरे गांव में एक ही जगह से की जावेगी या मोहल्ले अनुसार ?

(2) क्या सरकार ने पेयजल की वितरण व्यवस्था को सुधारने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) जहां जलदाय विभाग की ग्रामीण योजनायें चल रही हैं वहां पर हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुल 57 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 17 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था विभिन्न योजनाओं द्वारा की गई है जिसका विवरण संलग्न है।

(2) जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 ग्रामों में योजनाओं का कार्य चल रहा है। शेष ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(3) जलदाय विभाग के अधीन चल रही ग्रामीण योजनाओं पर हरिजन बस्तियों हेतु अलग से प्रति वर्ष विशेष प्रावधान किया जाता है। वर्ष 1980-81 में ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं जन जाति बस्तियों के लिये रुपये 20.00 लाख का प्रावधान है। इस राशि को इन जातियों की जनसंख्या के अनुपात में व्यय किया जावेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला चित्तौड़गढ़ के गांवों में विद्युत् सुविधा

366. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के कितने गांवों में विद्युत् सुविधा उपलब्ध है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सुविधा किन-किन वर्षों में कहां-कहां दी गई ?

(3) शेष गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) 31 मार्च, 1980 के अन्त तक चित्तौड़गढ़ जिले के 881 गांवों में विद्युत् सुविधा उपलब्ध है। तहसीलवार सूची

(विद्युत मंत्री)
निम्नानुसार है:–

1.	बेगूं	179
2.	गंगरार	58
3.	राशमी	38
4.	कपासन	148
5.	चितौड़गढ़	123
6.	निम्बाहेड़ा	108
7.	छोटी सादड़ी	48
8.	बड़ी सादड़ी	38
9.	डूंगला	13
10.	भदेसर	34
11.	प्रतापगढ़	100

(2) उक्त सुविधा वर्षवार जहां-जहां दी गई है, सूची सदन के पटल रख दी गई है।

(3) 307 ग्राम विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। जिन पर उक्त सुविधा पहुंचाने का कार्य योजनानुसार चल रहा है। शेष ग्रामों के बारे में स्वीकृत योजना के अभाव में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

विद्युत कार्यालय सोजत में विचाराधीन आवेदन-पत्र

367. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सहायक अभियन्ता सोजत के कार्यालय में घरेलू उपयोग एवं कुओं के कनेक्शन हेतु कितने आवेदन-पत्र पेन्डिंग पड़े हैं ? उन पर कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

(2) रायपुर व सोजत पंचायत समिति क्षेत्रों के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है ? किन कारणों से विद्युतीकरण के आदेश के बावजूद भी इन गांवों को बिजली नहीं दी गई है ? शेष गांवों का कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा ?

(3) सहायक अभियन्ता सोजत के पदाधिकारी कितने समय से कार्यरत हैं ? राज्य सरकार को कितनी शिकायतें उनके विरुद्ध प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) ग्राम चंडावल स्टेशन, पंचायत समिति सोजत, जिला पाली में ग्रामवासियों को विद्युत सम्बन्ध देने की मांग कब से चल रही है ? सरकार इस मांग को कब तक पूरा कर देगी ?

उत्तर

(1) 30 जून, 1980 तक सोजत में स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय में घरेलू व कृषि कनेक्शनों के लिये पेन्डिंग आवेदनों का विवरण निम्न है :

	घरेलू	कृषि
1. सोजत (ओ.एण्ड एम.) सब डिविजन	524	140
2. सोजत (आर.ई.सी.) सब डिविजन	989	348
योग	1513	488

(2) सोजत पंचायत समिति के शत-प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रायपुर पंचायत समिति में स्वीकृत दो गांवों का विद्युतीकरण रेलवे क्रोसिंग

(विद्युत मंत्री) की स्वीकृति न मिल पाने के कारण रोकना पड़ा था। इनमें से एक ग्राम कनेजा के लिये रेलवे क्रासिंग की स्वीकृति गत माह ही प्राप्त हुई है और विद्युतीकरण का शेष काम हाथ में लिया जा रहा है।

(3) सोजत में एक सहायक अभियन्ता लगभग तीन वर्ष से तथा दूसरा सहायक अभियन्ता लगभग एक वर्ष की अवधि से कार्यरत है। केवल एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध तीन साधारण शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच करवाई जा रही है।

(4) ग्राम चंडावल स्टेशन में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु समय-समय पर जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, उन पर आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से असाध्य होने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

जिला टोंक की सड़कें

368. श्री महावीर प्रसाद (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में कुल कितने किलोमीटर सड़क है ?

(2) नई सड़कों के लिये चालू वर्ष में कहां-कहां के टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे ?

(3) कितनी सड़कों के वर्क आर्डर दे दिये गये थे ?

(4) विभाग की शर्तों के अनुसार कौन-कौन सी सड़कें अब तक पूर्ण हो जानी चाहिये थीं और जो सड़क विभाग की शर्तों के अनुसार पूरी नहीं हुई, उन दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) उपरोक्त सड़कें कब तक पूर्ण हो जावेंगी ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में कुल सड़क की लम्बाई 723 कि. मी. है जिसमें डामर सड़क 431.00; मेटल्ड सड़क 134.80 कंकड़ सड़क, 151.00 एवं कच्ची सड़क 14 कि.मी. है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में किसी नई सड़क के टेण्डर आमन्त्रित नहीं किये गये हैं।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में किसी नई सड़क के वर्क आर्डर नहीं दिये हैं।

(4) 9 कार्यों की सूची संलग्न है। कार्य पूर्ण होने पर अवधि की फाइनल स्वीकृति योग्यता के आधार पर नियमानुसार ही की जावेगी।

(5) पूर्ण होने का सम्भावित समय सूची में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

नाथद्वारा क्षेत्र में निर्माणाधीन बांध

369. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अकाल राहत में निर्माणाधीन बांधों को अकाल राहत कार्य समाप्त होने पर सिंचाई विभाग के माध्यम से पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन बांधों को सिंचाई विभाग द्वारा पूरा कराया जायेगा ?

(श्री सी. पी. जोशी)

(2) यदि नहीं; तो अधूरे निर्माण कार्य रह जाने से अनुमानतः कितनी हानि होगी ?

उत्तर

(1) अकाल राहत में निर्माणाधीन बांधों को अकाल समाप्त होने पर सिंचाई विभाग द्वारा विचार तभी सम्भव होगा यदि उन बांधों की सिंचाई क्षमता 50 एकड़ से अधिक होगी एवं बी.सी. रेशो 1.5 : 1 से अधिक होगा।

नाथद्वारा क्षेत्र के उपरोक्त परिधि में आने वाले कार्यों पर धनराशि उपलब्धि के अनुसार सरकार द्वारा विचार करना संभव होगा।

(2) अकाल राहत कार्यों का उद्देश्य अकाल की स्थिति में पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार देना होता है यह उद्देश्य अकाल राहत चालू होने पर पूरा हो चुका है।

सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यालय खण्ड टौंक में व्याप्त भ्रष्टाचार

370. श्री महावीर प्रसाद (टौंक): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यालय; खण्ड टौंक में भ्रष्टाचार, अनियमितता; पद के दुरुपयोग से सम्बन्धित शिकायतें गत एक वर्ष में प्राप्त हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायतों पर जांच करवाई जा रही है।

कृषि उपज मण्डी समिति, चौमूं द्वारा सड़क निर्माण

372. श्री तेजपाल (चौमूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मंडी समिति चौमूं ने चौमूं से हाथनोदा, वीर हनुमानजी की सड़क बनाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं; तो क्यों ?

(2) क्या इसी समिति ने मण्डा-भिन्डा, इटेलेश, आस्टी, किशनमानपुरा, नांगल-गोविन्द; रींगस तक पुख्ता सड़क बनाने का भी निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण कार्य की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) जी हां, मण्डी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण अभी इसलिए नहीं कराया जा सकता क्योंकि अभी चौमूं के नये मण्डी यार्ड का निर्माण चल रहा है जिसके लिए धनराशि जुटाना आवश्यक है मण्डी निर्माण पूरा हो जाने के उपरान्त ही सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

(2) जी हां, मण्डी समिति ने अपनी दिनांक 11-3-77 की बैठक में इन सड़कों के निर्माण कराने का निर्णय लिया था परन्तु पहले मण्डी यार्ड का निर्माण कराने हेतु

28

(कृषि मंत्री)

राशि जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके।

बीकानेर–श्रीगंगानगर सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण

373. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बीकानेर से श्रीगंगानगर सड़क के दोनों ओर किनारों पर वृक्षारोपण हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

जी नहीं।

इस विभाग द्वारा बीकानेर–श्रीगंगानगर सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण की फिलहाल कोई योजना नहीं है। किन्तु वन विभाग ने करीब 40 कि. मी. लम्बाई में 80,000 पौधे उन्हीं के बजट से लगाये हैं। इन पौधों के बचाव के लिए कांटेदार तार भी लगाये गये हैं। यह पौधे निम्नलिखित कि. मी. में लगाये गये हैं।

कि. मी. 10 से 25
कि. मी. 93 से 103
कि. मी. 153 से 161 एवं
सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर के बीच में 7 कि. मी.।

गडरारोड-गिराब सड़क

374. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर की गडरारोड-गिराब सड़क के कितने किलोमीटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति हुई थी और वह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(2) क्या ग्राम खोनीपानी से पाबूसरी तक सड़क ले जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) 15 किलोमीटर ग्रेवल रोड निर्माण की अकाल राहत कार्य के तहत स्वीकृति दिनांक 17·4·80 को 3 लाख रुपये की हुई है। मिट्टी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं ग्रेवल कार्य प्रगति पर है। आगे अकाल राहत कार्य में सेफ स्टेज पर लाकर यह कार्य बन्द कराया जा रहा है क्योंकि आगे की स्वीकृति नहीं है।

(2) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील प्रतापगढ़ में सिंचाई साधन बढ़ाना

375. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील प्रतापगढ़ में अब तक विभाग ने कितने बांधों व तालाबों का निर्माण किया है ? इन बांधों, तालाबों एवं परियोजनाओं से कितनी भूमि सिंचित हो रही है ?

(2) भविष्य में तहसील में सिंचाई के साधन बढ़ाने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में अब तक विभाग द्वारा तीन बांधों का निर्माण

(सिंचाई मंत्री)

करवाया है। इन बांधों से लगभग 1527 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती है।

(2) इसके लिए जन जाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नई योजनाओं का सर्वे किया जा रहा है।

तहसील कोलायत की जलप्रदाय योजनाएं

376. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील कोलायत की राणासर, सूरजड़ा, अंगनेऊ, रणधीसर की जल प्रदाय योजना पर 17 लाख रुपये व्यय हुए हैं?

(2) क्या गुड़ा जलप्रदाय योजना में ग्राम सूरजड़ा, अंगनेऊ, रणधीसर में चार वर्ष पूर्व एक बार पानी पहुंचाया गया और चार वर्षों में इन ग्रामों में कभी भी पानी इस योजना से उपलब्ध नहीं हुआ है?

(3) क्या विभागीय अधिकारियों की यह राय है कि उपरोक्त गांवों के पाइप लाइन का स्तर गलत किया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया गया? यदि नहीं, तो रुपये 17 लाख व्यय होने के उपरान्त इन गांवों में पानी नहीं पहुँचने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना गुड्डा पर मार्च, 79 तक 28.56 लाख रुपये खर्च हुए हैं, इस योजना के अन्तर्गत ही ग्राम राणासर, सूरजड़ा, अंगनेऊ एवं रणधीसर आते हैं।

(2) इस योजना में मार्च, 79 में पाइप लाइन का टेस्टिंग किया गया था। स्रोत में जल की कमी के कारण केवल ग्राम सूरजड़ा में ही पानी दिया गया था अन्य ग्रामों में नहीं।

(3) तकनीकी स्वीकृति के अनुसार योजना सही बनी हुई है। कोई जांच नहीं करवाई गई तथा किसी अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया। छोर के ग्रामों में पानी नहीं पहुंचाने का कारण शुरू के ग्रामों में पानी की अधिक खपत व स्रोत में पानी की कमी होना है।

प्रतापगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की सुविधाएं प्रदान करना

377. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या प्रतापगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों ने आवेदन प्रस्तुत कर रखे हैं? यदि हां, तो इन उद्यमियों को कब तक औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने की अनुज्ञा व सम्बद्ध आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी?

उत्तर

जी हां। प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों के प्रार्थियों को भू-खण्डों का आबंटन किया जा चुका है। क्षेत्र में विकास कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं एवं वर्ष 1982-83 तक क्षेत्र के पूर्णतया विकसित होने की संभावना है।

(30)

विद्युत मण्डल विंग अजमेर के ट्रकों की मरम्मत

378. श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर जिले के आर.एस.ई.बी. के डिविजन में किन-किन सब डिविजनों में कितने ट्रक कार्यरत हैं ?

(2) क्या इनमें कोई ट्रक खराब भी है ? यदि हां, तो कितने अर्से से ?

(3) इनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले के विद्युत् मण्डल के डिविजनों के विभिन्न सब-डिविजनों में 24 ट्रक कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. आर.ई.सी. सब डिविजनों में 4
2. ओ एण्ड एम सब-डिविजनों में 8
3. टी.सी.सी. सब-डिविजनों में 11
4. भण्डार नियन्त्रक सब-डिविजन में 1

(2) जी हां, पिछले कुछ अर्से से इनमें से 9 ट्रक खराब हैं।

(3) इनकी मरम्मत के लिये बोर्ड के नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जिला पाली में ईंट बनाने पर दिये गये नोटिस

379. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला पाली में तहसीलवार 1-1-77 से 11-7-80 तक किन-किन खातेदारों को ईंट बनाने पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानान्तर्गत कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने के नोटिस दिये गये व उन पर क्या क्या आदेश दिया गया ?

(2) क्या सरकार इस तरह की कार्यवाही को जनहित में उचित समझती है ? यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में कब तक उचित आदेश जारी कर देगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले में तहसीलवार 1-1-77 से 11-7-80 तक जिन-जिन खातेदारान को ईंट बनाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने के नोटिस दिये गये व उन पर जो आदेश हुए उनकी सूची तहसीलवार संलग्न है।

(2) खातेदारी भूमि पर ईंट बनाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नियम बने हुए हैं और उनके अनुसार ही नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जनजाति उप-योजना के तहत लाभान्वित आदिवासी

380. श्रीमती कमला (सागवाड़ा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में जनजाति उप-योजना के तहत विभिन्न विकास योजनाओं

(जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)
के तहत योजनानुसार वर्षवार कितना कितना व्यय हुआ है ?

(2) क्या इन विकास योजनाओं से आदिवासी लाभान्वितों की संख्या मालूम करने हेतु मूल्यांकन किया गया है ?

(3) यदि हां, तो इन विभिन्न योजनाओं के तहत वर्षवार कुल कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है तथा इनमें आदिवासी लाभान्वितों की कितनी कितनी संख्या है ? सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) यदि नहीं, तो क्या यह मान लिया जावे कि भारत सरकार के इन आदेशों की कि प्रत्येक योजना में 50 प्रतिशत आदिवासी लाभान्वित होने चाहिये पूर्णरूपेण पालना नहीं हो रही है ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जनजाति उपयोजना के तहत विभिन्न विकास योजनाओं के तहत योजनानुसार वर्षवार विवरण संलग्न है।

(2) इन विकास योजनाओं का मूल्यांकन मूल्यांकन संगठन, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है। एकत्रित होने पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) वान्छित सूचना प्राप्त होने पर ही इसका उत्तर दिया जा सकेगा। वैसे कुछ योजनायें ऐसी हैं जिनमें शत-प्रतिशत लाभान्वित परिवार आदिवासी ही है, किन्तु कुछ क्षेत्रीय विकास के ऐसे भी कार्यक्रम हैं जिनमें 50% का फार्मूला नहीं अपनाया जा सकता है जैसे माही योजना, सड़कें, पुलिया, सिचाई कार्य, शिक्षा, चिकित्सा, जल प्रदाय आदि।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

श्री भैरोंसिह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से गुजरात एवं राजस्थान के बीच सन् 1966 में हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के विपरीत केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात की सरदार सरोवर योजना को स्वीकृति देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इस विषय पर आज राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जा रहा है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : वक्तव्य देने के बाद में व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : इसी तरह से होता आया है प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। गवर्नमेन्ट को डाइरेक्शन दी गई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरकार को आपने डाइरेक्शन दे दी है। सरकार उचित समझे तो इस क्वेश्चन को हाउस में लाकर इसके ऊपर हाउस की ओपीनियन ले ले। गवर्नमेन्ट हाउस की ओपीनियन से अवगत हो जाएगी। यह एक माध्यम होगा ओपीनियन लेने का, तब तक आप अपना निर्णय सुरक्षित रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(32)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था हो चुकी है।

श्री गुलाबचंद कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि विभाग द्वारा लगभग 150 कृषि स्नातकों को दिनांक 1-6-77 से दिये गये 475 रुपये के ग्रेड को 18-6-80 से 375 रुपये के ग्रेड में कम करने के विषय में,

श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर क्षेत्र में रूपवास ग्राम से दो किलोमीटर दूर सिंहावली गांव के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत गिरने से एक छात्र की मृत्यु व 17 छात्रों के घायल होने के विषय मे,

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा पाइराइट्स पर आधारित खाद कारखाना सीकर में न लगा कर अन्यत्र लगाने की आशंका के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 20 जुलाई को जयसमन्द से उदयपुर जाने वाले एक रेत के ट्रक को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रोकने व मारपीट करने के विषय में,

श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में सिटी ट्रान्सपोर्ट की बसों की अव्यवस्था के विषय में,

सर्व श्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा सवाई माधोपुर में नलों से पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के विषय में,

श्री छीतर लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बामला तहसील बारां में डाक्टर व कम्पाउन्डरों की कमी के विषय में,

श्री राम रघुनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से मई माह में मेड़ता स्थित दुग्ध अवशीतन केन्द्र के लिये जनता द्वारा एकत्रित किये गये दूध का उपयोग न होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:–

सर्व श्री चुन्नीलाल जेलिया व हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर में क्षय रोग निवारण केन्द्र के रोगियों का वार्ड आबादी के बीच में होने के विषय में।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री मुश्ताक पुत्र इशाक निवासी बड़ू जिला नागौर के अपहरण के विषय में। इस विषय में जांच की कार्यवाही जारी है अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इनके अलावा श्री हीरालाल आर्य, श्री नाथूसिंह, श्री बालचंद आर्य ने भी स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है परन्तु ये मामले

(श्री अध्यक्ष)

बहुत ही साधारण है। इन पर मैं कोई व्यवस्था देना जरूरी नहीं समझता और इनको रिजेक्ट करता हूं। इन पर बोलने की इजाजत नहीं होगी। एक प्रस्ताव में तो यह कहा गया है कि बरसात से कीचड़ हो गई है।

एक अन्य प्रस्ताव में हरिजन बालक के बन्धवा होने की बात कही गई है, परन्तु उसका नाम, पता कुछ नहीं है। एक तीसरे प्रस्ताव में नन्दपुर गांव में स्कूल भवन की दीवार में दरार पड़ जाने की सूचना है। ये विषय अविलम्बनीय महत्व के नहीं हैं इसलिए इनके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। इनको रिजेक्ट कर दिया गया है।

ऑर्डर प्लीज।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था 30 तारीख को और चार तारीख को आपने निर्णय दिया था। आज पांच दिन हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें यह व्यवस्था है कि सरकार वक्तव्य दे। रोजाना एक-एक कर के वक्तव्य दिया जा रहा है। एक साथ सभी वक्तव्य नहीं हो सकते। जिनमें यह व्यवस्था दे दी गई वह एडजस्ट किए जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : जयसमन्द से उदयपुर जाने वाले रेत के ट्रक के सम्बन्ध में,

श्री हीरालाल आर्य (डग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। इस बारे में चर्चा करने की मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, 3 अगस्त को मेरे यहां पर डकैती पड़ी थी। आपने आदेश दिया था कि जल्दी ही वक्तव्य दिलाया जाएगा··

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप मेरे से मिलकर जानकारी ले लें।

श्री बालचन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों की जान माल को खतरा है। स्कूल भवन की दीवार में दरार पड़ गई है। वह बहुत जल्दी ही गिरने वाला है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मिल लें।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री बालचन्द आर्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, नन्दपुर स्कूल है···

श्रीमती उजला अरोड़ा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ ऑर्डर है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय गुलाब वाड़ी, जयपुर जी. ए. 188 प्लाट के निकट एक दूध का डिपो है। उसमें डेयरी का दूध आता है। सरकारी बूथ है वहां से यह घी की थैली मिली है। इसका वजन 900 ग्राम है जब कि एक किलो होना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
चाहिये। घी भी बहुत गंदा है। इतना अन्धेर है कि खाने की चीजें ऐसी दी जा रही हैं। वह भी सरकारी चीज है सरकार द्वारा दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : इसमें विधान सभा के किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता है।

श्रीमती उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार ठीक व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है तो सरकार छोड़ दे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोडा : सरकार को यह व्यवस्था···

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को उचित माध्यम से उठा सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोडा : यह सैम्पल है घी का। यह सरकारी डेयरी का है ···

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्या। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोडा : खाने की चीज है वह भी गलत है। सरकार गलत चीज देती है तो फिर सरकार के ऊपर भी कानून है या नहीं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, सदन का समय न लें।

श्रीमती उजला अरोडा : मैं यह सदन की मेज पर रखती हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, हमको उत्तर की जो कापी दी जाती है वह पढ़ने में नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई कठिनाई है तो मेरे से मिल लें। मैं उसमें सुधार करूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, दौसा तहसील में डकैती के संबंध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ····

श्री अध्यक्ष : वह सूचना के लिये भेजा था। इस संबंध में मैं आपको अभी नहीं बोलने दूंगा।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, जानकारी आती रहती है बराबर।

श्री नाथूसिंह : पांच दिन से नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं आयी है तो आप मुझसे मिल लें। ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : जब जयपुर से जानकारी पांच दिन में नहीं आयी तो बाड़मेर से आने में कितना समय लग जायेगा ? दौसा से

(श्री नाथूसिंह)
जानकारी नहीं आयी है। पुलिस के पास फाइल है। फाइल में डकैती पड़ी है यह···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, 3 तारीख को डकैती पड़ी है और 4 तारीख को हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द आर्य : वहां इससे बहुत आतंक फैल रहा है ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह अनुमति नहीं दूंगा। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित नहीं करें। माननीय सदस्य, यदि आप कोई सूचना चाहते हैं तो मुझसे चैम्बर में मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

ऑर्डर ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : सूचना आनी चाहिये 24 घंटे में और वह 4-5 दिन तक नहीं आती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : आंतक फैला हुआ है। लोग बाहर निकलते हैं नहीं एवं महिलायें··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। मुझे विवश होकर के नियमों में कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि···

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री दिनेश राय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, सार्जेण्ट के द्वारा बाहर भेज दीजिये। ये बराबर व्यवधान डाल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव पर जानकारी सरकार की तरफ से 24 घंटे में आ जानी चाहिये। या तो व्यवस्था कर दीजिये या इसको हटा दें।

श्री अध्यक्ष : जो सूचना 24 घंटे में आ सकती है उसके लिये सरकार से कहा जाता है। कई जगह ऐसी भी हो सकती है वहां से 24 घटे में जवाब आ नहीं सकता है तो उसके लिये समय देना पड़ता है···

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। यह नहीं हो सकता है कि 24 घंटे में जवाब आ ही जाय। बहुत दूर-दूर के इलाके हैं।

(व्यवधान)

(36)

(श्री अध्यक्ष)

यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यहां से भी आने में कोई दिक्कत है क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। आसन अपने पैरों पर है।

किसी माननीय सदस्य को यह कठिनाई है कि इसकी सूचना सदन में नहीं आयी है या अन्य कोई कठिनाई है तो आप मुझ से खुशी से मिल सकते हैं। क्या स्थिति है उसको स्पष्ट कर देंगे। इस तरह 10-15 दिन पहले की सूचना यकायक मैं कैसे दे सकता हूँ। जब कभी भी माननीय सदस्य आते हैं मैं नियमानुसार सूचना देने की कोशिश करता हूं।

इस तरह माननीय सदस्य जीरो आवर में व्यवधान डालें और कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने दें, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे इस संबंध में कड़े शब्द कहने पड़ रहे हैं। नियमों का पालन होना चाहिये। कायदे से सभी काम आसानी से हो सकते हैं। यह निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा नियमों को देख लें फिर इतनी परेशानी नहीं आयेगी।

श्री नाथूसिंह : आपने जो फर्माया, वह सही है। लेकिन यह जो मामला है, दौसा केवल 50 किलोमीटर दूर है।

श्री अध्यक्ष : आप मिल कर पूछ लीजिये। मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में बता दूंगा। रोजाना 20-25 स्थगन प्रस्ताव आ जाते हैं। आपको छूट मिली हुयी है। आप मुझसे मिल सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि क्या स्थिति है ? मैं ताकीद करता हूं अगर जवाब समय पर नहीं आते हैं उनको समय पर भेजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): निवेदन यह है कि सरकार डकैती के मामले में इतना तो कह ही सकती है कि डकैती डाली गयी है, सरकार सतर्क है। डाकुओं का पीछा पुलिस कर रही है। यह दो तीन बातें तो सरकार कह ही सकती है। मैं चाहता हूं कि सरकार कह दे तो गांव वालों को सन्तोष हो।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

(व्यवधान)

मैं प्रश्नोत्तर काल नहीं होने दूंगा मेरे और माननीय सदस्यों के बीच में।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा।

(व्यवधान)

सदन के नेता महोदय।

श्री जगन्नाथ पहाडिया (मुख्य मंत्री) : विपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही है उससे हम चिन्तित हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि सदन में जो सूचना दी जाती है उसका पता अपराधियों को चल जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में सूचना सदन को नहीं दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस बात से मैं सहमत हूं कि विधान सभा में कोई सूचना दें तो अपराधियों के पास पहुंच जायेगी। जो भी बात यहां कही जाएगी उसकी चाहे अपराधी हो चाहे अप-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राधी नहीं हो--सभी को जानकारी हो जाती है। यह तो सरकार का दायित्व है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जिन व्यक्तियों पर सन्देह हो उनके आप नाम बतायें। यह तो एक सीधी सी घटना है कि फलां तारीख को डाका डाला गया है। इतने डाकू थे। पुलिस सतर्क है। मैंने यह नहीं कहा है कि आप नाम बताइये। जिन अपराधियों की जानकारी दी जाये उनके संरक्षण का कोई प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा कह कर मुख्य मंत्री यह दायित्व नहीं लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को प्रतापगढ़ के कोलवी गांव में डकैती पड़ी जिसमें 2 आदमियों की मृत्यु हो गई। 3 तारीख को मैंने कहा था कि वहां क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव था, वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दो व्यक्तियों की पिटाई के सम्बन्ध में।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से 40 मील दूर एक बहुत बड़ी झील है जयसमन्द। उदयपुर और उसके आसपास के लोग वहां से रेत लाते हैं। वे लोग वहां से रेत लेकर ट्रक नं. 466 0 से आ रहे थे। उदयपुर से 7 मील पर जंगलात हैं वहां पर एक चौकी पड़ती है। जंगलात के कर्मचारी धोलकी पारी चौकी पर रहते हैं। जैसे ही उक्त ट्रक वहां से पास हो रहा था, उनको रोका गया। अध्यक्ष महोदय, उन दोनों को बुलाकर मारा पीटा गया। उनको कहा गया कि तुम्हारे ट्रक में डाडियां पड़ी हुई हैं। उनको ट्रक में बैठा कर गुलाबबाग के पीछे, जहां वन विभाग का कार्यालय है, ले गये। वहां पर उनको मारा पीटा और नोचा गया। उन्होंने कहा कि हमको पुलिस के हवाले कर दो। जब उन्होंने यह बात कही तो उनको कहा गया कि जब तक 500/- रु. नहीं दोगे तब तक तुमको नहीं छोड़ा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जंगल से लकड़ी नहीं तोड़ी। जिन लोगों ने यह काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जो मजदूर सूखी लकड़ी लेकर जाते हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं उनके नाम आपके सामने पेश करता हूं। ओंकारचन्द्र, ए. सी. एफ., वन विभाग उदयपुर, गुरुप्रसाद, ए.सी.एफ., वन विभाग, उदयपुर, गोविन्द प्रसाद, ए. सी. एफ. वन विभाग, उदयपुर, दौलतराम, वन विभाग, उदयपुर, प्रकाशचन्द्र पुरोहित, वन विभाग, उदयपुर, दिलावर खां, वन विभाग, उदयपुर, भास्कर वेदी, ड्राइवर, वन विभाग, उदयपुर, नाथूलाल, ड्राइवर, वन विभाग, उदयपुर, इन लोगों ने जंगलात विभाग के कार्यालय में बन्द करके उनको मारा है। इस तरह की ज्यादतियां होती हैं उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। इन लोगों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से 30 किलोमीटर सांगानेर ग्राम तथा 7 किलोमीटर पर पुर ग्राम है । भीलवाड़ा में तीन सिटी बसों के परमिट राज्य सरकार की ओर से जारी किए हुए हैं । तीनों बसें भीलवाड़ा शहर में होती हुई जाती हैं । उनमें इस तरह से आदमी चलते हैं, कहने का अर्थ यह है कि एक-एक बस में डेढ़-डेढ़ सौ और पौने दो सौ व्यक्ति तक सवार होकर जाते हैं । कितनी दफा तो गिर जाते हैं । कोई और दुर्घटना हो जाये, इसकी भी जोखिम हो जाती है । मेरा इस बारे में निवेदन है कि तीन सिटी बसों के लिए परमिट जारी किये जायं । सरकार जारी करने में कोई दिक्कत महसूस करती है तो सरकार को कोई दूसरी व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए । अन्यथा किसी दिन कोई अप्रिय घटना घट गई तो मैं समझता हूं कि पचासों आदमी मर जायेंगे । जो लोग जाते हैं वह इस व्यवस्था पर सोचते हैं । अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो तो मेरा निवेदन है कि सिटी बस के परमिट लेने वाले काफी लोग हैं उनको देना चाहिए । अगर नहीं लेते हैं तो रोडवेज की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(12.27 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

भीलवाड़ा क्षेत्र में काफी गांव भी आ गये हैं । अतः सिटी बसों में राहत की दृष्टि से राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था करे ।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा । पर्याप्त समय तक पानी नहीं मिलने के बारे में ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, सवाई माधोपुर नगर में पानी के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कई बार निवेदन किया गया है । देखा जाता है, सवाई माधोपुर नगर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है । 10-15 मिनट ही पानी मिलता है । पहली स्टोरी पर पानी नहीं पहुंच पाता है । सवाई माधोपुर को जो पानी दिया जाता है, वह सीमेन्ट फैक्ट्री के माध्यम से दिया जाता है सीमेन्ट फैक्ट्री पानी लेती है । जो वहां का लटिया नाला है वहां से नगर सवाई माधोपुर को पानी देते हैं । बनास का पानी आता है वह सीमेन्ट फैक्ट्री में सबसे पहले काम में लेते हैं । उसके बाद नोटिफाइड एरिया में वह पानी दिया जाता है । इसके बाद में जो पानी बचता है वह नगर सवाई माधोपुर में दिया जाता है । वहां के लोग आये दिन परेशान रहते हैं । सभापति महोदय, यहां तक कहा गया है कि जहां सवाई माधोपुर नगर में 22 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है उसके स्थान पर केवल 6 लाख गैलन पानी ही दिया जाता है । जिसमें से भी साढ़े तीन लाख गैलन नोटिफाइड एरिया को और 3 लाख गैलन नगर सवाई माधोपुर को दिया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दिया जा रहा है । जिस प्रकार से, सभापति महोदय, बड़े लोग नाश्ता करते हैं उसी प्रकार से नाश्ते के रूप में नगर सवाई माधोपुर में पानी दिया जा रहा है । इसलिए, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अगर लोगों को खाने को पूरा नहीं दे सकती तो पानी तो कम से कम पीने के लिये देवे, पानी की व्यवस्था तो करे । मैंने सरकार से पूछा तो माननीय मन्त्री महोदय

(श्री हंसराज शर्मा)
का जवाब आता है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस व्यवस्था का कोई अन्त तो होगा। व्यवस्था कर रहे हैं केवल यह कह कर ही रह जायं और उस पर कोई ध्यान नहीं दें, तो यह न्यायोचित नहीं है। अतः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर में पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु शीघ्र कदम उठाये जावें।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर काफी मात्रा में मीठे पानी के कुए भी हैं। चारों तरफ पहाड़ आये हुए हैं। उन मीठे पानी के कुओं में बिजली की मोटरें लगाई जावें और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पानी की कमी दूर की जाये।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, नगर सवाई माधोपुर में बरसात के समय में बीच में होकर एक नाला निकलता है, उसको रोकने के लिये लाखों रुपयों का खर्चा करना पड़ता है। हरिजनों की बस्तियों में उससे कटाव हो गया है। सभापति महोदय, यदि राज्य सरकार उसका सर्वे करावे और उस नाले की योजना बनाये, उसको बांधने का प्रयत्न करे तो नगर सवाई माधोपुर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है और एक-डेढ़ हजार एकड़ के एरिया में सिंचाई हो सकती है। सभापति महोदय, आज हालत यह हो रही है कि लोग नलों पर लड़ते हैं, माथे फूटते हैं। औरतें खाली घड़े लेकर घर लौटती हैं। घड़े फूटते हैं, जिससे कुम्हारों की कमाई होती है और लोग पानी को मोहताज रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : इसकी उचित व्यवस्था कराई जावे, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगर सवाई माधोपुर में पीने के पानी की मात्रा बढ़ाई जावे। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो वहां की जनता आपका आभार मानेगी।

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा मुख्य मंत्री पश्चिमी राजस्थान का रहा है जब कि अबकी बार माननीय मुख्य मन्त्रीजी पूर्वी राजस्थान से आये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विषयान्तर नहीं होवें। समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : क्षेत्रीय समस्याओं का ध्यान रखें, उनका समाधान करें। गंगा नगर का इलाका तो बहुत हरा भरा है, हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी निश्चित रूप से कोई सक्रिय कदम उठाकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री छीतरलाल आर्य।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): माननीय सभापति महोदय, ग्राम बामला तहसील बारां में डाक्टर व कम्पाउण्डरों की कमी के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। हमारे वहां पर पांच हजार की आबादी पर एक ही डाक्टर और एक ही कम्पाउण्डर है, जिससे मरीजों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो

(श्री छीतरमल आर्य)

सकती, बीमार आते हैं लेकिन उनका उचित इलाज नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक डाक्टर और दो कम्पाउण्डरों की वहां पर और व्यवस्था कराई जावे जिससे मरीजों का बहुत बड़ा हित हो। आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यह व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री राम रघुनाथ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर के लिए पानी के बारे में मेरा भी नाम था, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : हां आपका भी नाम था पर माननीय श्री हंसराज जी ने बहुत बुलंदी के साथ कह दिया है। आप भी दो मिनट बोल लीजिये।

श्री चुन्नीलाल : माननीय सभापति महोदय, शहर सवाई माधोपुर को जो पानी की सप्लाई होती है वह सीमेन्ट फैक्ट्री से होकर जाता है। सरकार का एग्रीमेन्ट 26 लाख गैलन का है जबकि शहर को केवल 2 लाख और 25 हजार गैलन ही मिलता है और बजरिया को 5 लाख 25 हजार मिलता है। टाउन को पानी दिया जाता है लेकिन जो मकान पहाड़ों में बने हुए हैं वहां पर पानी पहुंच भी नहीं पाता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों की बस्तियां हैं वहां पर पाइप लाइन नहीं है, न कोई सार्वजनिक नल ही है और जो लगा है वह भी नहीं के बराबर पानी देता है। एक-डेढ़ हजार की पापूलेशन है, एक पूरा मोहल्ला है और एक ही पी. ए. पी. नल है जब कि एक हजार की आबादी पर 2, 3 पी.ए.पी. होने चाहिये। इसलिए मेरा सुझाव है जो शहर को पानी मिलता है वह बहुत कम है। जो सीमेंट फैक्ट्री से एग्रीमेंट है उसके हिसाब से पानी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर को पानी दिया जाता है जो गन्दा नाला शहर से जाता है उसका पानी फिल्टर करके दिया जाता है। बनास का पानी फैक्ट्री को एग्रीमेंट के अनुसार दिया जाता है, होना यह चाहिए कि लटिया नाले का जो पानी है वह फैक्ट्री को सप्लाई किया जावे।

श्री सभापति : माननीय श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, नागौर जिले के मेड़ता सिटी में एक दुग्ध अवशीतन केन्द्र है उसमें हो रही अव्यवस्था के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केन्द्र कई दिनों से बन्द पड़ा था। वहां के मैनेजर ने सहकारी समितियों को सूचना दी है कि यह अवशीतन केन्द्र कार्य कर रहा है, इसलिए आप अपनी सोसायटियों को सक्रिय करके दूध इकट्ठा करके वहां भेजें। बंशीलाल ठेकेदार ने दुग्ध अवशीतन केन्द्र के पत्र क्रमांक 449-50, दिनांक 4-5-80 के द्वारा उनको यह कहा कि वह ट्रक लेकर सभी सहकारी समितियों से दुग्ध इकट्ठा करेंगे और दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर लायेंगे। इसके साथ ही जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनको बाध्य किया गया है कि आप अपने पथ का दूध इकट्ठा करके ट्रक वाले को दे दें और

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

दोनों को यह भी कहा है कि यदि ठेकेदार नहीं लाया तो ठेकेदार को हर्जाना देना पड़ेगा। और यदि समितियों ने दूध नहीं दिया तो उनको हर्जाना उठाना पड़ेगा । इसके बाद 5–5–80 से सहकारी समितियों ने दूध के संकलन का कार्य शुरू किया और ट्रक का जो पथ था उस पथ पर रखा, दिन भर इन्तजार किया लेकिन ट्रक वाले नहीं आये जिससे दूध नहीं उठा । इस तरह से सहकारी समिति में जो दूध इकठ्ठा हुआ था, वह खराब हो गया । वह कोई काम नहीं आया। उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन आ जायेगा लेकिन दूसरे दिन भी ट्रक नहीं आया । इस तरह से दो दिन का दूध खराब हो गया। जब जाकर वहां के मैनेजर को कहा कि आपका ठेकेदार आ नहीं रहा है और दूध का नुकसान हो रहा है इसलिए आप व्यवस्था करें । उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार नहीं आ रहा है तो उसका हर्जाना वह देगा हम व्यवस्था करेंगे। आप दूध का संकलन कीजिये । ठेकेदार वहां पर 16-5-80 को दूध लेने के लिए पहुंचा ।

मेरा निवेदन है कि 5–5–80 से लेकर 15–5–80 तक, 10-11 दिन वहां दूध का संकलन होता रहा है। वहां का जो मैनेजर है उसको शिकायत करते रहे, वह ऐसा कहता रहा कि दूध का संकलन करते रहो। न तो ठेकेदार आया और न मैनेजर के द्वारा व्यवस्था हो सकी । ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे-छोटे बेचारे कृषक थे उन पर बहुत भार पड़ता रहा। उनके बच्चे भूखे-प्यासे रह रहे हैं लेकिन वह आपकी योजना, जो डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत आती है, के लिए दूध देता रहा, दूध पहुंचाता रहा । जब उन्होंने बिल प्रस्तुत किया तो मैनेजर ने कहा कि आपको पैसा मिल जायेगा क्योंकि ठेकेदार को अभी तक दिया नहीं है । किन्तु अब वे यह कह रहे हैं कि यह आपको नहीं मिल सकता क्योंकि ठेकेदार ने मना कर दिया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 50–60 परिवार इसमें लगे हुए हैं जो दूध देते हैं उन सब में भय और डर व्याप्त है । अगर इस तरह से ठेकेदार···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

"पैसा नहीं देगा तो इनको नहीं मिलेगा। मैं, सभापति महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा । मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं लेकिन वे बातें कर रहे हैं । अगर वे सुनते तो इसकी व्यवस्था में थोड़ा सहयोग मिलता। मैं सहयोग की भावना से यहां पर बोलता हूं। उनको पैसा मिल सके, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप वहां पर व्यवस्था करें। इसमें 50-60 परिवार तो डायरेक्टली एफेक्टेड है क्योंकि उनका 4-5 हजार रुपया इसमें फंसा है । इसके अलावा अन्य जो अवशीतन केन्द्र हैं वहां भी भय व्याप्त है क्योंकि ठेकेदार कई बार वहां नहीं पहुंचता है। उनको पैसे के लिये समझौता करना पड़ता है और उनको पैसा मिलता नहीं है । तो यह व्यवस्था है मैं आपको पत्र की 3-4 लाइन पढ़ कर सुनाता हूं। जो वहां का मैनेजर है उसने 4-5-80 को लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि "अब पत्र वाहक द्वारा आपको पत्र भेजा जा रहा है। अतः आप तुरन्त प्रभाव से अपने पत्र से समस्त समितियों में सूचित करते हुए दुग्ध

(42)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
संकलन/परिवहन प्रारम्भ कर दें अन्यथा उनको होने वाले नुकसान के लिए आपका उत्तरदायित्व होगा।"

यह पत्र मैनेजर ने उस ठेकेदार को लिखा : इस तरह से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैनेजर पैसा नहीं दिलवा रहा है। जो गरीब लोग दूध देते हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें और उनका जो पैसा बकाया है 5-5-80 से 15-5-80 तक का, वह पैसा उनको दिलाया जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में आज्ञा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि आप बोल लीजियेगा। शायद आपको अनुमति मिलेगी।

श्री सभापति : आप बोल लीजिये। लेकिन बोलना आपको कम समय में पड़ेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : बून्दी जिले में माइनिंग लीज का कार्य होता है। बून्दी जिला एक पिछड़ा जिला घोषित हुआ है। वहां का एक मात्र उद्योग माइनिंग लीज का दोहन करने का है जो वहां कोटा और बून्दी के कुछ व्यक्ति करते हैं। दुर्भाग्य यह रहा कि गत 6 महीने से जनता शासन समाप्त होने के तुरन्त बाद में माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने मनमाने तरीके से इस प्रकार के मौखिक आदेश प्रसारित कर दिये कि माइनिंग लीज के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायें। 6 महीने से माइनिंग लीज के आवेदन-पत्र वहां पर स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं। एक माइनिंग ओनर को एक आवेदन-पत्र का 50 रुपये शुल्क देना होता है। अगर 120 रुपये के हिसाब से शुल्क ले लिया जाय और अगर 2 हजार आवेदन-पत्र प्रति छः मास में आते हैं तो इस आधार पर एक महीने में 350 हुए। 6 महीने में 2 हजार आवेदन के हिसाब से ढाई लाख रुपये का नेट नुकसान इस माइनिंग विभाग के बून्दी के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण राज्य सरकार को हुआ। अगर 2 हजार आवेदन-पत्रों में से एक हजार को भी स्वीकृति मिल जाये तो माइनिंग लीज की फीस एक आवेदन-पत्र की 4 हजार रुपये होती है और एक हजार आवेदकों की माइनिंग लीज की फीस जमा करके वहां पर दोहन का कार्य करने की स्वीकृति दी जाये तो राज्य सरकार को एक हजार के हिसाब से 4 हजार के पेटे से 40 लाख प्राप्त हो सकते हैं 6 महीने में। तो यह 40 लाख रुपयों का नेट नुकसान राज्य सरकार को कुछ सनकी व्यक्तियों के कारण से, कुछ गलत व्यक्तियों के कारण से बून्दी में हो रहा है।

मेरा निवेदन है कि वहां की माइनिंग लीज एसोसियेशन ने नोटिस दिया 20-6-80 को और 8-7-80 को कि राज्य सरकार ने जो आवेदन-पत्र देने के लिए रखा है उस आवेदन-पत्र को देने का प्रतिबन्ध 1–8–80 तक नहीं हटाया तो हम बड़ा संघर्ष करेंगे। उस डर के कारण ये यह सर्क्यूलर निकाला गया कि 1–8–80 से आवेदन-पत्र राजस्थान के नियम 5 के तहत प्राप्त किये जायेंगे। अब आवेदन-पत्र लिये जाने लगे हैं 1–8–80 से। उनके आन्दोलन के कारण, धमकी के कारण तुरन्त इस प्रकार का सर्क्यूलर निकाल दिया लेकिन इसके नीचे एक लाइन लिख दी है जिसमें लिखा है "परन्तु उनका निपटारा राज्य सरकार के आदेश पर होने के बाद ही किया

43

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जायेगा।" मेरा निवेदन है कि बून्दी जिला पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें अनेक प्रकार के पत्थर निकलते हैं, रंगीन पत्थर निकलते हैं उनको रोका गया है। इसके बाद अब आवेदन पत्र स्वीकार किये जा रहे हैं तो राज्य सरकार का ऐसा कौन सा आदेश है जिसके तहत उनको और भी लीज लेकर दोहन करने की स्वीकृति प्रदान न की जाये।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है माइनिंग लीज के फार्म लेने का उसके साथ ही नीचे जो लाइन लिखी है उसको समाप्त कर देवें। तुरन्त दोहन करने की स्वीकृति प्रदान की जाये और इसका निपटारा तुरन्त करें। वह अधिकारी कौन है, जिसके द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई? मेरा निवेदन है कि इससे करोड़ों रुपये का दोहन नहीं हो रहा है। अगर एक हजार तक को परमीशन मिल गई होती तो निश्चित रूप से वहां पर अच्छा उत्पादन होता पत्थर का। अच्छे स्थानों से अच्छे प्रकार का पत्थर राजस्थान को मिलेगा। राजस्थान सरकार को रायल्टी, सेल्स टैक्स आदि मिल सकता है। 40 लाख रुपये तो केवल माइनिंग लीज की फीस छूट गई। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करे। जिस अधिकारी के कारण राज्य सरकार को 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है उस पर विचार करते हुए उसको दण्डित करें। इसके लिये कोई आयोग बिठाया जाये तो अधिक अच्छा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ निश्चित पैसा बनाते रहने वालों ने उन स्थानों पर अपना कब्जा बनाये रखने की बात सोच रखी है। उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र, माननीय मंत्री जी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया था जिस पर व्यवस्था दी गई थी। इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाये।

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं तो बोलिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आपने व्यवस्था दी थी...

श्री सभापति : आप बोल लीजिये केवल 2 मिनट उससे ज्यादा नहीं। 2 मिनट के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था। कुछ दिन पूर्व में मुस्ताक निवासी बड़ू पुलिस थाना बच्चीपुरा नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था और उसका कत्ल कर दिया गया था। अपहरण करने के बाद उसका कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके कुएं में डाल दिये। सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है, दिन पर दिन हम सुन रहे हैं और पता लगता है कि अपहरण होते हैं उसके बाद कत्ल

(44)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कर दिया जाता है फिर भी राजस्थान सरकार चुप है, पुलिस निष्क्रिय है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह क्यों होता है, मैं इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था। जब तक लोकल पुलिस इन्वाल्व न हो तब तक मुल्जिम हिम्मत नहीं कर सकते इस तरह के जघन्य अपराध करने की। जब तक मुल्जिमों और अपराध करने वालों को पुलिस का सहारा मिलता है तब तक अपराध का पता लगाना मुश्किल होता है। इस आदमी मुस्ताक पुत्र इसाक ने 2140 रुपये विभिन्न लोगों से उधार लिए, जिसकी पूरी सूचना मेरे पास है। उसके साथ में कुछ उसके पास चांदी और बीबी के गहने थे। उसको पैसा इसलिए चाहिए था कि वह भेड़ों व बकरों का व्यापार करता था, कसाई है, व्यापार करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी। इस दौरान उसको श्रवण सिंह और खींव सिंह, जो उसके मित्र थे, मिले, उन्होंने कहा कि गहने गिरवी रखते हैं तो हम पैसे दिलवा दें। वह उसके साथ चले गए। जाने के बाद वह व्यक्ति लापता हो गया। चूंकि इस आदमी का काम भेड़े और बकरे खरीदना और व्यापार करना था, परिवार के सदस्य समझते रहे कि व्यापार करने के लिए बाहर चले गए है। जब वह महीने भर तक लौटकर नहीं आया तो उनको पता था कि वह श्रवण सिंह व खींवसिंह के साथ गया था। उनसे पूछा कि अंतिम बार वह तुम्हारे साथ गया था, तुमको कुछ पता है तो उन्होंने बताया कि हमारे पास मुस्ताक की दो चिट्ठियां आई हैं। उसने लिखा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं लेकिन मैं घर नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे घर वालों से नफरत है। मैं 2-4 लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"श्रीमान ठाकुर साहब खींवसिंहजी को मुस्तका मुजरा बचणाजी, मैं बहुत कुशलता से हूं। आप लोगों की कुशलता सदा ईश्वर से नेक चाहता हूं जी। आगे खींवजी का कौसा ने खुद बेहद खुश होकर निकला हूं मैं को इन लोगों ने बेहद तंग किया था। इस घर में मेरी इज्जत कुत्ते की जितनी भी नहीं थी इसलिए घर से निकल गया था अब नहीं आऊंगा सा" यह पत्र की फोटोस्टेट कापी है।

यह पत्र डाक से लिख कर खींवसिंह के नाम डाला गया। एक पत्र श्रवणसिंह के नाम और एक पत्र 29-3-80 को घर वालों के नाम लिखा जिसमें लिखा था:—"मैं घर नहीं आऊंगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत बेइज्जती की है। मैं चित्तौड़ में अफीम का धंधा करता हूं।"

इस तरह से तीन चिट्ठियां फर्जी, जिनकी फोटोस्टेट कापीज मेरे पास हैं, इन्हीं लोगों, श्रवणसिंह और खींवसिंह ने डाक में डालीं और खुद ने ही प्राप्त कीं। प्राप्त करने के बाद चिट्ठियां उसके पिता को दीं। जब उसके पिता को मिली तो उसको वहम हुआ। उसने खोज करना शुरू किया। खोज करने के बाद जब उसको पता नहीं लगा तो दिनांक 20-1-80 से लापता हुए आदमी की 9-4-80 को थाने में रिपोर्ट की और पत्रों की प्रतिलिपियां पेश कीं। थानेदार से कहा कि इस तरह से मुझे वहम है कि इन्हीं लोगों ने कत्ल किया है, आप पता लगायें। थानेदार ने कोई परवाह नहीं की और न ही उस

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मुकदमे को दर्ज किया। ये लोग फिर घूमते रहे। फिर मुंसिफ कोर्ट गए, थाने में जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई थी उसकी प्रति प्राप्त की····

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, दिनांक 16–5–80 को उनको जानकारी मिली कि कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। जब इतने जघन्य अपराध की बात दर्ज न हो तो इससे पता लगता है कि पुलिस कितनी निष्क्रिय है। फिर उसने मुन्सिफ कोर्ट को दरख्वास्त दी कि इस तरह मैंने पुलिस में रिपोर्ट की थी और मैंने सबूत पेश किया। मैंने स्पष्ट लिखा है कि इस तरह से उसकी हत्या की गई। तब मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया और 17–5–80 को थानेदार को भेज दिया। उस आदेश के बाद भी थानेदार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब फिर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया तो 25 से 27 मई, 1980 के बीच आई. जी., एस. पी. और यहां मंत्री महोदय को उन्होंने निवेदन किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब जाकर थानेदार ने मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद 20–6–80 तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि जो 17–5–80 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि मुकदमा दर्ज करें फिर भी 27–5–80 से 20–6–80 तक मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनट।

उसके बाद 20/6 को मुल्जिमों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रिमाण्ड लिया और मुल्जिमान को बिठा लिया क्योंकि उनकी सांठ गांठ थी, समझौता था। उन्होंने तार दिया। अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस (आई) परबतसर ने एस. पी. नागौर के नाम 25–6–80 को लिखा ;

"4 माह पूर्व हुई मुस्ताक की हत्या पर डीवाई.एस.पी. मकराना की निष्क्रियता से अभी तक परदा पड़ा हुआ है। कुए में से लाश बरामद नहीं की जा रही है।"

यह सबको पता था कि लाश कुए में है।

20–6–80 को मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और 25–6–80 को ब्लाक कांग्रेस (आई) ने तार दिया कि लाश बरामद नहीं की जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आपकी पार्टी के ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष ने तार दिया है पुलिस अधिकारियों को। उसके बाद भी निष्क्रियता। मुल्जिमों को साथ ले जाकर लाश बरामद नहीं की गई। लाश 27 तारीख को बरामद की गई। उसके बाद में न तो उसके कपड़े बरामद किए गए, न हत्या करने के औजार बरामद किए गए और न चांदी के गहने। मुल्जिमों को जुडिशियल लोक अप करा दी।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से अगर पुलिस निष्क्रिय है, आपके थानेदार भी जघन्य अपराध करने वालों के साथ मिल जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस देश में अपराध घट जायेंगे? ये बलात्कार के केसेज, जिनके लिए हम आए दिन सुनते रहते हैं, कम हो जायेंगे ? अगर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

पुलिस निष्क्रिय रही तो अपराध दिनों दिन बढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति की कब हत्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए जिस थानेदार ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी कार्यवाही नहीं की, मुल्जिमों को पकड़ने के बाद भी डीवाई.एस.पी. ने 6 दिनों तक लाश बरामद नहीं की, उन लोगों को सस्पेंड किया जाय। आप जांच कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ? इस निष्क्रिय पुलिस को लताड़ा जाए ताकि आइन्दा ऐसे जघन्य अपराध न हों।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। मंत्री महोदय।

श्री राम पाल उपाध्याय (उप मंत्री, उपनिवेशन) : सभापति महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 4 (5) राज/उप/77 दिनांक 19 मार्च, 1980 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर स्थित रेवेन्यू बोर्ड का राज्य के किसी अन्य शहर में स्थानान्तरण

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री विष्णु प्रकाश बजारी, श्री सी.एस.कंवरिया, प्रयाज महाराज, श्री गोविन्द सिंह, श्री भगवान दास शास्त्री, श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा अजमेर स्थित रेवेन्यू बोर्ड को राज्य के किसी अन्य शहर में स्थानान्तरित किए जाने संबंधी प्रस्ताव की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह : मैं बजारीजी के नोटिस पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप ध्यान आकर्षित कर दें उसके बाद मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूं कि जो आसन द्वारा व्यवस्था दी गई थी उसके अनुरूप. . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी ?

श्री सभापति : आप जाकर अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में बात कर लीजिए। आपके स्थगन प्रस्ताव पर जानकारी प्राप्त की गई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सोमवार तक ?

श्री सभापति : मैं कुछ नहीं कह सकता।

माननीय सदस्य, आप ध्यान आकर्षित करें।

श्री गोविन्द सिंह : जो राजस्व बोर्ड...

श्री सभापति : आप केवल ध्यान आकर्षित करेंगे। यह मसला ऐसा है जिसमें सरकार का ध्यान आकर्षित कर दें, मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाएगा।

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह, आप मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करें।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : सभापति महोदय, आज यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में लाने की क्यों जरूरत पड़ी ? सभापति महोदय, जब अजमेर का राजस्थान

(श्री गोविन्दसिंह)

में मर्जर हुआ उस वक्त केन्द्रीय सरकार ने राजधानी किस जगह पर रखी जाय। इसके लिए एक राव कमीशन बैठाया। इस कमीशन को यह तय करना था कि राजधानी को जयपुर में रखा जाय, कोटा में रखा जाय, अजमेर में रखा जाय या जोधपुर में रखा जाय। राव कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी उसके अन्दर राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही रखने का फैसला उसने दिया। अजमेर के अन्दर राजधानी न रख कर वहां पर बड़े बड़े विभाग जैसे रेवेन्यू बोर्ड का आफिस, बोर्ड आफ सैकन्डरी एजूकेशन का आफिस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का आफिस, डी. आई. जी. रेन्ज पुलिस का आफिस व आयुर्वेद डाइरेक्टोरेट का आफिस अजमेर में रखा गया। जोधपुर में हाई कोर्ट रखा गया। तभी से, सभापति महोदय, रेवेन्यू बोर्ड का आफिस अजमेर में है लेकिन, सभापति महोदय, जब जनता पार्टी का शासन आया और उसमें राजस्व मंत्री श्री पुरुषोत्तम मंत्री बने तब उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न उठाया कि कोटा में रेवेन्यू बोर्ड की बैन्च रखी जाय। इसी प्रकार उन्होंने दूसरी जगह जैसे जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में भी रेवेन्यू बोर्ड की बेन्च रखने का प्रस्ताव किया। यह भी उन्होंने कहा कि जहां पर कमिश्नर्स हैं जैसे कोटा में कैनाल कमिश्नर, जोधपुर में मरु विकास कमिश्नर, बीकानेर में राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कमिश्नर और उदयपुर में जन जाति विकास कमिश्नर उनको वहां पर एक्स आफिसियो रेवेन्यू बोर्ड का मैम्बर बना दिया जाये और रेवेन्यू बोर्ड की बेन्चेज वहां पर रख दी जायं। इस प्रकार की खबरें हम यदा कदा अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। उस समय अखबारों में भी यह मामला आया था। तो इस संबंध में अजमेर के कुछ लोग उस समय के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत से मिले। उन्होंने इस सम्बन्ध में भैरोंसिंह जी से मुलाकात की। मैं भैरोंसिंह जी का बहुत ही शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने राजस्व मंत्री जी को यह आदेश दिये कि इस तरह का कोई प्रस्ताव आपके विभाग के अन्दर अगर विचाराधीन हो तो जब तक इस मामले में केबीनेट से कोई निर्णय नहीं हो तब तक इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं करें। उस वक्त तो यह बात धीमी पड़ गयी लेकिन उसके बाद अभी अखबारों में यह प्रश्न खड़ा हुआ है। उसके द्वारा यह पता लग रहा है कि रेवेन्यू बोर्ड को खण्डित किया जा रहा है। सभापति महोदय, अजमेर को रेवेन्यू बोर्ड की बैंच विरासत में राव कमीशन द्वारा मिली थी। इसलिए राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर उन्हें यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई मामला हो कि अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड को खण्डित किया जाय और उसकी बैंचेज दूसरी जगह ले जायी जायं तो उसको न माना जाय क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड का आफिस अजमेर में रहे यह राव कमीशन का अवार्ड था और राज्य सरकार को राव कमीशन के अवार्ड की पालना करनी चाहिए।

श्री भगवान दास शास्त्री: सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में दिया जाता है तब एक माननीय सदस्य राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद में राज्य

(श्री सभापति)

सरकार का उत्तर आ जाता है। उत्तर आने के बाद अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं। पहले आप मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट आ जाने द उसके बाद में मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अवसर दूंगा। मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट आने के बाद इस पर डिबेट नहीं होगी।

माननीय मन्त्री जी द्वारा स्टेटमेन्ट।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्रीजी अपना वक्तव्य दें।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मन्त्री, राजस्व) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों के द्वारा रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए निवेदन करना चाहूंगा।

राज्य सरकार का ध्यान राजस्व मन्डल को खंडित करने की ओर आकर्षित किया गया है उसके सन्दर्भ में निवेदन है कि राजस्थान राजधानी जांच आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अजमेर में लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्व मण्डल के कार्यालय हस्तांतरित करना उचित होगा। राज्य सरकार ने उक्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए ही उक्त तीनों कार्यालय अजमेर में स्थानान्तरित कर दिये। यद्यपि राजस्व मन्डल का कार्यालय और पूर्ण बैन्च अजमेर में ही स्थापित है परन्तु राजस्व मन्डल की बैन्चेज का प्रश्न है वह राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के रूल्स 11 चेप्टर II के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों की जनता को सुलभ न्याय दिलाने तथा जन मानस का आदर करते हुए कार्यभार की अधिकता के कारण राजस्व मन्डल की सर्किट बैन्च समय समय पर अन्य स्थानों पर अपना कार्य सम्पन्न करती है जिसके लिये राज्य सरकार के आदेश हैं।

आसन के माध्यम से मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्व मण्डल की सर्किट बैन्च सन् 1972 से पूर्व उदयपुर, जोधपुर, कोटा व जयपुर लगा करती थी। कार्यभार कम होने के कारण राज्यादेश दिनांक 4·9-72 के द्वारा जोधपुर, उदयपुर, कोटा की सर्किट बैन्च समाप्त कर दी गयी केवल जयपुर में ही सर्किट बैन्च लगती रही क्योंकि जयपुर क्षेत्र के विक्रय कर के मुकदमे बड़ी संख्या में थे तथा वकील गण जयपुर में ही उपलब्ध होते थे। राजस्व संबंधी मुकदमे जयपुर में बहुत कम संख्या में सुने जाते थे तथा अब बिलकुल नहीं सुने जाते हैं।

राजस्व मण्डल की सर्किट बैन्च जोधपुर, उदयपुर में कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर समय समय पर तिथियां निश्चित कर अपनी बैठक करेगी। इस हेतु राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 29-8-77 को जारी की, इसके अनुसार जोधपुर-उदयपुर में भी कार्य करती है। जोधपुर बैन्च तीन माह में एक बार तीन दिन हेतु बैन्च लगाना तय है किन्तु बकुलाय को जोधपुर बैन्च सुविधाजनक नहीं होने से फिलहाल नहीं लगाई जा रही है। उदयपुर बैन्च हर तीसरे माह में तीन दिन लगाना तय है किन्तु पर्याप्त मुकदमे नहीं होते तो बैन्च नहीं लगायी जाती है।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जहाँ तक कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में मण्डल की सर्किट बैन्च लगाने का प्रश्न है यह मामला अवश्य राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजस्व मण्डल को जहां तक खण्डित करने का प्रश्न है उक्त व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है और जन भावना को देखते हुए और राजस्व वादों व बिक्री कर मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिये जो समय समय पर व्यवस्था की जाती है उससे राजस्व मण्डल खण्डित नहीं होता है परन्तु जनहित को देखते हुए ऐसा किया जाता है। इस संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से विचार कर अन्तिम निणय राज्य सरकार द्वारा लिया जायेगा।

श्री सभापति : श्री कंवरिया, अगर मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कहीं राज्य सरकार का यह फैसला तो नहीं है कि रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को खण्डित करके इसको अन्यत्र भेजा जावे ? इसलिये ही तो इसकी अस्थाई बैन्चेज अन्यत्र लगाने की बात नहीं है ? समय समय पर कई क्षेत्रों में ऐसी चर्चा होती है। अभी कुछ दिनों पहले अजमेर के एक दैनिक अखबार, दैनिक नवज्योति में यह खबर हमे पढ़ने को मिली कि रेवेन्यू बार्ड अजमर की बैन्चेज कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर व बीकानेर स्थायी तौर पर ले जाने का प्रश्न राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है। इस सबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह एक अच्छी बात नहीं है। राज्य सरकार का अगर यह फैसला है तो अच्छा नहीं है। जब राजधानी बनाने का प्रश्न आया था उस वक्त राव कमीशन गठित किया गया था। उसने यह फैसला दिया था कि रेवेन्यू बोर्ड का आफिस अजमेर मे रहेगा। इसके साथ दूसरे और भी कुछ आफिसेज वहां रखे जायेंगे। जब राव कमीशन के माध्यम से यह फैसला हो चुका था कि अजमेर में ही रेवेन्यू बोर्ड का आफिस रहेगा तब यह बैन्जेज ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्य श्री कंवरिया, आप भाषण नहीं दें। कोई स्पेसिफिक प्रश्न, पिन पाइन्ट प्रश्न हो। तो वह पूछें।

श्री सी. एल. कंवरिया : सभापति महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। क्या राज्य सरकार रेवेन्यू बोर्ड को खण्डित करके उसकी बैन्च को कहीं स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर अन्यत्र ले जाने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्द सिंह : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं जैसा कि मैंने बताया था, कमिश्नर्स हैं अलग डिविजन्स पर उन्हें एक्स आफिसियों रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य मानकर आप वहां पर रेवेन्यू बोर्ड की बैंच तो 12 ही महीनों के लिये शिफ्ट नहीं कर रहे हैं ? सभापति महोदय, जब जनता सरकार का शासन था उस

(श्री गोविन्द सिंह)

वक्त जो राजस्व मंत्री थे श्री पुरुषोत्तम मंत्री उन्होंने यह रखा था।

श्री सभापति : श्री भगवान दास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने साफ कह दिया कि राव कमीशन की देन है। जब राव कमीशन की देन है तो उसके खिलाफ कोई बात मानने के लिए शायद ही कोई सरकार तैयार हो। एक तो यह है। दूसरे आपने साफ निर्णय दे दिया कि उदयपुर, जयपुर और कोटा को महत्व दे रहे हैं लेकिन अपने अनुभव के आधार पर उदयपुर और उसके साथ ही साथ जोधपुर में कुछ निमित्त मात्र केसेज होने के कारण तीन-तीन माह जो बेन्चेज लगती थीं वह कैंसिल करने का विचार है। अजमेर राजस्थान का सेन्टर है, अंग्रेजों के जमाने से लेकर वह राजस्थान का प्रहरी रहा है। क्या यह सही है कि अजमेर सेन्टर में होने के कारण चाहे केसेज कहीं के हों, वहां जो मेम्बर्स हैं उनको सुविधा रहती है और अपना निर्णय वह अच्छी तरह से दे पाते हैं। उन्हें बार बार जोधपुर, गंगानगर और बीकानेर आदि स्थानों पर नहीं जाना पड़ता है। क्या यह सही है कि जब अजमेर राजस्थान में मर्ज हुआ तब से अजमेर को विरासत में मिली हुई चीजें हैं,तो अजमेर को आप सदा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। अजमेर के महत्व को तहस नहस आप करना चाहते हैं। वह पढ़ी लिखी जनता है। आफिसर्स वहां ऐसे भेज रहे हैं जो थके थकाये हों। पुलिस डिपार्टमेंट के आफिसर भी वहां की नदियों में पाप धोने के लिए आते हैं। तो क्या हम यह समझें कि अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आपने राजस्व मण्डल को खण्डित किया तो मैं चेलेन्ज करता हूं कि वह हमारी लाश के ऊपर खण्डित होगा।

श्री सभापति : श्री विष्णु प्रकाश बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जिस समय आप अपना वक्तव्य दे रहे थे···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप आसन के माध्यम से अपनी बात कहें, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : वक्तव्य दे रहे थे उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब आपकी सरकार थी तब उसके समक्ष यह विचार था। हमारी सरकार···

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य,

(1.14 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने निवेदन किया कि जो अभी राजस्व मण्डल है उसे खण्डित करने का हमारी सरसरकार का कोई इरादा नहीं है। इनकी सरकार के पास यह प्रश्न विचाराधीन था।

श्री सभापति : श्री सैय्यद अयाज महाराज।

श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय भैरोंसिंह जी के पास कोई प्रस्ताव था तो मैं आपके द्वारा गुजारिश करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह कह दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इसमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी का भी नाम आया है और यह कहा गया है कि उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव था। तो मैं आपके द्वारा यह गुजारिश करूंगा कि वह इस बारे में अपना वक्तव्य दें कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव उनके समय में रखा गया था ताकि इस सम्बन्ध में क्लेरिफिकेशन हो जाये।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि अजमेर को जो विरासत में यह चीज मिली है यह मैं बार-बार रिपीट करता हूं कि जो हमें विरासत में चीज मिली है उसे खोत मत लीजिए। आपने कहा कि खण्डित नहीं होगी, यह तो सुन लिया लेकिन जब आपकी बैन्चेज फेल्योर रहीं, उदयपुर में फेल्योर रही, जोधपुर में फेल्यौर रही तो फिर बैन्चेज का सवाल ही नहीं है।

श्री सैय्यद मोहम्मद अयाज महाराज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जनता पार्टी द्वारा रखा गया है और भैरोंसिंह जी ने तो मना किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गुजारिश कर रहा हूं कि माननीय सदस्य समझें कि मैं क्या कह रहा हूं? आप समझने की कोशिश कीजिए। आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अजमेर का हित है हमारा हित है। आप भी अजमेर के हैं और हम भी अजमेर के हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : मानीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में बेन्च इसलिए जरूरी है कि बांसवाड़ा से लेकर सारा आदिवासी एरिया उधर पड़ता है। गरीब आदमी अजमेर नहीं आ पाते हैं। इस लिए उदयपुर में बैंच का होना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय,

श्री रामपाल उपाध्याय (उपमंत्री, राजस्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों के विचारों का आदर करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं किन्तु जैसा मैंने राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों से उनको अवगत कराया है और जैसा उन्होंने राव कमेटी का सन्दर्भ बताया है राज्य सरकार इससे पूर्ण सहमत है।

श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज : अजमेर वालों का हित है इसलिये अजमेर वाले तालियां बजा रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि अजमेर वाले सारे एक साथ हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की कतई मन्शा नहीं है कि वहां से रेवेन्यू बोर्ड को अन्यत्र परिवर्तित किया जावे। जहां तक सर्किट बैन्चेज और उनके कैम्प लगाने का प्रश्न है जैसी सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात उठाई है इसी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

प्रकार के कई माननीय सदस्यों के विचार हैं। प ले भी इस बारे में काफी विचार-विमर्श इस सदन में हुआ है और राज्य सरकार ने विचार किया है। मैं समझता हूं कि जैसी उन माननीय सदस्यों की चिन्ता है वैसी बात नहीं है। मेरे पास 1979-80 और 80-81 के आंकड़े हैं उनके आधार पर मैं आपको निवेदन कर सकता हूं कि जयपुर में जो बैंच लगती है उसमे केवल सैल्स टैक्स के मामले ही निपटाये जाते हैं और रेवेन्यू का एक भी मामला नहीं निपटाया जाता है। उनकी सख्या काफी अधिक है। मैं समझता हूं कि इसके औचित्य को देखते हुए बाकी आंकड़े देखेंगे तो नगण्य के बराबर हैं। मैं उदाहरण के लिये निवेदन करता हूं कि जयपुर में 1979-80 में 10 कैसेज सिंगल बैंच में और 4 कैसेज डबल बैंच में लगे और 1980–81 में सिंगल बैंच में 4 और डबल बैंच में 5 केसेज लगे। जोधपुर में 1979–80 और 80–81 में एक भी नहीं लूंगा। इसी तरह से उदयपुर मे भी एक एक केस लगा है दोनों वर्षों में। जयपुर में केसेज लगे हैं तो केवल सैल्स टैक्स के लगे हैं 1979–80 में 243 केसेज निपटे हैं और 1980–81 में 247 केसेज निपटे हैं और उदयपुर में केवल एक निपटा है।

एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया इस सम्बन्ध में परम्पराओं के आधार पर हमारी जो पूर्व में सरकार थी उसके आदेशों के अनुसार अभी भी प्रचलित हैं लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं के बराबर है। वह यह प्रश्न है कि एक रेवेन्यू बोर्ड के माननीय सदस्य कहां जायें और उनके साथ बीकानेर जोधपुर, उदयपुर आदि के कमिश्नर एक्स-ओफिसियो मैम्बर की तरह से बैठें ताकि जनता को सुलभ न्याय मिल सके। इस प्रकार का एक प्रश्न है वह परम्परा आज भी चल रही है। इसके लिये मैं ना नहीं कह रहा हूं लेकिन यह कागजों में बात रह गयी है, इसकी कभी क्रियान्विति नहीं हो पाई है। मेरा यह निवेदन है इसको फिर से मैं आपको जोर देकर कहना चाहता हूं।

जैसा अजमेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि अजमेर को नष्ट करने की बात है, अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार है। ऐसी कोई राज्य सरकार की मंशा नहीं है। चाहे अजमेर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, किसी कमेटी द्वारा निर्णीत मामला है तो राज्य सरकार उससे बैक कैसे हो सकती है। सारे सन्दर्भों से स्पष्ट है कि समय समय पर जहां जहां इस प्रकार की सुनवाई हुई है, चाहे वह आदिवासी क्षेत्र हो या पूर्ववर्ती हो, या सुदूरवर्ती हो, चाहे रेगिस्तानी क्षेत्र हो वहां सस्ता न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से ऐसा किया जाता रहा है। मैं समझता हूं कि यह सारा राजस्थान के हित में है।

मैं सारांश में दो बातें कह कर समाप्त करूंगा। प्रथम अजमेर से रेवेन्यू बोर्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं है...

श्री गोविन्दसिंह : खण्डित करने का।

श्री रामपाल उपाध्याय : न खण्डित करने का प्रश्न है। केवल राजस्थान के सुदूरवर्ती, आदिवासी और रेगिस्तानी इलाके की जनता को सुलभ न्याय दिलवाने की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था समय

53

(श्री रामपाल उपाध्याय)
समय पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आदेशों के जरिये की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके सम्बन्ध में तीन सवाल करना चाहता हूं और वह इसलिये करना चाहता हूं कि जो राजस्व मण्डल है उसका 16 विभिन्न तरह के कानून के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार आता है। उन कानूनों के अनुसार राजस्थान में उच्चतम न्यायालय है विवादों का निपटारा करने के लिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं एक्सपर्टाइज डवलप करने के लिये और विशेषज्ञता का विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि राजस्व मण्डल के जो आदेश होते हैं उनके आधार पर, उनके इन्टरप्रिटेशन के आधार पर राजस्थान में जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका प्रशासन चलता है। एक्सपर्टाइज डवलप हो उसके लिये आवश्यक है कि अच्छी लाइब्रेरी हो, वकील समुदाय के लिये अच्छी लाइब्रेरी विशेष स्थान पर सिच्युटेड हो तो उसके आधार पर एक्सपर्टाइज डवलप होगा। जो विभिन्न कमिश्नर्स हैं वह इसके साथ जोड़ दिये जायेंगे तो एक्सपर्टाइज डवलप नहीं होगा। 16 कानूनों के अन्तर्गत जो जो अधिकार क्षेत्र हैं उन पर डिस्कशन, चिन्तन होना चाहिये और उसमें अच्छे वकील, जिनका अध्ययन है, का सहयोग होना चाहिये। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्व मण्डल में एक्सपर्टाइज को डवलप करने का विचार है? नम्बर एक।

दूसरे, जो सर्किट बैन्चेज लगाई जाती हैं, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उनमें लगाये जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को इसीलिये लगाया जाता है कि चिन्तन करके, मनन करके अपना निर्णय दें पर इसमें यह सामने आया है कि जाते हैं, दौरा करते हैं कारों से चाहे रेल से। उसमे जो वैल थोट आउट डिसीजन होना चाहिये वह नहीं होता है। उसका भी एक्सपर्टाइज डवलप होने में प्रभाव पड़ता है।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में विभिन्न कोर्टों में 12000 विवाद इस राजस्व मण्डल के अधीन विचाराधीन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि 9 सदस्यों का राजस्व मण्डल कई पेशियों के बाद फैसला देता है। बिना पेशियां बदले मुकदमों का जल्दी से जल्दी निपटारा करने के लिये क्या राज्य सरकार विचार रखती है? ये मेरे तीन सवाल हैं।

श्री राम पाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य एवं अन्य महानुभावों की चर्चा का कुल सारांश दिया गया है। इसके बारे में मैंने अपनी बात निवेदन की। जो तीन बातें रखी हैं, मैं समझता हूं उन तीन बातों से सरकार सहमत है। पहली बात उन्होंने कही, एक्सपर्टाइज डवलप हो या नहीं हो। मैं नहीं समझता, इस देश का कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि दक्षता विकसित न हो। निश्चित रूप से दक्षता विकसित होनी चाहिये, यह सरकार की मूल मन्शा है। दक्षता के अविकास की

(श्री रामपाल उपाध्याय)
सरकार की कोई मन्शा नहीं है। सरकार चाहती है कि दक्षता निरन्तर विकसित हो।

दूसरी बात सर्किल बैन्चेज में भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को लगाने की बात कही। मैं समझता हूं राजस्थान प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें दूर दराज बसे हुए लोगों की जो बसावट है उनको उनके यहां पर ही न्याय मिलने की बात है। राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग समय पर आदेश दिये गये हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यक्तियों को लगाया गया। पहले डबल बैंचेज भी थीं। यह एक प्रकार का प्रयोग किया गया था। मेरा अपना मानना है, प्रयोग के आधार पर जनता को राहत देंगे, ऐसा विचार रहा होगा। मैं समझता हूं इससे कोई एक्सपर्टाइज डवलप होना बंद नहीं हुआ। कोई एक चरण बढ़ा ही है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य हंस करके मौन स्वीकृति दे रहे हैं।

तीसरा 12 हजार केसेज रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन हैं, यह चिन्ता की बात है। जिन माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा चिन्ता व्यक्त की है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि 12 हजार विवादों का लम्बे समय तक अनिर्णित होना स्वयं में एक गम्भीर समस्या है और राजस्थान की जनता चाहे किसी क्षेत्र में बसी हो, के साथ न्याय नहीं है। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की बिल्कुल सक्रिय मन्शा है कि 12 हजार विवादों को शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी से जल्दी निपटाने की बात कर, कार्यवाही करें। मैं फिर से दोहराता हूं कि अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड को खण्डित करने की राज्य सरकार की कोई मन्शा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री गोविन्दसिंह : एक सवाल मेरा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल पूछा था कि 5 स्थानों पर कमिश्नर को एक्स-आफिसियो मैम्बर बनाकर बैन्च बनाने की योजना तत्कालीन जनता पार्टी राज के मंत्री, श्री पुरुषोत्तम मंत्री ने बताई थी क्या वह कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित की गई थी? अगर हां, तो मेरा निवेदन करना है कि उसको कागजों से निकाल कर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाये।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने पूर्व में स्पष्ट किया था भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो कमिश्नर हैं, को लगाने का प्रश्न था वह सरकार के विचाराधीन है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी, जो जयपुर में बैन्च आती थी उसके नियत दिन कम कर दिए गये हैं। उसमें बढ़ोतरी करने के बारे में विचार करने का विचार रखते हैं? सैल्स टैक्स के मामले पिछले 12 वर्षों से निपटाये जाते रहे हैं लेकिन जो नियत दिन थे उनमें कटौती करदी गई है। इस कारण सारे व्यापारी बड़े परेशान हैं। मैंने अलग से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं दिया है क्योंकि मुझे मालूम था यह आ रहा है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व के वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि जहां अधिक केसेज हो जाते हैं वहां समय बढ़ाना ही चाहिए। यह तो रेवेन्यू बोर्ड का काम है यह उनके लिए विचारणीय है कि कहां कितना कार्यभार है।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर उल्टी व दस्त की बीमारी से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य

इसमें नं. 2 पर जो वक्तव्य है वह पहले होगा और नं. 1 का मुख्य मंत्री को वक्तव्य देना है वह उसके बाद होगा।

स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1979-80 में राजस्थान बाढ़ एवं अकाल से जूझता रहा है। इन दोनों ही परिस्थितियों में पीने के स्वच्छ पानी की अनुपलब्धता, पौष्टिक आहार की कमी, गंदगी का कुप्रभाव सब पर पड़ा है। विशेष तौर पर बच्चों एवं गर्भवती माताओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इन कारणों से संक्रामक रोगों के हो जाने का दबाव बना रहता है। विशेष तौर पर बरसात के दिनों में गांवों में गंदा पानी पोखरों एवं तालाबों में एकत्रित होता रहता है और नर-नारी व बच्चे उसमें नहाते हैं, तब गन्दा पानी मुंह में जाने से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है जैसे कि अलवर के खैरथल क्षेत्र में, सीकर के फतेहपुर इलाके में, सवाई माधोपुर की खण्डार तहसील नाथद्वारा के नाथू का बास गांव में आंत्रशोथ अथवा हैजा का प्रकोप हुआ है। इससे यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि यह रोग महामारी के रूप में फैला अथवा मेडिकल विभाग इस पर नियंत्रण करने के लिए सक्षम नहीं रहा है। जयपुर में स्थापित कन्ट्रोल रूम से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न शहर/ग्रामों में इस रोग से 567 रोगी ग्रसित हुए, 54 रोगियों की मृत्यु हुई है।

खैरथल क्षेत्र में 31-7-80 से 3-8-80 तक 6 स्त्री-पुरुष, बच्चे प्रभावित हुए व एक की मृत्यु हुई। खैरथल में बीमारी की रोकथाम हेतु 1792 रोग निरोधक टीके लगाये जा चुके हैं, 14 कुओं में ब्लीचिंग पाउडर से शुद्धिकरण किया गया और पीने के पानी के घड़ों के लिये क्लोरीन की गोलियों का वितरण किया गया।

ग्राम नाकचपुर, जिला अलवर में 9 उल्टी दस्तों के मरीज 30-7-80 को पाये गये इनमें से दो व्यक्तियों की मृत्यु विभाग को सूचना प्राप्त होने से पूर्व हो गई थी। स्वास्थ्य दल द्वारा इस ग्राम में 135 रोग निरोधक टीके लगाये, 4 कुओं का जल शुद्धिकरण किया गया।

ग्राम सैथलका, जिला अलवर में 2-8-80 को 3 केस उल्टी दस्तों के पाये गये इनमें से एक की मृत्यु विभाग की जानकारी में है। इस ग्राम में भी 4 कुओं के पानी का शुद्धिकरण किया गया, 103 टीके लगाये गये। इस ग्राम की आबादी करीब 350 है। चिकित्सा दल कार्यरत है।

सीकर के फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम ताजसर में 22 रोगी उल्टी दस्तों के 15-7-80 से 22-7-80 के दौरान पाये गये इसमें से 5 की मृत्यु होना बताया गया। विभाग को जानकारी मिलते ही चिकित्सा दल सीकर मुख्यालय से प्रस्थान किये गये। बीमारों का उचित उपचार किया, 3500 टीके लगाये गये। 35 कुओं का जल दवा डालकर शुद्धिकरण किया गया। अब इस ग्राम में कोई नया रोगी नहीं पाया गया है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रोग पर विभाग द्वारा शीघ्र नियंत्रण पा लिया गया। विशेष टीमें भेजी गईं, कुओं में क्लोरीन डाली गई, नालियों में ब्लीचिंग पाउडर डाला गया, रोग निरोधक टीके लगाये, रोग ग्रसितों का मुफ्त उपचार किया गया और शीघ्र नियंत्रण पा लिया गया। फिर भी जिले के मुख्यालय पर एवं जयपुर में नियंत्रण कक्ष स्थापित हैं। इनमें आपस में सम्पर्क बना रहता है तथा विशेष दल जो गठित किये गये हैं उन्हें राजस्थान के किसी भी स्थान पर शीघ्र सूचना मिलने पर भेज दिया जाता है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेडिकल विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सजग हैं, तत्पर हैं तथा स्वयं इस ओर चिन्तित हैं और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय मंत्री महोदय ने जानकारी दी है, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जानकारी बिलकुल गलत है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं खैरथल में जो 2-3 आदमी बताये वह गलत है, राजस्थान पत्रिका में छपा दिया था कि 25-25 आदमी खैरथल में बीमारी से मर गये। वहाँ के सी. एम. एच. ओ. ने यह भयंकर विचित्र बीमारी बताई है, संक्रामक बीमारी बताई है। यह कोई हैजा नहीं है। इसके नमूने जांच के लिये एस. एम. एस. हॉस्पिटल में भेजे गये हैं। अभी तक कोई नहीं बता पाया कि बीमारी क्या है। कांग्रेस के जो वहां के अध्यक्ष हैं उन्होंने समाचार दिया है, कल का स्टेटमेन्ट है कि 42 बच्चे इस बीमारी से मर चुके हैं। अभी तक बीमारी की रोकथाम नहीं हुई है। इसी प्रकार माननीय मंत्री कहना भूल गये नाथद्वारा में भीजापुर गांव में 7 बच्चे मर गये, सीकर में मर गये, सीकर की लक्ष्मणगढ़ तहसील में मर गये, ढांगरा में मर गये। जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार कम से कम 93 बच्चों की मृत्यु के समाचार हैं, यह स्टेटमेंट जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बीमारी है जो पहली बार संक्रामक रूप से फैली हुई है। सम्पूर्ण राजस्थान में फैलने की सम्भावना है डाक्टरों ने चेतावनी दी है कि यह हैजा नहीं है। अब कौनसी बीमारी है, यह तो डाक्टर भी पता नहीं लगा पाये। 2-3 उल्टी होते ही बच्चे समाप्त हो जाते हैं। न अभी तक इसके लिए कोई कन्ट्रोल रूम ही स्थापित किया गया है और न ही कोई अस्पतालों में इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। इस भयंकर बीमारी से राजस्थान ग्रस्त होने वाला है, अभी तक किसी प्रकार के टीके लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है ताकि राजस्थान के दूसरे हिस्सों में न फैले। यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है, मानवता से सम्बन्धित है। मैं निवेदन करूंगा अलवर, सीकर, सवाई माधोपुर, उदयपुर आदि जिलों से राज्य सरकार को समाचार मिल चुके हैं किन्तु इसको नियन्त्रण करने के कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं। वर्षा से पहले कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डलवाना चाहिये था वह भी नहीं डलवाया गया है। सीकर जिले के ढांगरा गांव में 6 बच्चों की मृत्यु हो गई तब कुओं में ब्ली-

(श्री घनश्याम-तिवाड़ी)

चिग पाउडर डाला गया है। जो काम रोगों के फैलने से पहले करना चाहिए था वह कई गांवों में मृत्यु होने के पश्चात् भी नहीं किया जा रहा है। सरकार को शिकायत के बहुत बड़े प्रमाण भी मिल चुके हैं। मेरा निवेदन है यह बच्चों की जिन्दगी का सवाल है, भयंकर रोग फैलने का सवाल है। डाक्टरों की समझ में नहीं आया कि कौनसी चिकित्सा की जाय मंत्री कह रहे हैं टीके लगाये गये हैं। डाक्टरों का मन्तव्य स्पष्ट है कि यह भयंकर संक्रामक रोग है। उन्होंने इस रोग की जांच करने के लिए नमूने भी भेजे हैं। उसकी जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी, यह सी. एम. एच. ओ. का स्टेटमेंट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय बतायें कि जो नमूने भेजे हैं उनकी जांच से कौनसा रोग पाया गया है? जो रोग राजस्थान के चार जिलों में फैला हुआ है उसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था की गई है? दूसरे जिले इस भयंकर बीमारी से बचे रहें इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? और आगे न फैले, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार स्पष्ट रूप से बताये।

श्री अध्यक्ष : श्री जीत मल जैन।

श्री जीत मल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। शायद ब्यूरोक्रेसी ने जो कुछ लिख कर दे दिया, उसी पर विश्वास कर लिया है। मैं तीन दिन पहले ही अलवर से आया हूं। मंत्री महोदय का यह फर्माना है कि जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था कर दी गई है। यह व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। खैरथल, मंडावा, मन्डोली आदि सभी गांवों में मृत्यु की सूचनाएं मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा, झूठी खबरें देकर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको रोकने का प्रयत्न करें।

जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, इस सम्बन्ध में मैं भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि खैरथल के जो डाक्टर हैं उनका कहना है कि बीमारी क्या है वे इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंच सके हैं। सरकार का कर्त्तव्य था कि जल्दी से जल्दी इस भयंकर बीमारी का पता लगाया जाता कि कौनसा ऐसा भयंकर रोग है। कौनसा भयंकर रोग निकला है उसकी सरकार की ओर से रोक थाम की जाती। मेरा मानना है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार अत्यन्त लापरवाही बरत रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है नाथद्वारा का मालूवास गांव जहां 6 व्यक्ति मर गये, उस जगह पर मैं गया हूं। उदयपुर के जिलाधीश ने और राजस्थान पत्रिका ने स्टेटमेंट दिया है कि नाथूवास में 6 आदमी मर गये किन्तु जिलाधीश को यह मालूम नहीं कि नाथूवास कहां है और मालूवास कहां है? माननीय चिकित्सा मंत्री आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई नहीं मरा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी रखा है कि नाथद्वारा में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि 29 तारीख के पूर्व ही 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। पटवारी के थ्रू जिलाधीश महोदय को सूचना दी गई है।

(श्री सी. पी. जोशी)

कि मालूवास में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। उदयपुर के जिलाधीश के पास गया। उन्होंने कहा कि नाथूवास में मृत्यु हुई। मैं वहां से तहसीलदार को लेकर नाथूवास गांव में गया। वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं मरा। यदि सरकार के अधिकारी इस तरह अपने क्षेत्र को उपेक्षित रखें और 6 आदमी मर जायं तो यह कौनसा तरीका कहा जायगा? 6 आदमी एक गांव में भयंकर रोग से मर गये और सरकार मौन बैठी है। आपने हर बी. डी. ओ. को जीप दे रखी है फिर भी जब मैं दो तारीख को पहुंचा तो कोई अधिकारी आपका वहां नहीं पहुंचा था। हम किस तरह की उनको सहायता देना चाहते हैं, यह बात तो दूर रही बल्कि गलत स्टेटमेंट मंत्री महोदय की ओर से दिया जा रहा है। आज यह संक्रामक रोग जगह जगह फैलता जा रहा है। जिला मुख्यालयों पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है–खैरथल, नाथद्वारा, उदयपुर, सीकर जिलों के प्रशासन का सरकार इस बीमारी की ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी, कोई दबाव नहीं डाल सकी, यह शिथिलता इस सरकार की कही जा सकती है। कोई आदमी भयंकर बीमारी से मर जाय तो मानवता के नाते अधिकारियों का कर्त्तव्य यह जानकारी करने का होना चाहिये कि मरने वाले की क्या आर्थिक स्थिति थी और क्या सहायता हम उसके परिवार को दे सकते हैं? इस पर विचार करना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा मंत्री जी को स्टेटमेंट देने से पहले सही सूचना एकत्रित कर लेनी चाहिये थी। बिना सही सूचना के वक्तव्य दे देना कि कोई नहीं मरे, सरासर गलत है। 6 आदमी वहां मरे हैं। आप इसकी ठीक से जांच करवा लीजिये और उसकी रोकथाम के तुरन्त उपाय कीजिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं सरकार यह जानकारी करे कि जो व्यक्ति इस भयंकर रोग से मरे हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है या नहीं, और ठीक नहीं है तो उसकी सहायता करने की जिम्मेदारी को भी सरकार को वहन करना चाहिए और कहना चाहिए कि मरने वालों के परिवार की इस प्रकार सहायता की जायगी। लेकिन वक्तव्य में इस प्रकार का एक भी शब्द नहीं।

दूसरा मेरा निवेदन है जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है सूचना मिलने पर भी जो अधिकारी नहीं गये उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके राज्य सरकार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का उदाहरण प्रस्तुत करें कि भविष्य में इस तरह की घटना हो तो इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सी. पी. जोशी : ताकि भविष्य में वे सतर्क रहें।

एक मेरा निवेदन यह भी है कि जो सूचना दी गई है उसमें यह भी एड करें कि मालूवास में 6 मृत्यु हुई हैं। जिसमें 4 तो व्यक्ति हैं, एक बच्चा है और एक वृद्ध है। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है और राजस्थान पत्रिका में स्टेटमेन्ट दिया है कि नाथूवास गांव में व्यवस्था कर दी है तो कम से कम उन प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाय कि पब्लिक में इस तरह के स्टेटमेन्ट देकर पैनिक न फैलावें।

(श्री सी. पी. जोशी)

मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी ऐसी स्थिति हो, पूर्व में ही अनुभव हो जाय कि पानी की बीमारी से लोग मरते हैं तो तुरन्त आवश्यक व्यवस्था करें, डाक्टरों को हम कहें कि समय पर वहां जायें। जिस गांव में लोग मरे उस गांव में डाक्टर 2 तारीख तक पहुंचे नहीं हैं। अखबारों में निकला कि सी.एम.एच.ओ. वहां पहुंच गये हैं, जिला मुख्यालय में काम हो रहा है। श्रीमान्, मैं वहां गया हूं 2 तारीख की रात को ग्यारह बजे तक उस गांव में डाक्टर नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार के ध्यान में यह बात आ जाय कि रोग संक्रामक रूप से फैल रहा है तो राजस्थान के सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था की जाय, पानी के परीक्षण की और अधिकारियों की रिपोर्ट पर रिलाई नहीं किया जाय। दूसरी चीज यह है कि यदि उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। और चौथी चीज, जो लोग मरे हैं, उनके परिवार को टोकन मुआवजे के रूप में और सिम्पैथी के रूप में हम कुछ दें तब जाकर हम यह कह सकेंगे, लोगों को यह विश्वास दिला सकेंगे कि सरकार कुछ कर रही है।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, नाथूवास के सम्बन्ध में अखबारों का जो स्टेटमेन्ट था उसी के आधार पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। मुझे इस बात का अफसोस है कि स्थगन प्रस्ताव पहुंच जाने के बाद भी आज तारीख तक सरकार यह पता नहीं लगा सकी कि वास्तव में वह नाथूवास है या मालूवास है। माननीय सदस्य की कान्स्टीट्यूएंसी का सवाल है। वहां वे होकर आये हैं। इसमें जिलाधीश का बिल्कुल स्पष्ट स्टेटमेन्ट है, एक तारीख को स्टेटमेन्ट जिलाधीश महोदय जो दे रहे हैं, उसके कुछ वर्डिंग मैं आपको पढ़ देता हूं, इससे उनकी काबलियत का नमूना आपको पता लगेगा कि किस तरह से बेरहमी से इस प्रकार की बीमारी फैल जाने के बाद भी उनका यह स्टेटमेन्ट है। श्रीमान्, जिला नाथद्वारा क्षेत्र के नाथूवास गांव में फैल रही विशेष प्रकार की बीमारी से अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो जाने के समाचार मिले हैं, अधिकृत जानकारी के अनुसार बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए उदयपुर से चिकित्सकों के 3 दल मौके पर रवाना हो गये। श्रीमन्, यह एक तारीख का स्टेटमेन्ट है। माननीय सदस्य वहां जाकर आये हैं, उनका कहना है कि दो तारीख तक कोई आदमी वहां नहीं पहुंचा। लेकिन जिलाधीश ने स्टेटमेन्ट में दल को पहुंचा दिया। श्रीमन्, इसके आगे और लिखते हैं बड़ा अजीब है, "उदयपुर के जिलाधीश सी. एस. मिनास ने पत्रिका को बताया कि नाथूवास क्षेत्र में यह बीमारी पिछले कुछ दिनों से फैल रही है।" मतलब यह है कि उनको जानकारी इससे पहले से थी, वे स्वयं अपने स्टेटमेन्ट में कह रहे हैं कि एक बीमारी गांव में कुछ दिन पहले से चल रही थी। तब तक क्या वह सो रहे थे? बीमारी के प्रारम्भ में पेट में दर्द होता है, उसके बाद दस्त होते हैं और उसके बाद बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिलाधीश ने लिखा कि चिकित्सक इस बीमारी को आन्त्रशोथ बताते हैं तथा इससे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अब तक 6 व्यक्तियों के मरने की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जिलाधीश ने बताया कि इस बीमारी पर काबू पाने के लिए जिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग को आज ही विशेष निदेश दिये जा रहे हैं। ऐसा स्टेटमेन्ट दे रहे हैं कि वहां 3 दल पहुंच चुके हैं, आगे वही आपने स्टेटमेन्ट में कह रहे हैं कि आज दल को रवाना किया जा रहा है। इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाय। दूसरा अफसोस इस बात का है कि स्थगन प्रस्ताव देने के बाद भी, आपके द्वारा व्यवस्था हो जाने के बाद भी कि सरकार को जानकारी देने के लिए भेजा है सरकार का जो आज उत्तर आया इससे जाहिर है कि जिलाधीश के साथ मंत्री महोदय सो रहे थे। उधर जिलाधीश सो रहा था, इधर ये सो रहे थे, और लोग मर रहे हैं। आप चौकन्ने रहें ताकि इस प्रकार की घटनायें न हों, आपके विभाग में कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपको कम से कम कटिंग करके फाइल में लिख कर दे...

श्री अध्यक्ष : विस्तृत चर्चा नहीं, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन्; वास्तव में इतना बड़ा विभाग लेकर बैठे हैं आपके कर्मचारियों के ध्यान में इस प्रकार की घटनायें आती हैं उसका कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की घटना, यह तो ठीक है, हमने अखबार पढ़ा तो हमने रख दी, नहीं तो शायद हम भी सो जाते तो राजस्थान सो जाता,......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद !

श्री महावीर प्रसाद (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, क्या उस जिले में 6 लोगों की मृत्यु हुई। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अखबार में भी आया है कि 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। केवल सांखना में 20 व्यक्ति मरे हैं। सांखना में जो काम कर रहे थे फूड फार वर्क्स में, उनमें से 4 मजदूर केवल सांखना, जो टौंक की तहसील में हैं, में और एक गांव और है वहां पर मजदूर मर गये। 20 व्यक्ति केवल टौंक में मरे हैं। यह सही है कि 6 व्यक्ति अस्पताल में मरे लेकिन 6 व्यक्तियों के अलावा कुछ लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी और वे घर जाकर मरे हैं। इस प्रकार 20 व्यक्ति केवल टौंक में मरे हैं। यह समाचार गलत है। इसके बाद यह ठीक है कि हम जब जिलाधीश महोदय के ध्यान में लाये। उसके बाद सी. एम. एच. ओ. ने व्यवस्था की और वहां की गंदगी को कन्ट्रोल किया। सरकार को इस बारे में स्थगन प्रस्ताव भी मैंने दिया था कि बस्तियों में गन्दगी के कारण और गंदी सब्जियों के बिकने के कारण बहुत भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उसका क्या जवाब देती है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री गोविन्द सिंह। संक्षेप में।

श्री गोविन्द सिंह : मैं तो एक बहुत छोटा सा सवाल आपके माध्यम से माननीय

(श्री गोविन्दसिंह)

मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह बीमारी इन्फेक्सियस डिसीज है? अगर संक्रामक रोग है तो इसको रोकने के लिए, दूसरे जिलों में यह न फैले, उसके लिए क्या किया गया है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। हर साल जब कभी बरसात का मौसम आता है, उस समय पानी के पोल्यूशन की वजह से, पानी में खराबी की वजह से आम तौर से गांवों में इस तरह की बीमारी हर साल होती है, यह कोई नई बात नहीं है। यह बीमारी है, इसके बारे में कहा गया है कि यह क्या बीमारी है? दरअसल पहले भी यह बात कही गयी है कि उल्टी और दस्त जब होते हैं तो एग्जामिनेशन होता है। इससे डिसीज में फर्क पड़ता है। यह कहते हैं कि आन्त्रशोथ की बीमारी है। उसी को हैजा नाम दे दिया जाता है, उसका प्रैक्टिकल कोई डिफरेन्स नहीं है। उसको कोई नाम नहीं दिया गया क्योंकि उसका कोई पता नहीं लगता है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाय कि सरकार क्या व्यवस्था करेगी…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री राम किशोर मीणा।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, ये विरोधाभास है। पहले कह रहे हैं कि संक्रामक रोग है, अब कह रहे हैं संक्रामक रोग नहीं है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैंने पहले कहा है कि आम तौर पर बरसात के दिनों में इस तरह की बीमारी हो जाती है, यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। उसकी देखरेख के लिए हमारी सारी व्यवस्था है। यह हो सकता है कि राजस्थान के गांव बहुत दूर हैं, जब उसकी सूचना मिलती है तो उस सूचना के मिलने के बाद ही कार्यवाही की जाती है हरएक गांव में तो बीमारी फैलने का अंदेशा होता नहीं है। जहां जहां की सूचना प्राप्त हुई वहां पहुंचने की व्यवस्था की गयी है। खैरथल के बारे में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह कल भी मेरे पास आये थे और परसों भी मेरे पास आये थे। वहां के वाइस प्रेसीडेन्ट और प्रेसीडेन्ट भी मुझसे मिले थे। उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि वहां कोई इस तरह को बीमारी, संक्रामक बीमारी की बात नहीं है। डाक्टर गुप्ता भी…

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जिलाधीश का स्टेटमेंट है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : आप खबरों पर, अखबारों की बातों पर विश्वास मत कीजिये। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। डाक्टर गुप्ता से भी मेरी बात हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। बाधा उपस्थित न करें।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि संक्रामक बीमारी नहीं है, यह बीमारी तो आम तौर से पानी के पोल्यूशन से हो जाती है। उसको रोकने के लिए पानी शुद्ध करते हैं जो गलत चीजें हैं खाने पीने की, उनको नष्ट करा देते हैं और गोलियां बांट देते हैं। उससे बीमारी कन्ट्रोल में है। खैरथल में या जहां कहीं भी माननीय सदस्य कह रहे हैं, वहां कोई ऐसी बात नहीं है। आज सी. एम. एच. ओ. भी यहां आये हुए थे। मैंने उनसे पूरी जानकारी की। वहां के बहुत से लोग मुझसे मिले। वहां कोई इस तरह की बात नहीं है। माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस गांव की बात कही गया है वह मोरवास है या नाथवास है, इस बारे में स्थगन प्रस्ताव आया हुआ है उसकी जानकारी करने के लिए खास तौर से एक आदमी यहां से डेप्यूट किया गया है। जैसे ही जानकारी मिल जायेगी वैसे ही यहां जानकारी दे दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं लेकिन यह आज भी स्पष्ट नहीं कर सकते कि नाथवास है या मोरवास है। आप कह रहे हैं कि जानकारी के लिए डाक्टर भेजा है। कलेक्टर स्टेटमैण्ट दे रहा है और मिनिस्टर साहब हाउस में स्टेटमेन्ट दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जो स्टेटमेन्ट दे रहा हूं इससे अलग स्टेटमेन्ट में···

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बता दीजिए। माननीय सदस्य ने आपसे बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा है कि ये जो मृत्यु हुई है, ये नाथवास में हुई है या मोरवास में हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि नाथवास या मोरवास के स्थगन प्रस्ताव का आज दिन नहीं है।

(व्यवधान)

मैंने अर्ज किया है। इसमें संदेह नहीं है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस बीमारी का किस प्रकार से इलाज किया जायगा। ये छः मरीजों के मरने की बात करते हैं लेकिन वहां पर कितने ही मरीज मर गये हैं···

(व्यवधान)

सौ से अधिक व्यक्ति मर चुके हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद में इस बीमारी का निदान बिल्कुल स्पष्ट है। आयुर्वेद के अनुसार पेट में दर्द होकर उल्टी दस्त होता है, उसको प्रवाहिका वात कृता सशूला की बीमारी कहते हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । चर्चा समाप्त हुई । अब मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

शासकीय वक्तव्य

गुजरात एवं राजस्थान सरकार के सन् 1966 के अन्तर्राज्यीय समझौते के विपरीत गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित सरदार सरोवर योजना को केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मिलने के कारण बाड़मेर एवं जालौर जिले के सिंचाई सुविधा से वंचित होने की आशंका

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माही नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश से निकल कर गुजरात में बहती हुई खम्भात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का कुल जल ग्राह्य क्षेत्र 13 हजार वर्गमील का है। तत्कालीन बम्बई सरकार तथा बाद में गुजरात सरकार माही नदी पर कडाना के पास एक ऊंचा बांध बना कर इस जल का उपयोग अपने प्रदेश के खेड़ा जिले में बानक बोरी के पास एक नहर बना कर करना चाहती थी। राजस्थान ने इस प्रकार के ऊंचे बांध बनाने के लिये तथा सम्पूर्ण जल का उपयोग करने के बारे में आपत्ति की जिससे कडाना पर ऊंचा बांध बनाने की स्वीकृति भारत सरकार ने नहीं दी।

इसी बीच नर्बदा के जल के उपयोग की कई योजनायें विचाराधीन थीं । 1956 से निरन्तर बनाई गई योजनाओं में खेड़ा जिले के क्षेत्र को भी नर्बदा से सिंचित करने का प्रावधान था। नर्बदा नदी के जल के उपयोग की योजना बनाने के लिये देश के प्रमुख इंजीनियरों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन श्री ए.एन. खोसला की अध्यक्षता में किया गया। इस कमेटी ने भी सिफारिश की कि खेड़ा जिले के माही बेसिन को नर्बदा से सिंचित कर दिया जाय तथा माही के बचे हुए पानी का राजस्थान के जालौर एवं बाड़मेर क्षेत्र तथा गुजरात के अन्य क्षेत्रों, जो नर्बदा से लाभान्वित नहीं हो सकते, में उपयोग कर लिया जाय । उक्त सिफारिश राजस्थान एवं गुजरात ने स्वीकार कर ली। परन्तु मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र ने खोसला कमेटी की सिफारिश नहीं मानी, जिसके कारण नर्बदा के जल उपयोग हेतु कोई योजना नहीं बन पाई और 1969 में यह मामला एक न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर दिया गया।

इसी बीच माही के जल उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात के बीच मंत्रणा चलती रही। उपरोक्त मंत्रणाओं में यह अहसास किया गया कि कडाना तथा बजाज सागर पर क्रमशः 419 एवं 921 फीट समुद्र धरातल से ऊपर के स्तर तक बांधों का निर्माण किया जाय तथा कडाना पर संचित जल का उपयोग नर्बदा से जल प्राप्त होने तक गुजरात में होता रहे। कुछ समय बाद जब नर्बदा जल के उपयोग के बारे में कोई फैसला हो जाय तथा नर्बदा का जल उपलब्ध हो जाय तब माही से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र को नर्बदा जल से सिंचित कर दिया जाय तथा कडाना पर माही में बचा हुआ पानी जालौर एवं बाड़मेर क्षेत्र में सिंचाई के लिये उपलब्ध करा दिया जाय। इस प्रकार की धारणा को मद्दे नजर रखते हुए मार्च, 1966 में राजस्थान और गुजरात के बीच एक समझौता हुआ।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इसी समझौते के पश्चात् योजना आयोग ने कडाना बांध को 419 फीट तक बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

नर्बदा की योजना के बारे में न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई होती रही। गुजरात ने इस सुनवाई के समय भी हमेशा यही पेशकश की कि खेड़ा जिले के माही बेसिन की सिंचाई नर्बदा से करेंगे तथा माही का बचा हुआ पानी राजस्थान एवं गुजरात के अन्य हिस्सों में उपयोग के लिये देंगे। न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सरदार सरोवर योजना (नर्बदा पर बांध बनाने की योजना) में भी यही प्रावधान रखा गया था तथा खेड़ा जिले के माही क्षेत्र को इसी योजना के कमान्ड क्षेत्र में शामिल किया गया। नर्बदा के न्यायाधिकरण ने 1978 में फैसला दिया तथा अंतिम रिपोर्ट 1979 में दी जिसमें गुजरात एवं राजस्थान के प्रस्तावानुसार नहर को 300 फीट ऊंची सतह पर निकालना स्वीकार कर लिया

परन्तु गुजरात ने न्यायाधिकरण के फैसले के पश्चात् 1980 में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की नई रिपोर्ट बनाई तथा उसमें माही के क्षेत्र को नर्बदा से सिंचाई हेतु शामिल नहीं किया और उस क्षेत्र को माही के पानी से ही सिंचित करने का प्रावधान रखा। यदि इस प्रकार की योजना को स्वीकृति मिल जाती है तो माही के पानी का गुजरात में ही उपयोग होता रहेगा और राजस्थान के जालौर व बाड़मेर जिलों तथा गुजरात के अन्य ऊंचे क्षेत्रों को माही का पानी नहीं मिल पायेगा। यह 1966 के समझौते की मंशा के विरुद्ध है। अतएव राजस्थान सरकार ने गुजरात सरकार को अपने प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन करने हेतु लिखा। गुजरात सरकार ने अपने 9 मार्च, 1980 के उत्तर में बताया कि अभी तक नर्बदा के पानी के गुजरात के विभिन्न भागों में उपयोग करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह उत्तर सही नहीं था क्योंकि गुजरात ने इस समय तक सरदार सरोवर की योजना बना कर भारत सरकार को प्रेषित कर दी थी। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग से भी यह निवेदन कर दिया था कि यह जलदाय योजना इस रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है। राजस्थान सरकार के सलाहकार ने 17 मई, 1980 को भारत सरकार के सिंचाई मंत्री को एक पत्र लिखा परन्तु उसका भी उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी बीच गुजरात ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को "आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट" भेजी। भारत सरकार ने राजस्थान सहित संबंधित सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक 4 जुलाई, 1980 को बुलाई। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने इस बैठक में भाग नहीं लिया तथा तार द्वारा भारत सरकार को सूचित कर दिया कि रिपोर्ट केवल तीन दिन पहले ही राज्य सरकार को प्राप्त हुई है अतएव राजस्थान इस अल्प अवधि में रिपोर्ट पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान ने यह भी निवेदन किया कि जब तक कडाना से सिंचित माही क्षेत्र इस नर्बदा कमान्ड में शामिल नहीं किया जाता तब तक राजस्थान इस रिपोर्ट को मंजूर करने के विरुद्ध है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इसी प्रकार का एक पत्र मैंने भारत सरकार के सिंचाई मंत्री श्री केदार पांडे को 19 जुलाई, 1980 को लिखा तथा इसी पत्र की प्रतिलिपि केन्द्रीय योजना मंत्री श्री एन. डी. तिवारी को भेज कर निवेदन किया कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, 1966 के अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार नहीं है अतएव योजना आयोग इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति देते समय इस स्थिति को ध्यान में रखें। वैसे सरदार सरोवर योजना को अभी तक औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली है।

कथित 4 जुलाई की बैठक को स्थगित नहीं किया वरन् यह फैसला किया गया कि राजस्थान का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है. अतएव सचिव, सिंचाई भारत सरकार ने कहा कि गुजरात द्वारा बनाई गई रिपोर्ट तथा योजना की लागत में राजस्थान का हिस्सा राजस्थान को स्वीकृति हेतु भेज दिया जाय और यदि इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो तो सरदार सरोवर क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से मांगी जाने वाली रकम में से राजस्थान का हिस्सा काट दिया जाय।

यह निर्णय ठीक नहीं था अतएव मैंने सिंचाई मंत्री, भारत सरकार को 24 जुलाई, 1980 को फिर पत्र लिखा जिसमें फिर से निवेदन किया कि सिंचाई मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर गुजरात को अपने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में आवश्यक संशोधन करने हेतु बाध्य करे तथा कडाना के कमान्ड में खेड़ा जिले के माही क्षेत्र को नर्बदा से सिंचित करे और इस प्रकार माही से बचे हुए पानी को जालौर और बाड़मेर जिले में उपयोग के लिए दिलायें। भारत सरकार के सिंचाई मंत्री ने इसके उत्तर में आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की जांच करा रहे हैं।

मैंने, 6 अगस्त, 1980 को प्रधान मंत्री को भी पत्र लिख कर उनसे निवेदन किया है कि वे गुजरात के सरदार सरोवर योजना में खेड़ा क्षेत्र को माही क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र में शामिल करें। राजस्थान को नर्बदा से पांच लाख घन फीट पानी मिला है जिससे करीब ढाई लाख एकड़ भूमि की जालौर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई हो सकेगी। यदि राजस्थान की मांग के अनुसार गुजरात के माही क्षेत्र को नर्बदा से सिंचित कर लिया जावे तथा कडाना से राजस्थान को पानी मिल जाता है तो जालौर और बाड़मेर में साढ़े सात लाख अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है यह वक्तव्य वही है जो उन्होंने कल समाचार पत्रों को दिया है। अच्छा होता कि समाचार पत्रों को वक्तव्य देने से पहले वह सदन में इस प्रकार का वक्तव्य देकर अपना हाथ मजबूत करके भारत सरकार से इस मसले पर राजस्थान के पक्ष में निर्णय कराने का वातावरण बनाते मैं नहीं समझता कि उन्होंने यह क्यों नहीं उचित समझा? संसदीय परम्परा से माननीय मुख्य मंत्री जी अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसा महत्वपूर्ण मसला प्रेस में देने के पहले अगर विधान सभा में प्रश्न रखा जाता तो उचित होता। मैं अभी इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उनका वक्तव्य भी यहीं से दिया गया था। उस वक्तव्य पर लिखा

68

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुआ है "विधान सभा प्रकोष्ठ"। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देते हैं तो प्रेस के स्थान पर सदन को ज्यादा महत्व दें और सदन में इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला ऐसा है कि जिसमें विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष इन सभी को आपस में बीच की किसी भी रेखा को न मान करके राजस्थान की चिन्ता करनी पड़ेगी। मुझे याद है कि सदन के कई माननीय सदस्य कई वर्षों से विधायक चुनते हुए आये हैं। जिस समय कडाणा बांध बनाने का प्रश्न राजस्थान सरकार के सामने उपस्थित हुआ, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने और विशेष रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात का विरोध किया था कि कडाणा बांध की ऊंचाई 419 फीट नहीं होनी चाहिये। यदि इतनी ऊंचाई हुई तो हमारे गांवों का एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न होगा। काफी परिवारों को अपने घर छोड़ कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यह कई वर्षों तक विवाद चलता रहा। इस विवाद को लेकर कडाणा बांध की स्वीकृति भारत सरकार से नहीं मिली, यह बात सही है।

इस सारे मसले पर विचार करने के लिये खोसला कमेटी बनी, इसने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर इस बांध की ऊंचाई 419 फीट हो, यह बात तो मंजूर की गई लेकिन यह भी तय किया गया कि कडाणा क्षेत्र के कमाण्ड एरिया में जिस दिन नर्बदा का पानी आ जायेगा उसी दिन इस क्षेत्र की नर्बदा से सिंचाई की जायेगी और माही के पानी से बाड़मेर और जालौर जिलों के क्षेत्रों को सिंचित किया जायेगा। मैं जल्दी में वह प्रोसीडिंग नहीं निकाल पाया हूं। लेकिन विधान सभा की कार्यवाही पढ़ें तो जिस दिन 1966 में समझौता हुआ उस समय मैंने कहा था कि इसमें 3--4 वर्ड्स बहुत आपत्तिजनक हैं। कोई भी सरकार इन शब्दों का दुरुपयोग करके राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, वे सही वर्ड्स क्या थे, मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मुझे ध्यान आता है उसमें यही लिखा था When the Narbada water will be made available. इस प्रकार के 66 के समझौते में कुछ वर्ड्स थे जिन पर मैंने उस समय आपत्ति उठाई थी। सदन के माननीय सदस्य देखना चाहें तो उस समय की प्रोसीडिंग निकाल लें। मैंने कहा था कि कोई भी सरकार इसको लेकर राजस्थान के हितों पर आघात कर सकती है। लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री सुखाड़िया जी ने आश्वासन दिया कि आखिर पड़ोसी राज्य गुजरात का भी इसमें हित है और राजस्थान का भी हित है। हमें एक सरकार की नीयत पर भरोसा करके चलना चाहिये। हमने भरोसा किया उसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस वक्तव्य को देखा; मुझे क्षमा करेंगे, इसके साथ ही मेरे मन में जो एक धारणा बनी थी कि पहाड़िया जी मुख्य मंत्री बन रहे हैं इन पर हमारे प्रधान मंत्री की बहुत बड़ी कृपा है तो राजस्थान के हित निश्चित रूप से इनके हाथमें सुरक्षित रहेंगे। यह मेरी धारणा थी। लेकिन इस वक्तव्य को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी धारणा गलत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

थी। मैं आज यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान के हित माननीय पहाड़िया जी के हाथ में सुरक्षित नहीं हैं। वह क्यों नहीं हैं, यह उनका वक्तव्य कह रहा है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इसको गंभीरता से सुनें।

मैं यह इसलिये कह रहा हूं इस बीच गुजरात ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये भारत सरकार को आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट भेजी। भारत सरकार ने राजस्थान सहित संबंधित सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक 4-7-80 को बुलाई। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। बैठक में भाग न लेने का कारण भेजा कि तीन दिन में हम इतनी बड़ी रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स नहीं दे सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने भूल की। अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए था। प्रोटेस्ट तार के जरिये भारत सरकार को भेज रहे थे उसके बजाय यदि हमारे अधिकारी या मंत्री वहां उपस्थित होते तो मैं समझता हूं कि प्रोटेस्ट की ज्यादा वेल्यू होती। माननीय मुख्य मंत्री जी शब्दों को चबा कर कह रहे हैं कि औपचारिक निर्णय नहीं हुआ। मैं समझता हूं अनौपचारिक निर्णय भी नहीं होता अगर प्रतिनिधि वहां उपस्थित होता।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इज्जत क्या हुई वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी अपने वक्तव्य में बता दें। वहां क्या हुआ? 4 जुलाई की बैठक स्थगित नहीं की गई उसमें फैसला किया गया। राजस्थान का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, अतएव सचिव सिंचाई, भारत सरकार ने कहा कि गुजरात द्वारा बनाई गई रिपोर्ट तथा योजना की लागत में राजस्थान का हिस्सा राजस्थान को स्वीकृति हेतु भेज दिया जाय। यदि इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो योजना में से राजस्थान का हिस्सा काट दिया जाय। इस प्रकार की स्थिति जो उत्पन्न हुई इससे आप यह कह कर नहीं बच सकते कि निर्णय औपचारिक हुआ है या अनौपचारिक हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी सही जानकारी दें। मेरी जानकारी यह है कि आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को दे दी गई। मेरी जानकारी यह भी है कि आपने अपना प्रोटेस्ट भेजा, जिसके बारे में टाइम्स आफ इन्डिया में छपा था कि आपने लैटर नहीं दिया। और लैटर की कापी नहीं दी। आज चर्चा इस बात की है कि विश्व बैंक की टीम को इस प्रकार का उल्लेख किया है। आप मिले हैं या नहीं लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, आपने विश्व बैंक से चर्चा की कि राजस्थान सरकार इस आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रही है इस हालत में विश्व बैंक को विचार नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं मेरी सूचना के संबंध में मुख्य मंत्री जी सही बात कह सकते हैं कि उन्होंने पत्र नहीं दिया, पत्र की प्रतिलिपि नहीं दी लेकिन विश्व बैंक की किसी टीम से इस प्रकार की कोई बात हुई है? इसका स्पष्टीकरण आप करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से राजस्थान हमेशा से इस बात में घाटे में रहा है कि दिल्ली में हमारा ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। इसके लिए आप दोष जनता पार्टी को भी दे सकते हैं। जनता पार्टी के समय में भी राजस्थान के किसी व्यक्ति को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में नहीं लिया गया और आज भी नहीं लिया गया। पहले जो मंत्री थे, माफ करें, वे यहां उपस्थित हैं। मैं कहने का साहस कर सकता हूं कि वे इन-इफेक्टिव थे। राजस्थान के हितों की चिन्ता किसी ने की नहीं, मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने चिन्ता न की हो ऐसी बात नहीं साथ ही अधिकारी वर्ग ने भी चिन्ता नहीं की।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय विरोधी पक्ष के नेता कौन से नियम के तहत भाषण दे रहे हैं? रूल्स आफ प्रोसीजर के किस नियम के तहत उनको वक्तव्य देना है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत गम्भीर मसला है। मुख्य मंत्री जी ने इसको महत्वपूर्ण मान कर वक्तव्य दिया है। विरोधी पक्ष के नेता को इन सब विषयों की जानकारी है। शांति से सुनें।

श्री गोविन्दसिंह क्या मैं समझूं कि यह परम्परा आगे भी कायम रहेगी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो सकता है। मैं निवेदन कर रहा था ......

श्री अध्यक्ष : अपन सबको जानकारी हो जाय कि विषय क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न मंत्रिमण्डल में हमारा कोई प्रतिनिधित्व है न भारत सरकार की सेवाओं के महत्वपूर्ण पदों पर राजस्थान की सर्विसेज को लिया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री चाहे स्वीकार करें या न करें, मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि भारत सरकार के सिंचाई सैक्रेटरी, इरिगेशन सैक्रेटरी श्री पटेल के ध्यान में राजस्थान नहीं है। इस सम्बन्ध में जितनी भी मीटिंग्स हुई उनमें कई बार मैं उपस्थित हुआ तो मैंने राजस्थान के केस को रखा। केन्द्रीय सरकार के मंत्री वहां कुछ नहीं बोलते हैं केन्द्रीय सरकार की ओर से। श्री पटेल का मैं खुले आम नाम लेता हूं, वे वहां पर खुले आम गुजरात का पक्ष लेकर राजस्थान को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं।....

एक माननीय सदस्य : जनता शासन में आपकी भी नहीं चली है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यही कह सकता हूं, मेरे सामने उनकी दलील नहीं चली। जब भी प्रश्न आया है, श्री पटेल भी इस बात को जानते हैं, केन्द्रीय सरकार के जो मंत्री उपस्थित थे वे भी जानते हैं, यह प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हुआ तो मैंने साफ-साफ कहा है। अगर मिनिट्स रिकार्ड की गई हैं तो उनसे आपको मालूम हो जाएगा, मैंने यह कहा है पटेल को कि इस प्रश्न के अन्दर आपका इन्ट्रेस्ट है। इस प्रकार आपको भारत सरकार को गुमराह नहीं करना चाहिए। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पटेल हो चाहे कोई हो राजस्थान के हितों के विरुद्ध आज तक मेरे सामने बोलने का उनको साहस नहीं हुआ।

मैं पहाड़ियाजी को यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं। इस

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

विषय में कोई विरोधी पक्ष या सत्ता पक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के हितों का जहां तक प्रश्न है, इस सदन के 200 विधायक एकजुट होकर भारत सरकार को कह दें कि आप 1966 के एग्रीमेन्ट के अनुसार कार्यवाही करावें। परन्तु मुझे खेद है कि आपने जो वक्तव्य दिया है, इस वक्तव्य को बनाने वाले में थोड़ी भी बुद्धि होती तो वह सोचता कि हमने 1966 के समझौते के सम्बन्ध में लिखा है कि जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वह हमारे 1966 के एग्रीमेन्ट की मन्शा के खिलाफ है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है तो कोई भी सरकार इसका लाभ उठाने की चेष्टा करेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, आप इस धोखे में न रहें कि अभी आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं गयी है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट एप्रूव हो चुकी है। परिणाम यह निकला है कि नर्वदा के पानी से जो सिंचाई होगी, और माही के पानी से जालौर, बाड़मेर जिले के साढ़े सात लाख एकड़ में सिंचाई होगी वह तो दूर रहा, पहाड़ियाजी, आपने पहला ईनाम यह दिया कि बाड़मेर और जालौर जिले के साढ़े सात लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पाएगी। यह क्षेत्र कुछ दिनों में सिंचित होता, वह सिंचाई से वंचित हो गया है। सबसे पहले गुजरात और भारत सरकार ने मिल कर यह इनाम दिया है। यह आपने बाड़मेर और जालौर जिले को इनाम दिया है कि कडाणा और माही का पानी नहीं मिलेगा। नर्वदा से जो सिंचाई होती है वह भी बंद होने की संभावना हो गयी। इसके माध्यम से यह इनाम राजस्थान को मिला है। मुख्य मंत्री जी ने जो 1966 में समझौता किया गया था उसमें जालौर और बाड़मेर को सिंचाई के लिये पानी देने का प्रावधान था, शर्त थी। आप यह कहते हैं कि जो आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट है वह औपचारिक रूप से स्वीकृत नहीं है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वह रिपोर्ट औपचारिक है इसका सबूत मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसकी औपचारिक स्वीकृति हो चुकी है वरना किसी भी सरकार का यह साहस नहीं होता कि वह राजस्थान सरकार को यह लिख दें कि या तो कडाणा के खर्च का हिस्सा दो या राजस्थान का नाम उससे काट दो।

यह जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है यह एक नया प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 1980 में बना है। इसके पहले लगातार गुजरात के मुख्य मंत्री चाहे बाबू भाई पटेल हो, चाहे गुजरात के सिंचाई मंत्री किशना भाई पटेल हो, जिस किसी मीटिंग में मेरी उनसे बातचीत हुई है, हमारे अधिकारियों की बात हुई, हमने उनके सामने नर्वदा ट्रिब्यूनल का केस रखा है। इसको वे लगातार मन्जूर करते आए हैं कि नर्वदा का पानी खेड़ा क्षेत्र में पहुंच जायेगा। इस क्षेत्र से बचने वाला पानी राजस्थान और गुजरात के ऊंचे क्षेत्रों में पहुंच जायेगा, जहां नर्वदा का पानी नहीं पहुंचता है वह पानी वहां पहुंचा दिया जाएगा। यह लगातार उन्होंने माना है परन्तु पिछले चार महीनों से उनका यह रवैया बदला है। आज तक लगातार गुजरात ने इस बात को स्वीकार किया है। गुजरात और राजस्थान सरकार के बीच जो कोरसपोन्डेन्स हुई है उसमें यह स्वीकार किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया है, भारत सरकार और गुजरात सरकार के बीच में जो कोरसपोन्डेन्स हुई उसमें भी गुजरात सरकार यह स्वीकार करती आयी है परन्तु चार महीनों से उनका रुख क्यों बदला है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है शायद उन्होंने यह देखा है कि इस समय मौका है इसलिए राजस्थान सरकार को दबोच लें। राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, अब आप पोलिटिक्स पर आ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह पोलिटिक्स नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नर्बदा का केस पिछले ढाई साल में ही बिगड़ा है। आप यहां पर गलत समझा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम भी चाहते हैं कि वह पानी बाड़मेर और जालौर आना चाहिए। परन्तु आप तो यह आरोप लगा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और सब कुछ आपने ही किया। यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने नहीं कहा कि आपने कुछ नहीं किया। 1966 का समझौता तो आपने ही किया। मैंने कब मना किया है। सवाल इतना-सा है कि जो 1966 का समझौता किया गया है उसको आप लागू करवाओ। इसको लागू करवाने का प्रश्न है। इस मसले पर यदि सरकार हमारा सहयोग चाहे तो हम सहयोग देने को तैयार हैं। कोई डेपूटेशन ले जाना चाहे तो हम डेपूटेशन में जाने को तैयार हैं। विधान सभा में कोई प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास कराना चाहें तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम यह चाहते हैं कि 1966 का एग्रीमेन्ट लागू हो। उसके तहत नर्मदा का पानी खेड़ा क्षेत्र में आवे। इसको सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाकर बचा हुआ पानी हमारे क्षेत्र में आवे, यह हमारी मांग है। दो तारीख को गुजरात के इरिगेशन मिनिस्टर ने स्टेटमेन्ट दिया वह अखबार में छपा है। उसमें राजस्थान सरकार को एक्यूज किया गया है। यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार 1966 के समझौते का उल्लंघन कर रही है। परन्तु इस पर हमारी सरकार बोली नहीं है। सरकार को इसका विरोध करना चाहिए था। सरकार ने उनके इस वक्तव्य को पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता। गुजरात के सिंचाई मंत्री दो तारीख को ऐसा स्टेटमेन्ट दे सकते हैं, परन्तु यह सरकार 8 तारीख तक चुप रह सकती है। वे इस चीज का लाभ उठाते रहे। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे, यह राजनीति है परन्तु यह राजनीति नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि हमारी सरकार सजग और सतर्क होती तो जिस दिन गुजरात के सिंचाई मंत्री का स्टेटमेन्ट अखबारों में प्रकाशित हुआ, हमारे मुख्य मंत्री के निवास पर टेलिप्रिन्टर है, हमारे मुख्य सचिव के निवास पर टेलिप्रिन्टर है, और भी सरकारी कार्यालयों में टेलिप्रिन्टर है, गुजरात के सिंचाई मंत्री के स्टेटमेंट की जानकारी उनको मिल गयी थी, यदि दो तारीख को ही सरकार सतर्क और सजग होती और अपना स्टेटमेंट जारी कर देती तो दो तारीख को ही एक तरफ गुजरात सरकार का स्टेटमेंट होता और दूसरी तरफ हमारी सरकार का स्टेटमेंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होता परन्तु यह दुर्भाग्य रहा कि हम सो गये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि आपने जो लैटर्स लिखे हैं वे, मैं समझता हूं, कान्फीडेन्शियल लैटर्स नहीं हैं। उनमें कोई सीक्रेसी नहीं है। इसलिए इन लैटर्स को आप सदन के पटल पर रख दें। गुजरात सरकार को चिट्ठी लिखी उसका जवाब आया, वह गलत है। यह मुख्य मंत्री राजस्थान किस के लिए कह रहे हैं। उस समय जो एडवाइजर थे उनके लिए यह कह रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो उस समय एडवाइजर थे वे कहीं और नहीं चले गये हैं। एक एडवाइजर यह हिम्मत कैसे कर सकता है कि वह दूसरी सरकार को सही उत्तर न दे। इतनी हिम्मत वह कैसे कर सकता है? कारण क्या है? यह सब ने मिल कर तय कर लिया कि किसी न किसी प्रकार राजस्थान को हानि पहुंचानी है और उस आधार पर उन्होंने यह किया है। मैं मुख्य मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा, उनको बार-बार दिल्ली जाने में संकोच होता है, परन्तु मैं आग्रहपूर्वक उनको कहना चाहता हूं कि आप एक दिन के लिए ही नहीं यदि आपको इसके लिए सात दिन तक दिल्ली में रहना पड़े तो वहां रहें और साढ़े सात लाख एकड़ भूमि में पानी पहुंचाना चाहिये वह योजना आप मंजूर करा कर लावें। चाहे मेरा विरोध करें परन्तु मैं आपका जयपुर रेलवे स्टेशन पर आकर स्वागत करूंगा और यदि आप खाली हाथ उतरोगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरने दिया जाएगा। आप जबर्दस्ती ही उतरोगे आसानी से नहीं उतर सकोगे। दोनों ही स्थितियां आपको देखकर चलना है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप तो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि वहां कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। एक बार तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यहां पर भाषण दिया था कि राजस्थान नहर को जैसलमेर, रामगढ़ होते हुए बाड़मेर निकालेंगे, वहां से वह अजमेर आएगी और उसमें नेवीगेशन होगा। खेतसिंह जी जैसे लोगों ने इस पर धड़ाधड़ तालियां बजायी थीं। न तो नेवीगेशन हुआ और न कोई नावें चलीं। आज राजस्थान कैनाल को जैसलमेर से आगे, रामगढ़ से आगे बढ़ाने की योजना ही नहीं रही। ये बातें इस प्रकार की हैं। इन पर इस समय गहराई से विचार करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

मैं समझता हूं कि इसमें अगर किसी प्रकार की राजनीति का समावेश हो गया है तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस सारे प्रसंग को भूलकर ज्यादा अच्छा होगा कि आज वक्तव्य देने से पहले या कल वक्तव्य देने से पहले हमें कान्फीडेंस में लें। आखिर मैं भी राजस्थान का विधायक हूं, थोड़े दिनों तक मैं मुख्य मंत्री भी रहा हूं। मुझे इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार गुजरात और गुजरात सरकार राजस्थान का शोषण करना चाहती है। यदि हम लोगों को कान्फीडेन्स में लेते तो निश्चित रूप से, मुख्य मंत्री जी, हम आपके हाथ ही मजबूत करते, कमजोर करने की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी इस प्रश्न के बारे में दिल्ली जाकर श्रीमती इन्दिरा गांधी से कहेंगे कि अगर आप मुझे राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाये रखना चाहती हैं तो यह जो गुजरात ने हमारे साथ अन्याय किया है, उससे बचाइये और बाड़मेर जालौर को जो पानी मिलने वाला है उसी की व्यवस्था कराइये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे विश्वास है, मुख्य मंत्री जी, स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट से नहीं गम्भीरता से लेंगे। यह पूरे सदन की मांग है कोई सदस्य चाहे वह इस पक्ष में बैठा हो या उस पक्ष में बैठा हो इस बात का कतई विरोध नहीं करेगा। पूरे 200 सदस्यों की सद्भावना लेकर आप प्रधान मंत्री जी से मिलिये और 2-3 दिन के अन्दर घोषणा करा दीजिये कि आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट रद्द कर दी गयी है और सादुलपुर प्रोजेक्ट में अमेण्डमेंट होगा, खेड़ा को नर्वदा का पानी पहुंचे-इस प्रकार का संशोधन होगा और राजस्थान को मिलने वाला हक किसी प्रकार खत्म नहीं होगा। हम आप लोगों की वाहवाही करेंगे। इसी आधार पर मैंने यह एडजोर्नमेंट मोशन आपके सामने रखा था।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उससे यह स्पष्ट है कि भारत सरकार और गुजरात सरकार के बीच में जो सन् 1966 में समझौता हुआ था उसकी अनुपालना में जो केबिनेट ने निर्णय किया था और 1978-79 में फाइनल रिपोर्ट थी उसमें भी यही निर्णय लिया था केबिनेट ने कि नर्वदा की योजना बनेगी उससे खेड़ा क्षेत्र को पानी मिलेगा। कडाना का जो फैसला 66 में हुआ उसमें इस बात का उल्लेख है उसमें गुजरात सरकार एक पार्टी थी। उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य से ऐसा स्पष्ट हुआ कि गुजरात राजस्थान और सम्बन्धित प्रतिनिधियों की जो बैठक 4 जुलाई को दिल्ली में बुलायी गयी थी राजस्थान सरकार ने उस बैठक में यह कह कर जाने से इन्कार कर दिया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 दिन पहले ही हमको मिली है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हमने देखा नहीं है। लेकिन उससे पहले ही जैसा वक्तव्य से स्पष्ट मालूम हुआ है उन्होंने आइडेन्टिफिकेशन की रिपोर्ट मार्च के अन्दर ही तैयार कर ली। राज्य सरकार को उन्होंने जो सूचना दी उसमें उन्होंने खुद कहा कि नर्वदा के पानी के उपयोग के सम्बन्ध में हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। गुजरात सरकार ने राजस्थान सरकार को अंधेरे में रखा, वह झूंठ बोली और बाद में जब यह राज्य सरकार को मालूम हुआ कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है और भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिसमें हमने 7 जुलाई को स्पष्ट किया कि यह एक्स पार्टी हैं। नर्बदा के पानी को खेड़ा में लाने का कोई भी उल्लेख प्रोजेक्ट के अन्दर नहीं है। यह राजस्थान के हितों के खिलाफ है। राजस्थान के साथ अन्याय है। उसके बाद में मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि 4 जुलाई को वहां के सैक्रेटरी ने कुछ निर्णय लिए। वह निर्णय मंत्री स्तर के थे या सचिव स्तर के-यह तो जानकारी-मुझे उनके वक्तव्य से नहीं मिली लेकिन यह बात स्पष्ट है कि कुछ निर्णय लेकर डाइरेक्शन दिए गए हैं कि अगर राजस्थान सरकार अपना इसमें हिस्सा नहीं रखना चाहती है तो वर्ल्ड बैंक में से राजस्थान का हिस्सा निकाल दिया जाये। उसके बाद में हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है उसको इम्पलीमेंट किया जाए और वर्ल्ड बैंक को लिख दिया जाये। मतलब यह है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट सन् 1966 के समझौते के अनुसार नहीं है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्दर नर्बदा के पानी से खेड़ा क्षेत्र की सिंचाई की कोई योजना नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि जो

(श्री परसराम मदेरणा)

कडाना डेम है जो माही नदी पर बना हुआ है और जिसका पानी आइन्दा बाड़मेर और जालोर को नहीं मिलने वाला है उससे हम हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो जायेंगे। यह बहुत ही अहम और गम्भीर मसला है इसलिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि औपचारिक स्वीकृति या अनौपचारिक स्वीकृति की तो आपको ज्यादा जानकारी है लेकिन अब पत्राचार से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं और विरोधी पक्ष के नेता की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जो एडीशनल सैक्रेटरी थे मिस्टर पटेल उनसे कडाना के रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करने के मामले में, कडाना बांध से प्रभावित लोगों को रिहबिलिटेट करने के मामले में 3-4 मुलाकातें एग्रीकल्चर मिनिस्टर के कमरे में हुयी थीं और मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये गुजरात सरकार में इरिगेशन के इंजीनियर हैं। उस वक्त राज्य सरकार ने भी यह सोचा था कि हमारा भी टैक्निकल आदमी किसी न किसी प्रकार से इरिगेशन की मिनिस्ट्री में होना जरूरी है। वरना पटेल, जो हमेशा हमारे हितों के खिलाफ रहते हैं और गुजरात के पक्ष में होते हैं, अपने इन्ट्रेस्ट को जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि 4 जुलाई की मीटिंग में पटेल ने राजस्थान के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाया है जो डिसीजन किया है एक्स पार्टी वह एक्स पार्टी डिसीजन सन् 1966 के समझौते के विपरीत नहीं है लेकिन मान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। सरासर अन्याय हो रहा है राजस्थान के उस भू-भाग के साथ जो 30 साल से उम्मीद कर रहा था। जब समझौता हुआ था 66 में तो उस समझौते से पहले ही राजस्थान में यह बात आ रही थी कि इसके अलावा राजस्थान के जालोर और बाड़मेर को पानी और कहीं से नहीं मिल सकता है। केवल नर्बदा का बांध बनने के बाद कडाना के पानी का समझौता करें तो राजस्थान का एरिया सिंचित हो सकता है। इसके अलावा उस इलाके में पानी के लिये आने वाले पांच सौ सालों में कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिये। इसके बाद कोई नदी नहीं है जिसके पानी को इन्वाल्व करके इस क्षेत्र को हरा-भरा बनाया जा सके। इसलिये मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आप अपने प्रभाव से प्रधान मंत्री के दायरे में इसको लायें। आपने इरिगेशन मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है और सिंचाई मंत्री के अलावा दूसरे योजना मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, और दूसरा सिंचाई मंत्री को 24 जुलाई को पत्र लिखा है। लेकिन इन पत्रों को लिखने के पहले हम यह कहा करते थे कि आप ज्यादातर दिल्ली जाते रहते हैं। लेकिन अब पूरे हाउस की यह यूनेनीमस मंशा है कि आप इस मामले पर स्वयं अपने स्तर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जो भी फैसला, एक्स पार्टी डिसीजन किया है उसको रद्द करायें। राजस्थान को पानी मिलना चाहिये क्योंकि राजस्थान का पक्ष बहुत मजबूत है। जो कुछ भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है तो इसको तैयार करने के अन्दर एक सबसे बड़ी चालाकी उन्होंने यह की है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में खेड़ा को पानी नहीं दिया है। आज स्थिति यह है कि कडाना डैम का पानी खेड़ा को नहीं मिल रहा है। खेड़ा का स्पष्ट उल्लेख नर्बदा

(श्री परसराम मदेरणा)

में होता तो आज जो पानी कडाना डेम में मिल रहा है वह राजस्थान में बाड़मेर और जालौर में आता। यदि ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान सदा सदा के लिये नर्बदा के पानी से वंचित हो जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी को इस मामले में सिंचाई मंत्री जी, योजना मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से मिल कर के जोरदार अपने पक्ष को रखना चाहिए और असरदार तरीके से जो राजस्थान की न्यायोचित बात है वह करनी चाहिये। यह पूरे राजस्थान का मामला है थोड़े बहुत पोलिटिकली विपक्ष के नेता ने कहा है तो वे तो कहगे उनका तो काम ही है परन्तु वे भी कह चुके हैं कि इस मामले में साथ देंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि पूरा सदन आपके साथ है। मुख्य मंत्री जो पक्ष राजस्थान का वहां पर रख रहे हैं वह राजस्थान के हित में है उसमें पूरा सदन साथ है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन ही साथ नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान की जनता इस काम में उनके साथ है। उन्हें पूरी मजबूती के साथ यह कदम उठाना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक को देने के लिये भारत सरकार को दी है जिसकी औपचारिक स्वीकृति अभी नहीं मिली है उसको रोका जाना चाहिये और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संशोधन होना चाहिये। खेड़ा की जमीन को सिंचित करने की योजना उसके अन्दर संशोधन करके जोड़ें तब ही उसको पानी मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी राजस्थान की भावना को देखते हुए इस मामले को भारत सरकार के समक्ष रखेंगे। राजस्थान के उस इलाके को जो पानी मिलने वाला है और राजस्थान के साथ जो अन्याय होने की संभावना है, उसको रोकने में कसर नहीं छोड़ेंगे।

एक माननीय सदस्य : हम आपके लिए जान लगा देंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावना रखी, उससे भिन्न राय हो नहीं सकती। नर्बदा का पानी राजस्थान को मिलना ही चाहिये। मैं आपके जरिये से इस सदन को और सदन के जरिये से सारे राजस्थान को विश्वास दिलवा सकता हूं कि इस सम्बन्ध में हमको चाहे जो कुछ करना पड़े हम बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। श्रीमन्, यह सरकार जानती है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, बहुत गम्भीर मसला भी है। अच्छा हुआ कि विपक्ष के नेता महोदय ने यह सलाह दे दी कि इस मामले में स्पोर्ट्स में स्प्रिट छोड़ दें और गम्भीरता के साथ काम करें। श्रीमन्, मैं तो हमेशा ही गम्भीरता के साथ काम करता हूं लेकिन इस मामले में गमगीन होने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से और हिम्मत हारने से भी काम नहीं चलेगा। मैं आपको निरुत्साहित करना नहीं चाहता लेकिन मैं आपकी आशायें भी बहुत नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि आपका उत्साह मैं अभी बढ़ा दूं और बड़ी बड़ी बातें कर डालूं और कर नहीं सकूं तो उसको कहने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : विपक्ष के नेता ने तो बहुत सारी बातें जो इस मामले से जुड़ी हुई हैं, कहने के साथ-साथ बहुत सारी राजनैतिक बातें कह डालीं। वह हर मामले में प्रधान मन्त्री के मैं कितना नजदीक हूं इसका अन्दाज लगाया करते हैं। इसका अन्दाजा तो बार-बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ही काफी होता है। अगर बार-बार लगाना चाहते हैं तो पिछले जो काम किये थे, उसको कितना पैसा मिला था, कितनी योजना आपने मंजूर कराई थी, इस सिलसिले में भी आपने कितना कार्य किया है, इसकी तुलना आज नहीं तो कल परसों हो जायेगी जब फैसला होगा। अभी तो कुछ हुआ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने जो सहयोग का आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करके चलता हूं कि सहयोग का आश्वासन आप दे रहे हैं इसको आप कायम रखेंगे।

इसके बारे में मेरे पक्ष के साथियों ने जो भावना व्यक्त की है, वह कोई आपसे कम नहीं है लेकिन मैं पक्ष और विपक्ष की बात लाना ही नहीं चाहता हूं। यह सारे राजस्थान का मसला है और राजस्थान का ही मसला नहीं मैं इसको राष्ट्रीय मसला मानता हूं। गुजरात को पानी मिलने ही वाला है। उनके पास इतना पानी है तो हमको फालतू पानी नर्बदा का क्यों नहीं मिले ? मैं इस वक्त इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि इस मामले के अन्दर····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक फिर भूल कर रहे हैं। नर्बदा का फालतू पानी हमको क्यों नहीं मिले, इसी प्रकार के शब्द हमको खा गये। फालतू पानी नहीं, फालतू पानी का तो वह दूसरी जगह उपयोग करना चाहते हैं। फालतू पानी नहीं, हमारे अधिकार क्षेत्र का पानी है वह हम लेना चाहते हैं। आप नर्बदा रिपोर्ट देखिए। उसमें नर्मदा का फ्लोइंग वाटर और एक्सेज वाटर रखा गया है। दोनों में हमारा हिस्सा रखा है। फालतू शब्द से गुजरात वाले फिर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि फालतू शब्द को आप फालतू समझ कर हजम कर जायें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कही हुई अच्छी बात मैं मान लिया करता हूं। फालतू शब्द से अगर हमको कोई परेशानी हो रही हो, उससे कोई नुकसान होने वाला है तो हमको उसका इस्तेमाल न करना ही ठीक है।

श्रीमन्, विपक्ष के नेता महोदय ने यह भी कहा है कि प्रेस को पहले जानकारी दे दी। सदन में बाद में वक्तव्य दिया। अगर आपको याद हो, श्रीमन्, जैसी मुझे जानकारी है, हो सकता है, हमको गलत जानकारी भी हो, उन्होंने यह कहा था कि पहले प्रेस को दे देना चाहिए था जिससे कि वातावरण बन जाता। आज कह रहे हैं कि प्रेस को नहीं देना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आपके ऊपर इल्जाम लगाया था, आपने वर्ल्ड बैंक को डायरेक्टली लैटर हैड ओवर कर दिया उसका कान्ट्रे डिक्शन करके।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, जैसा आप जानते हैं, प्रेस को तो हमें इसीलिए खुलासा करना पड़ा, माफ करना, इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूं कभी-कभी, गलती हो जाये तो उसे माफ करें, वह न्यूज बिल्कुल

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

शरारतपूर्ण थी, राजनीति से परिपूर्ण थी और राजस्थान का नुकसान करने के लिए थी। राजस्थान कभी भी इस बात को बरदास्त नहीं कर सकता इसलिए मुझे प्रेस को यह बात कहनी पड़ी। मैं यह आशा करके चलता हूं कि प्रेस इन मामलों के अन्दर सावधानी बरतेगा। आज उनका कान्ट्रेडिक्शन छपा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि निराधार, कितना शरारतपूर्ण, राजनीति से परिपूर्ण यह समाचार था। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि वक्तव्य देने से, पब्लिसिटी से हालांकि कोई लाभ होता है, अच्छी बात जनता तक पहुंचनी चाहिये। प्रेस एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाने का लेकिन अगर कोई फैसला ही कर ले कि उसको कोई बात गलत ढंग से पहुंचानी है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं प्रेस की आजादी में विश्वास करता हूं और प्रेस जितनी चाहे उतनी आजादी और ले। मैं इस सिलसिले में ज्यादा कहना नहीं चाहता। असली मायने में हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। हम उनकी स्वतन्त्रता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि प्रेस अपनी आजादी बनाये रखें। उसमें हमारी तरफ से कुछ चाहिये, तो हम पूरे मददगार रहेंगे।

श्रीमन्, एक बात कही गई कि 4 जुलाई की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधि नहीं गया। इसलिये अदम मौजूदगी में वहां पर फैसला हो गया। रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को भेज दी गई। मैं उनकी जानकारी के लिये, सारे सदन की जानकारी के लिये यह बता रहा हूं कि मीटिंग के लिये इसलिये यह फैसला किया गया कि इस रिपोर्ट में तरमीम की जाये। अगर राजस्थान का कोई प्रतिनिधि चला जाता, हो सकता है उसमें पार्टी हम बन जाते। उसमें पार्टी हम बनना नहीं चाहते थे। विपक्ष के नेता को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि वह मन्त्री स्तर की मीटिंग नहीं थी। वह आफिसर लेवल की मीटिंग थी और हमको यह बात मालूम थी कि उस मीटिंग की अध्यक्षता सिंचाई सचिव करने वाले हैं, सिंचाई मन्त्री करने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है, अगर सिंचाई मन्त्री उसकी अध्यक्षता करते तो मैं स्वयं जाता। लेकिन उसमें जाने की आवश्यकता इसलिये नहीं थी कि वह मन्त्री स्तर की मीटिंग नहीं थी, वह आफिसर लेवल की मीटिंग थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिफाल्ट में क्यों गये हम ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप ये बातें पूछ रहे हैं। ये तो मिल ही जायेंगी। जिस बात का जिक्र आपने किया है, मैं कहना नहीं चाहता, आपने खुद ने कहा है कि सिंचाई सचिव जो हैं वह गुजरात के हैं, पटेल साहब। उस हालत के अन्दर अगर हमारा कोई मन्त्री, अगर हमारा कोई सचिव चला भी जाता तो उसका ज्यादा असर होने वाला नहीं था। ऐसा ही सोच कर हमने अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा था। लेकिन, श्रीमन्, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, उनके तुरंत बाद जब मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला, मैंने अनौपचारिक तौर पर सिंचाई मन्त्री जी से भेंट की। सिंचाई मन्त्री जी से मैंने निवेदन किया और इस बात का जिक्र भी मैंने उनको कर दिया कि उस मीटिंग की अध्यक्षता सिंचाई सचिव ने की

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
और मेरी आशंका है। मैंने उनको बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया लेकिन अनौपचारिक है; श्रीमन् इस तरह का मामला है। इसमें इण्ट्रेस्टेड पार्टी है, इसलिए सिंचाई सचिव से इस फैसले को न करायें। सिंचाई मन्त्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है। कल भी उनसे टेलीफोन पर बात की थी। आज भी उनका आश्वासन ज्यों का त्यों है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। पूरा न्याय किया जाएगा। क्या समझौता पहले किया गया था, उसको ध्यान में रखा जायेगा। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि राजस्थान का कोई अहित नहीं हो सकता। अगर हम राजस्थान की जनता का कोई भी अहित देखेंगे तो सदन के सामने लाकर हम कार्यवाही करेंगे और वह कार्यवाही करेंगे जो आज तक आप नहीं कर पाये थे। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस बात की जानकारी हम आज आपके सामने देने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी बातें अनौपचारिक बातें हो जाया करती हैं। आज सारी बातों की जानकारी दे दूं, श्रीमन्, तो जिस प्रकार की और जो वातावरण है उसके अन्दर हमारा नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अनौपचारिक तौर पर मैंने प्रधान मन्त्री जी से भी इस सिलसिले में निवेदन कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान मन्त्री जी सभी बातें जानती हैं और अच्छी तरह से जानती हैं। आज से नहीं बहुत पहले से उनको इस बात की जानकारी है। मैं यह आशा करके चल रहा हूँ कि प्रधान मन्त्री जी न्याय करेंगी। निश्चित रूप से राजस्थान के हित में वह बात होगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं कहना है।

आप सबने एक बात बार-बार दुहराई है कि इसके अन्दर पक्ष और विपक्ष से विचार करके सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पास करें। मैं तो आज ही प्रस्ताव रखता हूं, सदन के सामने कि आप सर्वसम्मति से पास कीजिए। आप सब का साथ लेकर तो मैं वैसे ही चलता हूँ। ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो मुख्य मन्त्री होता है, वह सदन की मर्जी से, बहुमत से ही बनता है। आप प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। राजस्थान के हित का सवाल है, सारा सदन साथ है ऐसा मान कर हम प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता तो नहीं समझते। लेकिन आप आवश्यकता समझते हैं तो मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह कि जब विधिवत् तौर पर कोई प्रस्ताव पास करते हैं, तो हर बात के अन्दर जब राजनैतिक चर्चा हो जाती है तो गड़बड़ी हो जाती है।

एक बात आपने कही, मैंने कोई पत्र तो नहीं भेजा। पत्र की कोई कापी नहीं भेजी। विश्व बैंक की कोई टीम आई, उसके सामने मैंने चर्चा की। श्रीमन्, जब से मैं मुख्य मंत्री बना हूं, मेरे सामने इस प्रकार की कोई टीम आज तक नहीं आई। इसलिए उस टीम के सामने चर्चा करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो खुद ही पूछा था, मुख्य मंत्रीजी को जानकारी है। मुख्य मंत्रीजी अपनी ओर से प्रस्ताव रख दें और वह प्रस्ताव सदन पारित कर दे।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा

(श्री परसराम मदेरणा)

कि अभी प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं है थोड़ी देर बाद में रख दिया जाय। इसका विधिवत् प्रारूप बना लिया जाय और उसके बाद ही सदन से पारित करवाया जावे।

दूसरा मेरा सुझाव है, मैं समझता हूं कि उससे मुख्य मंत्रीजी के हाथ मजबूत होंगे। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार समानान्तर कोर्ट में जाने के लिए या किसी ट्रिब्यूनल या किसी काम्पीटेन्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के लिए सोच सकती है और स्टे लाने के बारे में विचार किया जा सकता है तो इस प्रोजेक्ट के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़े तो हम इसका उपयोग कर सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोर्ट में हम आलरेडी गये हुए हैं। शायद माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अदालत में हारा हुआ आदमी जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज के दो तीन दिन पहले शायद बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा था कि कडाणा बांध की डूब में आने वालों को मुआवजा नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि उसके बारे में जब तक तय नहीं हो जाये वहां से उनको नहीं हटाया जावे, इससे भी हमको सहायता मिलेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अब आप एडजोर्नमेन्ट मोशन ले आए हैं तो फिर अब क्या करना है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो अगर वहां डूब में आयेंगे तो क्या होगा। बसे रहेंगे तो उससे गुजरात को पानी स्टोर करने में कठिनाई होगी। गुजरात गवर्नमेन्ट को इसमें डिफिकल्टी पैदा होगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

गैर सरकारी सदस्य कार्य। संकल्पों पर विचार।

अशासकीय संकल्प

आश्रम स्कूलों की पुनःस्थापना

श्रीमती कमला भील संकल्प प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कमला मीणा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करती हूं।

"यह सदन संकल्प प्रस्तुत करता है कि राज्य के जनजाति बहुल क्षेत्रों में आदिवासी बालकों को शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करने के लिए स्थापित जिन आश्रम स्कूलों को भूतपूर्व सरकार ने बन्द कर दिया था उन्हें पुनः खोला जावे।"

अध्यक्ष महोदय, जो आश्रम स्कूल जनता पार्टी ने इकानॉमिक कट, मितव्ययता के कारण बन्द कर दिये थे, वे आश्रम स्कूल आदिवासी कल्चर, उनके खान-पान, रहन-सहन के प्रतीक थे और उनके व्यवहार के अनुकूल थे। वे स्कूल प्राचीन पद्धति के अनुसार खोले गये थे। आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके, जहां 70 से 80 प्रतिशत आदिवासी आबादी है, में आश्रम स्कूल पद्धति बहुत माकूल है और उनकी बहुत आवश्यकता है। उनके बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिये वह उपयुक्त है। उनकी इतनी उपयोगिता होते हुए भी जनता पार्टी की सरकार ने उनको बन्द कर दिया। मेरा

(श्रीमती कमला मीणा)

निवेदन है कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उनको दुबारा बजट में लाकर हमें अनुग्रहीत किया। उसके लिये मैं मेरी ओर से और आदिवासी भाइयों की तरफ से धन्यवाद देती हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कौन-कौन से आश्रम स्कूल बन्द किये गये, कृपया यह भी बता दें ताकि हमको पता लगे।

श्री भैरूलाल (उदयपुर, ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय भैरोंसिंह जी कहते हैं कि राजस्थान के विकास का कोई भी कार्य सरकार करेगी तो हम सहयोग देंगे लेकिन आपके जाने के बाद कितने ही माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते हैं और छोटी-छोटी बातों के ऊपर बहिर्गमन कर जाते हैं सदन का समय व्यर्थ करते हैं। आप इनको समझा देवें।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा है कि जो स्कूल खोले गये थे, उनको जनता पार्टी के शासन में बन्द कर दिया गया। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति विकास विभाग उस समय मैं देखता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में कौनसे आश्रम आदिवासी क्षेत्र के बन्द कर दिये गये थे। स्थान का नाम बता दें।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला भील : सागवाड़ा कान्स्टीट्यूएन्सी में रूडलई, बाड़ाबड़गमा में दो चार स्कूल थे वह बन्द कर दिये गये।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने संकल्प प्रस्तुत किया है पर इसके विषय में यह नहीं बताया कि आश्रम स्कूल क्या हैं, इनमें किस तरह की सुविधायें किनको दी जाती थीं, कहां-कहां चल रहे हैं कौन-कौन से चल रहे थे, कितने सरकारी थे, कितने अनुदानित थे, कब बन्द किये गये, कब प्रस्तावित किये गये, क्या कारण था, और फिर आपने उनको क्यों शुरू करने का सोचा है। माननीय सभापति महोदय, वास्तविकता यह है कि राजस्थान में आठ आश्रम स्कूल चल रहे हैं यह सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड योजना थी जो कालान्तर में स्टेट प्लान में आ गई। आश्रम स्कूल योजना के तहत कुछ बच्चों को प्राइमरी स्कूल तक एजूकेशन दी जाती है और उनको रेजिडेन्शल फैसिलिटीज भी मिलती है। यह आठ आश्रम स्कूल चल रहे थे, उनमें से चार अनुदानित थे। चार अनुदानित कहां थे वह मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेन्ट के दो आश्रम स्कूल डूंगरपुर में, एक सिरोही और एक सिकराय में चल रहे थे। इनके अतिरिक्त इनका सारा खर्चा सरकार वहन करती थी। प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे इनमें पढ़ रहे थे, इनकी 25 से 30 तक की संख्या थी। एक अनुदानित संस्था हटून्डी अजमेर में चल रही थी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें। मेरी राय में जिनका संकल्प है उनको बोलने दें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्या अपना संकल्प प्रस्तुत करके बैठ गई हैं, समाप्त कर चुकी है।

श्री सभापति : आप जारी रखें माननीय सदस्या। आप जारी रखें। आपने इसको

(श्री सभापति)
पाइन्ट आफ आर्डर के रूप में उठाया था इसलिये मैं व्यवस्था दे रहा था।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय चार अनुदानित स्कूल चल रहे थे। एक हटूण्डी में, जो अजमेर के पास है और जो बहुत बड़ा एजूकेशनल सैन्टर है, दूसरा बाल रश्मि, जयपुर जो स्वयं में बहुत बड़ा एजूकेशनल सैन्टर है, तथा दो आदिम जातियों के लिये, एक ऋषभदेव में और एक शाहबाद में। अनुदानित स्कूल पर करीब 65-70 हजार रुपया और इससे ज्यादा सरकारी स्कूल पर खर्च होता है। उन स्थानों, जहां वे चल रहे थे, पर प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था भी थी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या, मैं कहना चाहता हूं.....

श्री सभापति : यह उत्तर नहीं है। इसके ऊपर माननीय सदस्यों को विचार करने का पूरा अधिकार है, आपको भी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, जहां-जहां भी यह आश्रम स्कूल चल रहे थे उन सब जगहों पर प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था क्यों न करें? मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आश्रम स्कूलों में से किसी स्कूल में प्राइमरी का कोई बच्चा रहता नहीं है। उनमें रहने की व्यवस्था की गई है वह इसके लाभ के लिए है। इसलिए उन स्कूलों में प्राइमरी स्कूल खोले जायें। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे हैं उनको शैक्षणिक सभी सुविधा दी जायें।

श्री देवी सहाय गोपालिया (सिरोही) : सिरोही जिले में सन् 1952 में एक आश्रम स्कूल खोला गया था तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उसमें आदिवासी बच्चे पढ़ते थे और अध्ययन करते थे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी। आप दो मिनट बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : जैसी कि भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री श्रीमती विद्या पाठक जी ने सदन में जानकारी दी कि समाज कल्याण विभाग के 4 स्कूल चल रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा है, उन्होंने गलत कहा है। मेरे क्षेत्र में एक आश्रम स्कूल चलता था वह आश्रम विद्यालय जनता पार्टी के राज में बन्द नहीं किया गया, वह कांग्रेस के शासन में किया गया।

आबू रोड से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सिरोही-आबू रोड तहसील का जो आश्रम है वह बम्बई राज के टाइम पर हुआ। वह आश्रम स्कूल आज भी चल रहा है। कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन में आबू रोड से 35 मील दूर आश्रम स्कूल बीहड़ जंगलों में था, जहां सड़क नहीं थी वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। जनता पार्टी के तीन वर्ष में सबसे पहले वहां पर सड़क बनाने की व्यवस्था थी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में कांग्रेस सरकार के 30 साल के समय में सिर्फ एक आश्रम स्कूल खोला था। परन्तु डूंगरपुर जिले में जनता पार्टी के 3 वर्ष के समय में 6 आश्रम स्कूल खोल दिये गये। इसी तरह से उदयपुर

(श्री नन्द लाल मीणा)
जिले में भी खोले गये। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता .....,

श्री देवी सहाय गोपालिया : सभापति महोदय, मैं आपसे.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप आराम से बोलिये।

श्री देवी सहाय गोपालिया : जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि.....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, मैं.....

श्री सभापति : मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री देवी सहाय गोपालिया : माननीय सदस्य कह रहे थे कि 35 मील दूर है जब कि वह केवल 12-13 मील दूर है। उस आश्रम स्कूल में आदिवासी बच्चे, बहुत गरीब बच्चे पढ़ते लिखते थे। उसको जनता पार्टी ने बन्द कर दिया था ...,

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आप, माननीय सदस्य, इन्टूप्शन नहीं करें।

श्री देवी सहाय गोपालिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो 35 मील दूर की बात कही है वह गलत है। वह केवल 12 मील दूर है।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री रूप लाल परमार (खेरवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो आश्रम स्कूल था, आज भी बन्द पड़ा हुआ है। हमारी तहसील में गरीब आदिवासी पढ़ते थे। आज यह कह रहे हैं कि जनता पार्टी के राज में कहां खोला ? स्कूल बन्द पड़ा है। जनता पार्टी के शासन में वहां वह आश्रम बन्द किया गया और आज भी बन्द है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं...

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो आश्रम है वह आश्रम भी बन्द पड़ा हुआ है। उनको..

(व्यवधान)

अभी आपको बताऊं कि एडमीशन लेने के लिए बेचारे आये हुए हैं और प्रिंसीपल को तकलीफ हो रही है कि वह बच्चों को कहां भेजे। मैं मंत्री जी से कहूंगी कि वह आश्रम वापस खुलवाने की जितनी कोशिश कर सकें वह करें।

श्री सभापति : श्री नाना लाल !

श्री नाना लाल (राजसमन्द) : आश्रम स्कूल इसलिए खोले गये थे ताकि आदिवासी लोगों को, बच्चों को सुविधा मिलती रहे और उनको थोड़ा बहुत शिक्षा होती रहे। किन्तु जनता पार्टी का राज आने के बाद उन्होंने जिस ढंग से सुनियोजित ढग से आरक्षण को खतम करना चाहा उसी तरह से आश्रम स्कूल को बन्द कर दिया। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, वह वास्तव में निन्दनीय है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय सबसे बड़ी बात तो यह है कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपने अपना समय ले लिया है।

श्रीमती विद्या पाठक : एक मिनट बोलना चाहती हूं। सबसे बड़ी इन्ट्रेस्टिंग बात तो यह है कि कन्फ्यूजन सभी माननीय सदस्य इस बात पर कर रहे हैं···

श्री सभापति : आप उत्तर तो माननीय मंत्री महोदय की ओर से आने दीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : एक मिनट में बात समाप्त कर दूंगी।

मैं यह कह रही थी कि कुछ आश्रम स्कूल तो जनजाति विभाग के खोले हुए हैं और जो बंद भी हैं कुछ समाज कल्याण जिन्हें बन्द करने की योजना थी। यह बात सही है कि...

श्री सभापति : आप जितना समय चाहती हैं ले सकती हैं। 15-15 मिनट एक माननीय सदस्य ले सकता है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं। आप एक-आध मिनट और दीजिये। माननीय सभापति, दूसरी बात यह है कि हमारे समय में तो केवल विभागीय स्तर पर ही, अधिकारी स्तर पर जुलाई, 79 में यह प्रस्ताव हुआ था। इम्पलीमेन्टेशन तो आपकी सरकार ने मार्च, 80 में किया है। अब आप क्या कहना चाहते हैं, इसका दोष जनता सरकार को क्या देना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुरज देवी मल्होत्रा : माननीय सभापति महोदय, मैं···

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप स्थान ग्रहण करें। मैं प्राइवेट बिल की प्रक्रिया के बारे में अवगत करा दूं···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। प्रक्रिया यह है जो सदस्य इसमें समय लेना चाहते हैं उन्हें 10–10, 15–15 मिनट का समय मिलेगा। अपनी बात आराम से कहें, यह कोई क्रास एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। किसी ने एक बात कही और दूसरे ने उठ कर जवाब दिया। मेरा आपसे निवेदन है इस बारे में कि माननीय सदस्य अपने विचार निष्ठापूर्वक आराम से कह सकते हैं। आपको 10–10, 15–15 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद मंत्री, सरकार की तरफ से उत्तर आयेगा। जो सदस्य महानुभाव ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है उनको उत्तर देने का अवसर मिलेगा। आप अगर डिबेट रखना चाहें तो डिबेट करें। बीच में खड़े होकर व्यवधान न डालें। क्रास एग्जामिनेशन न करें एक दूसरे का। अगर कोई सदस्य बोलना चाहते हैं तो मैं पुनः समय देने के लिये तैयार हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा!

श्री भंवर लाल शर्मा (हवा महल) : माननीय सभापति महोदय, यह जो संकल्प सदन के सामने आया है उसमें दोनों तरफ से बातचीत हुई है उससे पता नहीं लगता है कि वास्तव में कोई आश्रम बन्द किये गये हैं या नहीं किये गये हैं। यदि किया गया है तो कौन सा किया गया है उसके क्या कारण हैं, उसको चलाना उपयोगी था अथवा नहीं। यह बात अब तक स्पष्ट

(श्री भंवर लाल शर्मा)
नहीं है तो ये सदन में बैठे माननीय सदस्य किस विषय पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं ? इसलिए हम यह निवेदन करेंगे कि पहले यह बता दिया जाये कि कोई आश्रम बन्द किया गया है या नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो कौनसा व क्यों ?

श्री सभापति : यह तो कई माननीय सदस्यों ने कहा कि किया गया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आप माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप बोल चुके हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कुछ माननीय सदस्यों ने नाम लिए हैं लेकिन उसका प्रतिकार किया गया, यह बन्द नहीं किये गये, इसलिए अधिकृत जानकारी के लिये भेजें कि कौन कौन से स्कूल बंद किए गए, कौनसे नहीं किए गए, बंद करने का कारण क्या है, कब बंद किए गये। यह निश्चित विषय सामने आ जायेगा तो निश्चित रूप से विचार रख सकेंगे····

श्री सभापति : आपने जो शंका जाहिर की है, माननीय सदस्यों ने संकल्प प्रस्तुत किया उसका कुछ न कुछ निश्चित रूप से आधार होगा, ऐसा आसन मान कर चलता है, निश्चित रूप से कोई न कोई आधार होगा। उसके बाद भी कई माननीय सदस्यों ने यह बात यहां कही है कि कई आश्रम बंद किए गए हैं। यह तो पूरी स्थिति जब सरकार का वक्तव्य आएगा उसी वक्त साफ हो सकेगी लेकिन प्रक्रिया के अन्दर सरकार का वक्तव्य अभी नहीं आएगा। इस पर माननीय सदस्य विचार व्यक्त करेंगे। जब कोई सदस्य नहीं बोलने वाला रहेगा तब सरकार का वक्तव्य आयेगा। उसके बाद माननीय सदस्य, जिन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है, का उत्तर आयेगा तब ही सारी स्थिति साफ होगी।

श्री नाथू राम (डूंगरपुर) : आपने बताया कि हमारे समय में आश्रम स्कूल बंद नहीं हुए। मेरा निवेदन है कि आश्रम स्कूल बंद ही नहीं हुए बल्कि छात्रावास भी बंद हुए, माननीय सदस्य ने जो बताया है वह वाकई बंद हुए। आज तक बच्चे तरसते रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं ? स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की जो योजना चलाई गई थी उसका कोई न कोई मतलब था। कुछ कर्मचारियों या किसी और कारण से सारे आदिवासियों को नुकसान करने का क्या कारण था !

श्री सभापति : आप बोल चुके हैं माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, अच्छा होता कि जिस माननीय सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया है वह पूरी तरह इसकी जांच पड़ताल करते, इसकी स्टेडी करते, जानकारी प्राप्त करते और फिर संकल्प के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते। कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे लेकिन वे विचार उन्होंने किस तरह से रखे हैं, कब निर्णय हुआ, कब लागू हुआ, किसने निर्णय लिया, किसने लागू किया, रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट किसने बनाई, इस संबंध में पूर्ण रूप से सदन को अवगत कराते, पूर्ण तथ्यों की जानकारी यहां पर प्रस्तुत करते। उसके बजाय मुझे यह लगा कि

(श्री नाथू सिंह)

इसको राजनैतिक रूप दिया जा रहा है केवल मात्र यह कहना चाहते हैं कि आदिवासी लोगों के हम ही हितैषी हैं भूतपूर्व जनता सरकार आदिवासियों की विरोधी थी। एकमात्र उद्देश्य यही है। बार-बार जो बुजुर्ग सदस्य बोल रहे हैं। उनके मुख्य सचेतक ने एक दिन कहा था कि जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिये। लेकिन बुजुर्ग सदस्य उधर से बोल रहे हैं। मैं सोचता था ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है आदमी जिम्मेदार होता जाता है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ज्यों ज्यों बुजुर्ग होते हैं जिम्मेदारी कम होती जाती है, कम जिम्मेदार होते हैं उतने ही गैर जिम्मेदार तरीके से वे बोल रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर): इनसे कहिये कि XXX हमें एतराज है।

श्री नाथूसिंह : मैं सबके लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : बुजुर्गों के प्रति रिफ्लेक्शन न हो।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आप अपने बुजुर्गों की भी ऐसी इज्जत करते होंगे, शर्म करो।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, जो लोग समझदार है वे बैठे हुए हैं लेकिन जो लोग अपने बारे में ऐसा समझ रहे हैं वे शायद XXX कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं मैंने सबके लिये नहीं कहा था।

श्री सभापति : It should be expunged. XXX

श्री अहमद बक्श सिन्धी : इसको एक्सपंज किया जाय XXX आप क्या समझते हैं? क्या माइने रखते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने एक्सपंज कर दिया इसको।

श्री नानालाल : आसन की व्यवस्था है, जो कुछ प्रक्रिया है, माननीय सदस्य ने पेश की है उस प्रक्रिया के लिये आसन की तरफ से संकेत हो सकता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय!

श्री सभापति : मैंने उनसे निवेदन किया है कि अपनी भाषा पर संयम रखें, आप कृपया भाषा पर संयम रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो शब्द बोले गए क्या असंसदीय थे?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री नाथू सिंह : जो आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, उनके वाक्य दोहराये थे। हमने अपनी बात नहीं की इसलिए आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, स्कूल बंद करने की बात कह रहे हैं आश्रम स्कूलों के बारे में। समाज कल्याण और जनजाति विभाग दो तरह के विभाग जनता सरकार के अधीन थे, अब तक हैं, उस समय काम कर रहे थे। जनता सरकार ने निर्णय लिया उसके अनुसार जनजाति विभाग था उसको अधिक

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूसिंह)

अनुदान दिया। उन्होंने कहा जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं उनका विकास करने के लिए जनजाति विभाग है, उसको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मुझे खुशी है उस विभाग के मंत्री उस समय हमारे श्री नंदलाल मीणा थे जो इस समय विधायक हैं और जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्हें पूर्ण जिम्मेदारी दी गई और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि उनके नेतृत्व में आदिवासियों का विकास हुआ, आश्रम स्कूलों को प्रोत्साहन मिला, वहां के लोगों का विकास हुआ, जो आदिवासियों का उस विभाग ने उस समय विकास किया वैसा पिछले तीस सालों में नहीं हुआ। जितना पैसा उस समय खर्च किया, अगर आप चाहें तो मैं उनके सामने आंकड़े पेश करूं लेकिन सदन का समय उससे बरबाद होगा। इसलिये आंकड़ों में न पड़ कर मैं कह सकता हूं कि पिछले 30 सालों में आदिवासियों के लिए जितना पैसा खर्च किया गया उससे अधिक पिछले तीन सालों में जनजाति विभाग के तहत आदिवासियों पर खर्च किया गया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग में एक इकानामी कमेटी थी उसके हैड उस समय के मुख्य सचिव थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक इकानामी कमेटी बनी और उस कमेटी की मीटिंग हुई। समाज कल्याण विभाग के पास पैसा कम था, तो हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने जनजाति विभाग को अधिक पैसा दे दिया था। समाज कल्याण विभाग के पास पैसा कम था। समाज कल्याण विभाग के तहत जो गरीब बच्चे थे बाकी गरीब लोग थे उनका विकास करना चाहते थे, उसमें पैसे की कमी हुई और जनजाति विभाग को अधिक पैसा दिया गया। उस संबंध में मंत्री महोदय के लेवल पर इस बारे में कोई बात नहीं थी लेकिन जो इकानामी कमेटी बनी हुई थी समाज कल्याण विभाग की, उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई थी उसने यह निर्णय लिया। उसने कहा कि इस विभाग में पैसे की कमी है और जनजाति विभाग को पैसा अधिक दिया दिया गया है। जुलाई 1979 में कमेटी ने निर्णय लिया कि इस विभाग में चूंकि पैसे की कमी है, इसलिए इस तरह के स्कूलों के बारे में कुछ इस तरह का निर्णय लिया। वह निर्णय लेने के पश्चात् उस पर कोई कार्यवाही तत्कालीन सरकार ने नहीं की, वह केवल विचारार्थ तत्कालीन सरकार के सामने था। उस कमेटी की सलाह थी और सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सरकार ने सोचा कि हम विचार करेंगे हालांकि जनजाति विभाग को बहुत पैसा दिया गया था। तत्पश्चात् मार्च, 1980 में, माननीय सदस्यों को खुशी होगी, जब दिल्ली में इनकी सरकार बनी राजस्थान में सलाहकार इनके नियुक्त किए गए थे, यहां पर जो आपकी देखरेख में सरकार चल रही थी, उन लोगों ने, मुझे दुःख है, इस तरह का निर्णय लिया। हमारी इकानामी कमेटी आफिसर्स लेवल पर बनी हुई थी उसकी मात्र सलाह थी, हमारी सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, न ही स्कूल बंद किये। एक भी शिकायत मंत्री महोदय बता दें, उनसे निवेदन करना चाहता हूं जब इस प्रश्न पर अपने विचार प्रस्तुत करें उस समय बतायें मार्च, 1980 से हमारी सरकार थी 18 फरवरी, 1980 तक, पहले एक भी

(श्री नाथूसिंह)

शिकायत किसी तरफ से नहीं मिली। वह बतायें कि किन-किन स्कूलों को बन्द किया गया ? साथ में यह भी बतावें कि किस लेवल पर बन्द किये गये ? सभापति महोदय, उस वक्त तत्कालीन मंत्री के पास इसके सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई, न ही कोई पत्र प्राप्त हुए कि स्कूल बन्द कर दिये गये हैं। इसीलिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं जैसे कि आदिवासी लोगों के विकास करने का ठेका इन्हीं का है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी स्कूल बन्द किये गये हैं वह स्कूल जनता पार्टी की सरकार थी तब तक बन्द नहीं किये गये, वह मार्च, 1980 के बाद में बन्द किये गये हैं। उन स्कूलों को बन्द करने का श्रेय अगर किसी को है तो, सभापति महोदय, उस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये सलाहकारों को है। उन्होंने ही इन स्कूलों को बन्द किया है। हमने बन्द नहीं किया। आपकी सरकार ने ही बन्द किया है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जब भी माननीय मन्त्री जी इसका जवाब दें तब यह स्पष्ट रूप से बतायें कि वास्तविक स्थिति क्या थी। किस सरकार के समय स्कूल बन्द किये गये।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है। वह यह कहती है जैसे आदिवासी लोगों और अनुसूचित जनजातियों का विकास करने का ठेका उन्हीं का है। सभापति महोदय, इन्हीं कांग्रेस वालों से कई बार यह सुना गया है कि यह आरक्षण समाप्त करने जा रहे हैं। कई बार कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त नहीं कर रहे हैं। मैं इस पचड़े में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर जन जाति के लोगों के विकास या आदिवासी लोगों के विकास का श्रेय किसी को जाता है तो वह राजस्थान की भूतपूर्व जनता सरकार को जाता है। इसके साथ-साथ जनता पार्टी की सरकार में मन्त्री श्री नन्दलाल मीणा, जो कि इस समय सदन में बैठे हुए हैं, को श्रेय जाता है जिन्होंने अधिक पैसा लगा कर आदिवासी लोगों के विकास के लिये योजनाओं को क्रियान्वित किया। सभापति महोदय, आज भी जब आदिवासी क्षेत्रों के लोग यहां आते हैं तो पूर्व की सरकार को याद करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है। मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अब आदिवासी लोग पढ़ लिख गये हैं। अब वह आपके झूठे नारों में आने वाले नहीं हैं। आपकी चालाकी में आने वाले नहीं हैं। अब आपके पास उनको फंसाने के लिये कोई साधन नहीं हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कुछ नये तथ्य बताना चाहते हैं क्या ?

श्री देवीसहाय गोपालिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य नाथूसिंह जी ने जो मुद्दे सदन के सामने रखे हैं वह सभी तथ्यों से परे हैं। जनता सरकार का ही निर्णय था जिससे आश्रम स्कूलों को बन्द किया गया। जब यह स्कूल बन्द किये गये उस वक्त मैंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों

(श्री देवी सहाय गोपालिया)

से इसके बारे में बातचीत की उन्होंने मुझे यह जानकारी दी थी कि यह जनता पार्टी की सरकार का निर्णय था कि इन स्कूलों का बन्द कर दिया जाय। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के पास ट्राइबल ब्लाक है जहां अधिक मात्रा में आदिवासी लोग रहते हैं। मेरे इलाके के पास आबू रोड से 12 मील की दूरी पर आदिवासी लोगों के लिये सन् 1952 में एक आश्रम खोला गया था। जनता पार्टी के निर्णय लेने से वह आश्रम बन्द कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अवसर दूंगा। अभी थोड़े समय पहले आपके दल के सदस्य का बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ है। मैं आपको माननीय सदस्य देवेन्द्रकुमार के बोलने के बाद अवसर दूंगा।

श्री देवेन्द्रकुमार (सराड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपको उदयपुर डिवीजन के आदिवासी लोगों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे उदयपुर डिवीजन में आदिवासी लोग बहुत रहते हैं। वहां पर कांग्रेस शासन में सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिये आश्रम स्कूल खोले गये थे। वह स्कूल बन्द हो जाने से आदिवासी लोगों के बच्चे पढ नहीं सकते हैं। आदिवासी लोग बहुत ही गरीब हैं। पैसा नहीं होने से उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं।

(3.13 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

सभापति महोदया, कांग्रेस सरकार ने गरीब आदिवासी बच्चों के लिये आश्रम खोले थे। आश्रम स्कूलों के खुलने से आदिवासी बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। इसका मैं एक उदाहरण सदन में देना चाहता हूं। सभापति महोदया, उदयपुर डिवीजन में केसरियाजी हमारे लिये और गुजरात वालों के लिये एक बहुत बडा धार्मिक तीर्थ स्थान है। वहां पर एक आश्रम स्कूल कांग्रेस सरकार द्वारा खोला गया था। पर जब कांग्रेस शासन सन् 77 में गया और जनता पार्टी राज आया तो, सभापति महोदया, उस आश्रम स्कूल को बन्द कर दिया गया। इस कारण गरीब लोगों के जो बच्चे इसमें पढ़ते थे जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं था वह बच्चे पढने से महरूम रह गये। सभापति महोदया, आदिवासी एरिया, जिसमें सराड़ा, खेरवाड़ा गोगुन्दा के क्षेत्र आते हैं, के लिये मेरा निवेदन है कि इस एरिया में एक ही नहीं बल्कि अधिक आश्रम खोले जायं। सभापति महोदया, वहां के आदिवासी लोग गरीब हैं उनके पास पैसे नहीं हैं इसलिये वहां पर अधिक से अधिक आश्रम खोले जायं। इसके अलावा मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि केसरियाजी में पहले जो आश्रम स्कूल था वह जनता पार्टी की सरकार ने बन्द कर दिया था उसमें सराड़ा, खेरवाड़ा, गोगुन्दा के लड़के लड़कियां पढती थीं। उस आश्रम स्कूल को वापस चालू किया जाना चाहिए जिससे कि गरीब लोगो के बच्चे पढ़ सकें।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदया, जन जाति के विकास के लिये जनता सरकार

(श्री नन्द लाल मीणा)

ने अपने शासन काल के तीन वर्षों में जो विकास के काम किये उसके बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। जनता सरकार ने अपने तीन साल के शासन काल में जन-जाति के विकास के लिये और उनके बच्चों के पढने के लिये कई आश्रम खोले। यहां पर यह बात कही गयी है कि जनता सरकार ने उन आश्रमों को बंद कर दिया, यह बिल्कुल गलत है। सभापति महोदया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं सन् 47 में हमारा देश भारतवर्ष आजाद हुआ। उसके बाद में हमारे यहां पर लगातार तीस साल तक कांग्रेस का शासन रहा। उन तीस सालों में कांग्रेस ने एक नारा दिया और एक ही राग अलापा कि अगर आदिवासी लोगों का कोई विकास कर सकता है तो वह कांग्रेस सरकार है। उन्होंने एक ही नारा दिया कि आदिवासी लोगों का सर्वांगीण विकास किया जायेगा। उनके विकास के लिए समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी। उदयपुर में समाज कल्याण विभाग का आफिस खोला गया। सभापति महोदया, जब सन् 77 में जनता पार्टी का शासन आया उसकी हुकूमत बनी...

श्री अहमद बख्श सिन्धी : सभापति महोदय, यह पहले बोल चुके हैं। अब दूसरी दफा बोल रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं चार दफा बोलूंगा। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : आपको मुझे कहने का कोई हक नहीं है। आप मुझको एड्रेस करके नहीं बोल सकते। आपको बोलने की तमीज नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना है यह फैसला आसन को करना है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदया, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि राजस्थान में रहने वाला कोई भी आदिवासी हो, चाहे वह सवाई माधोपुर का मीणा हो, चाहे वह डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या आबू रोड के आसपास के आदिवासी हो उसकी माली हालत सुधारने के लिये हमें कुछ उनके लिये योजनायें बनानी चाहिये। सभापति महोदया, कांग्रेस के पिछले तीस साल के शासन में आम जनता और आदिवासी क्षेत्र के लोगों में वही जमीन आसमान का अन्तर चलता रहा जो कि सदियों से चला आ रहा था। हमारे उस समय के मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने अपने मन्त्रिमण्डल में यह फैसला लिया कि जो जमीन आसमान का अन्तर है उसको पाटा जाना चाहिये। किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है उसके लिये जन जाति विकास विभाग की अलग से स्थापना की गई। मुझे, सभापति महोदया, बड़ी खुशी होती है इस बात के लिये कि हमारी जनता पार्टी की सरकार ने जो सर्वप्रथम कार्य किया वह था राजस्थान में जनजाति विकास विभाग की स्थापना। सन् 75 में ट्राइबल सब प्लान बना था जिसके अनुसार आदिवासियों के विकास के कार्यक्रम की योजनाओं के लिये जयपुर में जो आफिस था हमने सबसे पहले उसको उदयपुर स्थानान्तरित किया क्योंकि जयपुर में बैठे उदयपुर डिवीजन के आदि-

(श्री नन्द लाल मीणा)

वासियों की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकते । सभापति महोदया, जयपुर में बैठ कर उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और आबूरोड के आदिवासियों के लिये किसी प्रकार व्यवस्था नहीं हो सकती थी । इसलिये योजनाओं का पूरा लाभ आदिवासी लोगों को देने के लिये हमने उस आफिस को उदयपुर स्थानान्तरित कर दिया। इसके बाद में जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार स्वावलम्बी बनाया जाय । सभापति महोदया, अगर उनको स्वावलम्बी नहीं बनाया जाता तो उनमें एक हेय भावना रहती। अगर, सभापति महोदया, राज्य सरकार आदिवासियों के लिये करोड़ों रुपये भी खर्च कर देती और हेय भावना उनके मन से नहीं जाती तो उसका कोई मतलब नहीं रहता इसलिये उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये, उनके अन्दर हेय भावना समाप्त करने के लिये हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि हमें आदिवासी क्षेत्र के लोगों में जन-जागरण की योजनायें बनानी चाहिये। इसलिये पहले योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना शुरू किया और योजनाओं के माध्यम से हमने जन जागरण किया । हमने काम के बदले अनाज योजना जैसी योजनाओं को लागू किया। यहां पर बैठे कांग्रेस के कई सदस्य बोलते हैं, वह मेरे लिये बड़े हैं, सम्माननीय, हैं मैं उनका आदर करता हूं पर यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आश्रम स्कूल जो बन्द किये गये हैं वह कांग्रेस सरकार ने बन्द किये हैं। यह उसने राजनैतिक द्वेष भावना से किया था । मैं, सभापति महोदया, मंत्री महोदय को और सदन को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो विकास का काम कांग्रेस शासन के पिछले तीस वर्षों में उदयपुर डिवीजन और आदिवासी क्षेत्रों में नहीं हो सका वह काम जनता पार्टी की ढाई की साल सरकार में किया गया। आप आज उधर बैठकर आदिवासी लोगों की दुहाई देते हो किन्तु हमने जो काम किया वह आप अगर पांच साल में भी करके बता दो तो मैं आपका जिन्दगी भर गुलाम रहने को तैयार हूं। आप क्या आदिवासी लोगों का उत्थान करोगे? आप में उनका विकास करने की भावना ही कहां है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : हमारी सरकार ने ही तो तुम्हें बोलना सिखाया है । उसने ही तो तुम्हें पढ़ाया है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं। आप बीच में व्यवधान नहीं डालें। इनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : इनकी यह भावना है तो यह क्या आदिवासी लोगों को ऊपर उठाने की नीतियां लागू करेंगे । सभापति महोदया, इनकी भावना देखो । मैं कांग्रेस शासन में पिछले चार दिन से चिल्ला रहा हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में औरतों की इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की ढाई साल की सरकार में जन-जाति विकास के लिये हमने तीस नये आश्रम स्कूल खोले थे जिनमें आदिवासी लोगों की बालिकाओं को अध्ययन करने का मौका मिलता था।

(90)

(श्री नन्द लाल मीणा)

डूंगरपुर से आने वाले सदस्यों से पूछो कि सबसे पहले आसपुर तहसील, जिसमें सावला गांव है जहां के व्यक्ति अब तक यह नहीं जानते कि आश्रम स्कूल क्या होते हैं, में आश्रम स्कूल खोला, उसको सड़कों से जोड़ दिया, चिकित्सा के साधन उपलब्ध कराये। जो विद्यार्थी अब तक विद्यालय में नहीं जाते थे उनके लिये पोषाहार की व्यवस्था की। सभापति महोदया, उनके लिए पोषाहार की ही व्यवस्था नहीं की उनको पाठ्य सामग्री भी मिले, जनता पार्टी की सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की। जनता पार्टी की सरकार यह सोचती है कि जब तक आदिवासियों के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक विद्यालयों के बारे में निर्णय करना निराधार है। जनजाति क्षेत्र से मंत्री भोगीलाल पंड्या रहे, मोहनलाल सुखाड़िया आये परन्तु उन्होंने आदिवासियों की मूल आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया......

श्रीमती कमला मीणा : व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकते।

श्री नन्दलाल मीणा : सागड़ी व्यवस्था के उन्मूलन के बारे में जब कि कानून में व्यवस्था है फिर भी यह सरकार कुछ नहीं कर पाई। हमने सबसे पहले सागड़ी प्रथा के उन्मूलन के कार्यक्रम को हाथ में लिया। हम चाहते थे कि चाहे सूदखोर हो, सामन्त हो या और कोई भी हो वह गांवों में अत्याचार करता है तो सरकार का कर्तव्य है कि उसको सामने लाये और सजा दिलाये। यह हमारा उद्देश्य था। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कह कर आश्रम स्कूल के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जो माननीय सदस्य सराड़ा से आये हैं उन्होंने कहा था कि केसरियाजी का आश्रम स्कूल हटा दिया गया। सभापति महोदया, उस आश्रम स्कूल को कौन चलाता था? उसको भोगीलाल पंड्या चलाते थे जो कि कांग्रेस शासन के मंत्री रहे हैं, कांग्रेसी हैं। जनता पार्टी का शासन आया, उन्होंने सोचा कि हमारी राजनैतिक रोटियां नहीं सिक रही हैं, हमको जो फायदा मिलता था वह नहीं मिलेगा और कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें कटघरे में खड़ा कर दिया जाये। आश्रम में चोरी करने की नीयत थी। नीयत के आधार पर छात्रावास एक दुकान है, उनकी जागीर है, सभापति महोदया। यह जागीरें कांग्रेस सरकार ने कायम की थीं, सभापति महोदया। हम उनसे आदिवासियों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं ताकि बिचौलिये उन्हें खा नहीं जायें। हमारा कर्तव्य था कि हम उन पर अंकुश लगायें और कड़ी निगाह से हम उनको देखें।

सभापति महोदया, आपको मालूम है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह बनवासी छात्रावास चलता है प्रतापनगर, उदयपुर में। वह भी श्री भोगीलाल जी पंड्या चलाते हैं। मैं थोड़े दिन पहले वहां गया था तो लोग कह रहे थे कि इसमें पचास-पचास, सौ-सौ रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में लिए जा रहे हैं जब कि नियम यह है कि एक छात्र से दस रुपये ही लिए जायें। सभापति महोदया, यह सब भोगीलालजी पंड्या के चेले हैं। यह नहीं बोल सकते। यह बोलते हैं कि आश्रम स्कूल हमने हटा दिये, आश्रम स्कूल हटाने की जिम्मेदारी हमारी है? कोई एक व्यक्ति भी यह कह दे इनमें से कि जनता पार्टी के शासन में एक भी आश्रम स्कूल हटाया हो तो हम सजा पाने के लिए तैयार हैं वरना

(श्री नन्द लाल मीणा)

वह सत्ता पाने के लिए तैयार हो गये। राजनैतिक लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं है, सभापति महोदया।

मैं एक और निवेदन करूंगा, सभापति महोदया, कल मैंने हाउस में प्रश्न किया था कि क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में 1980-81 में नये छात्रावास खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और ऐसे छात्रावासों में छात्र संख्या क्या होगी ? मैंने पूछा कि जन जाति क्षेत्र में कितने छात्रावास चल रहे हैं ? ट्राइबल सब-प्लान में चल रहे छात्रावासों की तहसीलवार सूची मैंने मांगी। समाज कल्याण मंत्री जी ने उदयपुर जिले में केसरियाजी का नाम बताया है। उसमें लिखा है कि वहां पर 20 लड़कों का छात्रावास है। अब इनको सही मानें या माननीय सदस्य, जो सराड़ा से आये हैं, को सही मानें ? उन्हीं के मंत्री हैं वह आपस में तय कर लें कि बन्द किया या नहीं किया, इसका फैसला खुद ही कर लें। मेरे कहने का मतलब यही है, सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आज ही मेरे पास डूंगरपुर जिले में पीठ के कार्यकर्ता की चिट्ठी आई। लोगो ने मांग की थी कि वहां छात्रावास होना चाहिए। वहां के आदिवासी लोग मांग करते हैं उनकी सुविधा के लिए जब मैं जन जाति कल्याण मंत्री था तब मैंने तत्काल आदेश दिये थे विभाग को कि वहां तृतीय श्रेणी का छात्रावास खोल दिया जाये ताकि आगे आने वाले साल में राजकीय छात्रावास खोल सकें। उन्होंने कहा कि आपकी घोषणा थी। तो मैंने कहा था कि जब व्यक्ति बदलता है तब उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है तो जनता का हित नहीं होता। इस सरकार का दृष्टिकोण बदला हुआ है आदिवासियों के प्रति, सभापति महोदया। मैं यह चाहता हूं कि वह अपने गिरेबान में देखें, अपने इलाके में जाकर देखें और जो भी सूचना दें सोच समझकर दें ताकि आदिवासियों को गुमराह करने की बात नहीं हो। आपका और हमारा सब का उद्देश्य यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी क्षेत्र का और आदिवासियों का सीधा फायदा हो। जो फायदा आप कर सकेंगे उसमें हमारा भी सहयोग होगा।

श्री सभापति : इस पक्ष से कोई बोलेगा।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदया, छात्रावास बन्द ही नहीं हुआ तो यह संकल्प ही गलत हो गया।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, जो मुझे जानकारी देनी थी कि कोई आश्रम स्कूल बन्द नहीं किया गया वह सूचना माननीय श्री नन्दलाल जी मीणा ने दे दी। मैं अब इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं समझती हूं और इतना ही कह सकती हूं, ऐसा लगता है स्कूल और आश्रम स्कूल की दोनों बातें जोड़ ली गई हैं। इसलिए संकल्प जिन्होंने दिया है वह अपना वक्तव्य दें तो स्पष्ट करें कि वह कहना क्या चाहती हैं।

श्री सभापति : आप कुछ बोलेंगी ? आप बोलना चाहती हैं या बाद में बोलेंगी ? फिर मंत्री जी से बुला लिया जाये।

माननीय मंत्री महोदया,

श्रीमती कमला (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है उन्होंने स्वयं ने यह बात अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय कही है कि पूर्व में कुछ आश्रम स्कूल बन्द किये गये थे। अभी कुछ समय पहले बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि जो आश्रम स्कूल बन्द किये गये हैं हम उनको वापस खोलेंगे। उसका कारण यह था कि जैसे ही नयी सरकार बनी थी अनेक जगहों के कार्यकर्ता इस बात के लिए बार-बार अपना प्रतिवेदन लेकर आये थे कि पिछले समय में जो आश्रम स्कूल हमारे क्षेत्रों में चलते थे उनको सरकार ने बन्द कर दिया। अब वहां के बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। जो बहुत अच्छे वातावरण के आश्रम स्कूल चालू किये गये थे उनको यह कह कर कि वहां पर प्राथमिक शालायें पहले से हैं, बन्द कर दिया। कुछ आर्थिक कटौती होगी और इनकी आवश्यकता भी इतनी नहीं है क्योंकि वहां प्राथमिक शालायें हैं, इस प्रकार का उन्होंने प्रतिवेदन दिया। इन कारणों से स्कूल बंद किये गये। उसी बात को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रस्ताव तैयार करते समय मैंने निवेदन किया था कि इन आश्रम स्कूलों को वापस खोला जाये जिससे कि एक प्रकार की व्यवस्था के अन्दर जो पिछड़ी जाति के और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ने का और रहने का मौका मिल रहा है, उससे वह वंचित नहीं रहें। इसी कारण से पुनः चालू करने की व्यवस्था की गयी। 4 गवर्नमेन्ट के आश्रम स्कूल थे और 4 एडेड संस्थाओं की तरफ से चलाये जा रहे थे जो बन्द किये गये हैं। जो आश्रम स्कूल सरकारी थे उनको तो बिल्कुल बन्द कर दिया और जो एडेड संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे थे उनकी एड बंद कर दी। इस प्रकार का फैसला लिया गया। इसी प्रकार से 8 आश्रम स्कूलों को बन्द किया गया। उनसे सम्बन्धित जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बार-बार हमको प्रतिवेदन दिया था इसीलिए उन तमाम स्कूलों को वापस चालू करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी...

श्रीमती सूरजदेवी मलहोत्रा : हटूंडी का आश्रम भी इसी में है। कब तक वह आश्रम खोला जायेगा ?

श्रीमती कमला : बजट में घोषणा कर दी गयी है इसकी कार्यवाही शुरू होगी।

श्री नाथूसिंह : इन स्कूलों को आपने बन्द किया तो किस तारीख को और किस महीने में।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, मेरे पास निश्चित तारीख तो नहीं है। यह पता है कि इस सरकार के गठन से पूर्व जो भूतपूर्व सरकार थी उसने बन्द किये थे जिससे कार्यकर्ता बहुत परेशान थे इसलिये उसको वापस शुरू करना पड़ रहा है।

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं और मंत्री महोदया को जानकारी देना चाहती हूँ कि जुलाई 79 में इकानामी कमेटी, जो चीफ सैक्रेटरी के अन्दर में होती है, ने यह निर्णय लिया था। यह निर्णय तब इम्पलीमेंट नहीं हुआ था और यह मार्च, 80 में इम्पलीमेंट हुआ है। आपने कहा कार्यकर्ताओं ने एप्रोच किया। यह बात बहुत स्पष्ट है आप जानती हैं कि ऐसे मामलों में कार्यकर्ता एप्रोच क्यों

(श्रीमती विद्या पाठक)

करते हैं ? अनुदानित संस्था की सिफारिश अब आप चालू कर रहे हैं पहले इसमें फिजिबिलिटी कितनी है, यूटिलिटी कितनी है, यह भी देखें। कितने नये आश्रम स्कूल आप खोलने जा रहे हैं यदि उसकी यूटीलिटी हो तो भी इसके बारे में आपका कोई इन्डीकेशन होना चाहिये था। यदि सिद्धान्त रूप से सही मानती हैं तो बढ़ाइये संख्या वरना वह केवल एक संस्था के कारण पक्षपात पूर्ण नीति है।

श्रीमती कमला : मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, माननीय सदस्या, जो मंत्री भी रह चुकी हैं, अगर कोई अच्छी संस्था चल रही थी और उस संस्था को किसी कारण से आपके जमाने की किसी कमेटी ने बन्द करने की सिफारिश की, चाहे उसके पीछे . . . .

श्री नंदलाल मीणा : आप तारीख बतायें . . .

श्रीमती कमला : आप सुनने का कष्ट कीजिये। सुनाने का करते हैं तो सुनने का कष्ट भी करें।

मेरा निवेदन यह है कि इसमें बहस की जरूरत कैसे पैदा हो रही है यह मेरी समझ में नहीं आता। एक आश्रम स्कूल जहां चल रहा था, बच्चे निवास करते थे, पढ़ाई कर रहे थे, आपके समय में बनी हुई किसी कमेटी ने सिफारिश की कि उसे बन्द कर दिया जाये, चाहे दो दिन पहले लागू हो चाहे दो दिन बाद में उसका कोई तात्पर्य नहीं है। उस सिफारिश के आधार पर बन्द हो गया। आज इस सरकार ने बच्चों की स्थिति को देखते हुए, उसकी उपयोगिता को देखते हुए चालू कर दिया तो उसमें आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिये, परेशानी क्यों होनी चाहिये, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्रीमती विद्या पाठक : तकलीफ हमको इतनी ही है कि इसमें लिखा है भूतपूर्व सरकार ने बन्द किये। मेरी आपत्ति केवल इस पर है। 'भूतपूर्व सरकार ने' जो शब्द यूज किये हैं इस बारे में . . . . . .

श्रीमती कमला : बाद में आने वाली सरकार से पहले किसी भी सरकार ने किया वह भूतपूर्व सरकार होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, इसमें साफ लिखा है, जनता पार्टी की सरकार ने बन्द नहीं किये इसलिये यह संकल्प अपने आप में ठीक नहीं है। पहले अपने संकल्प में ही संशोधन कर लें। . . . .

(व्यवधान)

यह गलत बात है . . .

श्री सभापति : एक सदस्य बोलें। चार चार सदस्य बोल रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बोल रही हूं तो वह खड़ी हो गई हैं। आपकी तरफ देख कर मैंने बोलना शुरू किया है।

मैं कह रही हूं माननीय मंत्री महोदया ने यह बात कही है, भूतपूर्व सरकार ने बन्द किये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बन्द नहीं किये। जिस समय राष्ट्रपति शासन था उस समय बन्द हुए। सदन को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह का संकल्प दिया जा रहा है, यह गलत है।

श्रीमती कमला : अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार में इस प्रकार की

(94)

(श्रीमती कमला)

कमेटी बनी थी उस कमेटी ने यह कहा कि कटौती की जानी चाहिये । उसके दो दिन बाद लागू हुआ या पहले हुआ, कोई फर्क नहीं है...

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने यह कहा है एक इकानामी कमेटी बनी थी, कमेटी रुटीन में हुआ करती है । कमेटी ने फैसला दिया, उसको आप मानते या नहीं मानते । भूतपूर्व सरकार ने तो बन्द नहीं किये। यह तो आपकी सरकार ने ही बन्द किये हैं । मंत्री जी, आप गलत बयानी न करें ।

(व्यवधान)

केन्द्र में आपकी सरकार थी, वहां से डेपूटेड...

एक माननीय सदस्य : आप जरा तारीख बता दें..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसमें विवाद नहीं करें । माननीय सदस्या आप तीन दफा बोल चुकी हैं ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं जुलाई, 79 में जैसा आप बता रही थीं आर्थिक कमेटी बनी हुई थी उसने अपनी सिफारिश की, उस कमेटी ने भूतपूर्व जनता सरकार को सिफारिश की कि स्कूल बन्द किये जायें लेकिन उस सरकार ने उस सिफारिश को नहीं माना । हमारी सरकार चली गई, दिल्ली की सरकार को आप अपनी सरकार नहीं मानते । दिल्ली की सरकार ने सलाहकार नियुक्त किये । जिस सिफारिश को हमने नहीं माना, उस सिफारिश को उन्होंने मानते हुए मार्च, 80 में बन्द कर दिये तो इसका श्रेय आपको जाता है । भूतपूर्व जनता सरकार को कहां जाता है ? आप सदन को गुमराह कर रहे हैं सदन को गुमराह नहीं करना चाहिये । इसका श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है, इसमें अन्तर क्या है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या कमला जी, आप अपना उत्तर दें ।

श्रीमती कमला मीणा : सभापति महोदय, यह विरोधी पार्टी वाले, जनता पार्टी वाले इतना क्यों बोखला रहे हैं । भूतपूर्व सरकार से मतलब है...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×× क्यों बोल रही हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदया, आप बिराज रही हैं...

श्रीमती कमला भील : क्यों बोखला रहे हैं । आपके समय में यह काम शुरू हुआ था । आपने कहा बाद में बन्द किये गये हैं । मैं यह कह रही हूं...

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : आपके पास पूर्ण तथ्य ही नहीं हैं...

श्रीमती कमला भील : जनता पार्टी की आदत है इस तरह बोलने की । हम तो गरिमा में बोलते हैं, गरिमा में रहते हैं ।

×× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्रीमती कमला भील)

सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि बजट में वापस आश्रम स्कूल स्थापित करने के लिये प्रावधान रखा है। मैं यह चाहती थी कि इसमें और वृद्धि की जाये। 25 छात्रों के स्कूलों के लिये 75 हजार 900 रुपये का जो प्रावधान किया गया है उससे ज्यादा बजट दिया जाये।

मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं। धन्यवाद।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गलती··

श्री सभापति : This is no point of order.

श्री नाथूसिंह : माननीय मंत्री महोदया ने यह कहा है कि जनता सरकार ने बन्द किये··

श्री सभापति : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

माननीय सदस्या, आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती कमला भील : मैंने ले लिया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय सदस्या ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

माननीय सदस्या को संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्रीमती कमला भील : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन। अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

आप प्रस्ताव रख रहे हैं।

अफीम की काश्त करने वाले काश्तकारों के लाइसेन्स व क्रय मूल्य में वृद्धि

श्री बालचंद आर्यवीर (डग) : इसमें दो सदस्यों के नाम हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:–

"इस सदन का यह अभिमत है कि अफीम के काश्तकारों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के प्रयोजन से भारत सरकार को सिफारिश की जाये कि अफीम का क्रय मूल्य बढ़ाया जावे तथा अफीम की काश्त के लिये अधिकाधिक लाइसेंस प्रदान किये जायं।"

माननीय सभापति महोदया, मैं जिस जिले से आता हूं और जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं उस जिले में अफीम की काश्त काश्तकार और किसान लोग अधिक करते हैं माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पूर्व लोकसभा के चुनाव हुए, विधान सभा के चुनाव हुए तब कई उम्मीदवारों ने और खास कर कांग्रेस के नेताओं ने भाषण दिए कि हम आपको अफीम के पट्टे देंगे। अभी जो केन्द्रीय सरकार ने बजट पेश किया उसके अनुसार किसानों के पास जो अफीम के पट्टे हैं वह कम किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से

(श्री बालचंद आर्यवीर)

निवेदन करना चाहता हूं झालावाड़ जिले, चित्तौड़ जिले और कोटा जिले के काश्तकार अफीम की खेती करते हैं और इसी पर निर्भर रहते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, अफीम के काश्तकार रात दिन अपना खून पसीना एक करके खेती करते हैं और सरकार को धन कमा कर देते हैं किन्तु सरकार उनको बहुत कम मूल्य देती है, अधिक से अधिक 230 रुपया प्रतिकिलो देती है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिला कर निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव भेजे कि राजस्थान के जितने भी जिलों में जिन किसानों की अफीम की खेती होती है उन किसानों को उचित मूल्य दिया जाय, साथ ही जो उनके पट्टे केन्सिल कर रहे हैं वे न किये जायं।

सभापति महोदया, कई बार ओले पड़ने से अफीम गल जाती है और पैदावार कम हो पाती है। इस कारण वह सरकार के मापदण्ड के आधार पर अफीम नहीं तुलवा पाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इस बात का सरकार ध्यान रखे कि अफीम की वास्तविक कितनी पैदावार हुई है। इसी आधार पर उनसे वसूल करें। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान के किसानों को अफीम के अधिक से अधिक पट्टे दिये जायं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदया, इस संकल्प के दो पार्ट हैं-एक पार्ट है कि अफीम के लाइसेन्स, पट्टे अधिक से अधिक दिये जायं और दूसरा इसका क्रय मूल्य बढ़ाया जाय। सभापति महोदया, अफीम की काश्त के लिये भारत सरकार के कई जगह कार्यालय स्थापित हैं और उनके द्वारा पट्टे काश्तकारों को वितरित किये जाते हैं। सभापति महोदया, राजस्थान में कुछ हिस्से हैं-झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ इन जगहों पर अफीम की काश्त होती है। ये अफीम के पट्टे भारत सरकार के द्वारा दिये जाते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अफीम के नये पट्टे काश्तकारों को न दिये जायं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अफीम के जो पट्टे दिये जाते हैं उनमें भारत सरकार के द्वारा मात्रा निर्धारित की हुई है। जितने रकबा में काश्त हो, एक बीघा, आधा बीघा, दो बीघा उसके साथ अफीम की मात्रा भी तय कर रखी है। यदि उस मात्रा से कम तुलवाते हैं तो उसका तीन साल का एवरेज देखा जाता है। यदि उस एवरेज से कम होती है तो पट्टे कैन्सिल कर दिये जाते हैं। सभापति महोदया, कई बार अफीम की खेती पर ओले पड़ जाते हैं या कभी वर्षा कम होती है या कभी कोई रोग अफीम में लग जाता है तो काश्तकार उतनी अफीम पैदा नहीं कर पाता है, वह उसके हाथ की बात नहीं है। वह पूरी मेहनत करता है, खाद का प्रयोग करता है और ओपियम पैदा करता है लेकिन जो प्राकृतिक प्रकोप है, रोग लग जाना, ओले पड़ जाना, वर्षा कम होना उस आधार पर कई बार अफीम कम हो पाती है तो भारत सरकार पट्टे केन्सिल कर देती है। सभापति महोदया, जो गिरदावर की रिपोर्ट होती है, उसको ही सरकार मान लेती है जब कि स्थिति यह नहीं होती है। सभापति महोदया, एक गांव के अन्दर 25 काश्तकारों को पट्टे दिये गये,

(श्री अनंग कुमार जैन)

यदि उनमें से पांच काश्तकारों की अफीम कम तोली जाती है तो ऐसी स्थिति में पटवारी और गिरदावर इस बात की रिपोर्ट नहीं करते हैं कि उनके खेतों में वास्तविक रूप में ओला-वृष्टि या कम वर्षा होने से पैदावार कम हुई है अथवा किसी रोग के कारण कम पैदावार हुई है। पटवारी और गिरदावर की रिपोर्ट को अधिकारी सही मान लेते हैं। कई बार काश्तकार के द्वारा निवेदन किया जाता है और न्याय के लिये कहा जाता है तो उसके निवेदन पर न तो अधिकारी ध्यान देते हैं और न वहां का पटवारी और गिरदावर ध्यान देता है। जो कुछ पटवारी ने लिख दिया वही सही मान लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि वास्तविक स्थिति को देखा जाना चाहिये कि ओला वृष्टि हुई है, वर्षा कम हुई है अथवा कोई रोग लगा है। इन सारी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ओपीयम की फसल कम हुई तो उसका भी अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिये और काश्तकार को उचित मूल्य दिलाना चाहिये। ऐसी स्थिति में मेरा नम्र निवेदन है कि उनको निश्चित रूप से पट्टे दिये जाने चाहिये। पैदावार में कमी होने में काश्तकार का तो कोई दोष नहीं है काश्तकार तो पूरी मेहनत करता है, खाद देता है, पैसा खर्च करता है उसके बावजूद भी उसका पट्टा केन्सिल कर दिया जाता है तो उसको भारी नुकसान होता है।

सभापति महोदया, मेरा एक यह भी निवेदन है कि यदि ओपीयम की पैदावार अच्छी होती है तो ओपीयम विभाग को हाथों हाथ पैसा मिल जाता है। इससे काश्तकार को भी नगद पैसा मिल जाता है और सरकार को भी लाभ होता है। दूसरा जो पोस्त होता है उसका भी अच्छा पैसा मिल जाता है काश्तकारों को, इससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि अधिकांश ओपीयम एक्सपोर्ट होता है। जब ओपीयम एक्सपोर्ट होता है तो देश को फारिन एक्सचेन्ज भी मिलता है। तो केवल काश्तकारों को ही फायदा नहीं होता है बल्कि पूरे देश को भी इससे फायदा होता है। सभापति महोदया, यह जो ओपीयम की काश्त होती है इसमें काश्तकारों को काफी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी जो औसत प्रोडक्शन होता है वह कम होता है। इधर महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है तो उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन भी बराबर बढ़ रही है। एक-एक ओपीयम के डोडे में से उसको अफीम निकालनी पड़ती है। उसको अफीम की काश्त में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और यह ज्यादा खर्चा प्रोडक्शन पर आता है। काफी पैसा खर्च करता है तब जाकर प्रोडक्शन कर पाता है। भारत सरकार की तरफ से जो भाव तय किये गये हैं वह इसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखते हुए काफी कम हैं। इस कारण जो फायदा काश्तकार को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। सभापति महोदया, आज भाव काफी बढ़ चुके हैं, खाद की रेट बढ़ चुकी है, लेबर की रेट बढ़ चुकी है, काश्तकार को हर चीज महंगी खरीदनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में जो पैसा उसको सरकार से मिलता है वह उस अनुपात से कम मिलता है। इसलिये मैं, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार भारत सरकार को यह निवेदन करे कि ओपीयम की काश्त के लिये अधिक से अधिक काश्तकारों को पट्टे

(श्री अनंग कुमार जैन)

दिये जायं और साथ ही क्रय मूल्य बढ़ाया जाय।

भारत सरकार ने जो अभी निर्णय लिया है कि इस वर्ष ओपीयम के नये पट्टे नहीं दिये जायेंगे, इस सम्बन्ध में विशेष रूप से निवेदन है कि जो काश्तकार पिछले दो-तीन वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं के कारण, वर्षा कम होने के कारण, रोग लगने के कारण ओपीयम पूरा नहीं तुलवा पाये हैं उसके कारण जो उनके पट्टे केन्सिल किये गये हैं वे नहीं किये जायं। उन काश्तकारों ने सरकार को निवेदन किया है, रिप्रेजेन्टेशन दिये हैं और कम तुलवाने के कारणों का उल्लेख किया है, उनकी जांच कर ली जाय और कारण सही होने पर निश्चित रूप से उनको पट्टे प्रदान किये जाने चाहियें। काश्तकारों ने स्वयं ने बेईमानी नहीं की है, जानबूझ कर कम नहीं तुलवाया है बल्कि प्राकृतिक कारणों से कम तुलवाया है इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार भारत सरकार पर प्रभाव डाले कि जिन लोगों के पट्टे प्राकृतिक आपदाओं के कारण खारिज किये गये हैं, वह खारिज न किये जायं और साथ ही उनका क्रय मूल्य भी बढ़ाया जाय।

एक माननीय सदस्य: मेरे जिले से भी सम्बन्धित प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इस पक्ष की ओर से कोई बोलेंगे। आप बाद में बोलिये।

श्री देवदत्त तिवाडी(बाड़मेर): माननीय सभापति जी, मुझे इस संकल्प के बारे में कुछ थोड़ा विरोधाभास ज्ञात होता है इसलिए मैं उस पक्ष के लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि यह विरोधाभास या तो दूर हो अन्यथा इस विषय में हम पुनः विचार करें। एक ओर तो यह कहते हैं कि अफीम की कीमत बढ़ायी जाय। यदि अफीम की कीमत बढ़ायी जायेगी तो उसकी खेती बहुत ही प्रोफिटेबल हो जायेगी। आज यह माना जा रहा है कि अफीम की कीमत कुछ कम है, इसलिये यह धन्धा प्रोफिटेबल नहीं है। अगर धन्धा प्रोफिटेबल नहीं है तो ...

श्री दाऊ दयाल जोशी: सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है। ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए ...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : 20 हैं, पूरे हैं।

श्री सभापति : कोरम है।

श्री बंशीलाल पटवा : पहले आप बाहर चले जाइये तब कोरम हो जायेगा।

श्री सभापति : कोरम है।

श्री दाऊदयाल जोशी : शासन पक्ष को इस प्रकार की उदासीनता नहीं दिखानी चाहिए। गम्भीरता से इस मामले को देखें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हम जनता पार्टी में शासन में थे तो बैठते थे ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप देखिये, आपकी तरफ कितने सदस्य हैं और हमारी तरफ कितने आदमी हैं। आप देखिये कोरम पूरा है।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है . . .

श्री सभापति : आप बोलिये ।

श्री देवदत्त तिवडी : माननीय सभापति जी, मैं पुनः विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर अफीम का धन्धा आज के दिन प्रोफिटेबल नहीं है तो लाइसेंस क्यों मांगे जा रहे हैं? लाइसेंस खेती करने के लिए और भी बढ़ाये जायें, ऐसी इसके अन्दर रिक्वेस्ट है। यदि आज के दिन अफीम का धन्धा प्रोफिटेबल नहीं है तो लाइसेंस की मांग क्यों है ? यदि धन्धा प्रोफिटेबल है तो फिर उसकी कीमत बढ़ाने का प्रश्न क्यों है ? इसलिए मुझे इसमें विरोधाभास दिखता है। इन दोनों चीजों को एक साथ पेश करते हैं तो, मैं समझता हूं इसके पीछे और कोई चीज छिपी हुई हो सकती है।

जहां तक एक्सपोर्ट का प्रश्न है तो किसी भी वस्तु, जिसकी कि पैदावार हमारे यहां हो रही है, की कीमतों को यदि हम बढ़ा देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा या घटेगा ? उसकी तो कीमत गिराने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कीमत बढ़ाने से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा ? इसलिए इसमें भी विरोधाभास दिखायी देता है। अतः या तो संकल्प को नहीं रखने दिया जाय या इसमें संशोधन किया जाय, इसका पहला या दूसरा पार्ट डिलीट किया जाय तभी यह चीज बुद्धिगम्य हो सकती है अन्यथा तो इसमें विरोधाभास मौजूद है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले चेयर से तो आज्ञा ले लीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : चेयर से भी और आप से भी लेनी चाहिये।

सभापति महोदय, मेरे मित्रगण ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, अफीम की खेती के बारे में, इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन यह है...

(व्यवधान)

श्री देवदत्त तिवाडी : हम भी तो आपके मित्र ही हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : आप सभी मित्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहां पर अफीम की खेती की जाती है। मैं जिस जिले से और जिस क्षेत्र से आया हूं, उस क्षेत्र में भी अफीम की खेती होती है। हमारे राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर विशेष रूप से अफीम की खेती की जाती है। वहां की धरती अफीम की खेती के अनुकूल है। खेती की दृष्टि से राजस्थान में कुछ इलाकों ने काफी प्रगति भी की है। किसान काफी लेबर करते हैं। अफीम की खेती में काफी लेबर भी होती है। अफीम की खेती के काश्तकारों को पट्टे दिये जाते हैं इनका सम्बन्ध राजस्थान सरकार से सीधा नहीं होकर केन्द्रीय सरकार से है। केन्द्रीय दफ्तर ही उनको अफीम की खेती करने के पट्टे देती है लेकिन इन पट्टों में भी कई प्रकार की अनियमितताएं बरती जाती हैं। उसके सन्दर्भ में अधिक चर्चा न करते हुए निवेदन करता हूं कि जो पट्टे जिस सीमित दायरे में दिये जाते हैं उससे कई किसान खेती करने से वंचित रह जाते हैं। उनकी धरती में अफीम की खेती यदि हो सकती है और वह धरती अफीम की

(श्री बंशीलाल पटवा)

खेती के अनुकूल अधिक है तो ऐसे किसानों की अधिकाधिक पट्टे देने की जो मांग है, वह पूरी की जाय। अफीम की खेती करने की दृष्टि से इस संकल्प में यह मांग की गयी है कि प्रचुर मात्रा में जो किसान खेती कर सकते हैं, उनकी धरती उसके अनुकूल है तो उनको अधिकाधिक पट्टे दिये जायें।

इसके साथ साथ रहा सवाल भाव के सम्बन्ध में, केवल विचार व्यक्त करने की दृष्टि से, मान्यवर, सदस्यों के द्वारा एक तरफ यह कहा जाय कि यह प्रोफिटेबल धन्धा है इस कारण अफीम की खेती की जाती है और साथ-साथ यह कहा जाय कि इसके भाव भी बढ़ाये जायें तो हालांकि यह बात एक दूसरे के विपरीत है लेकिन इस सन्दर्भ में आपकी सेवा में यह निवेदन है कि प्रोफिट तो मिलता ही है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय भावों को देखते हुए अफीम की खेती करने वाले हमारे किसान को भाव कम क्यों मिलें ? यदि हमारे किसान को भाव ज्यादा मिलेगा तो किसान का विकास होगा। भारत किसानों का देश है, गावों का देश है, कृषकों का देश है। कृषक प्रचुर मात्रा मे मेहनत करके, परिश्रम करके और सब कुछ दांव पर लगाकर के अफीम की खेती करता है इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय भावों की दृष्टि से इसके उत्पादन के भाव बढ़ाये जायें। साथ ही साथ अफीम की खेती जिस धरती पर करते हैं वह धरती अफीम की खेती के अनुकूल है तो उनको अधिकाधिक पट्टे दिये जायें। साथ ही केन्द्र सरकार अफीम की खेती करने के लिये जो पट्टे जारी करती है उनके नियमों का भी सरलीकरण करें। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, भीलवाड़ा जिले से उसमें भी अफीम की खेती की दृष्टि से धरती काफी अनुकूल है। तो इस संकल्प के द्वारा मेरा आपकी सेवा में निवेदन है कि इस संकल्प को पारित करके केन्द्र सरकार से निवेदन किया जाये ताकि किसानों को खेती करने की स्वतन्त्रता दी जाय और उनको मांग के अनुसार अधिकाधिक पट्टे दिये जायें। साथ ही जो अफीम खरीदी जाती है, उसके भी भाव बढ़ाये जायें ताकि किसानों को ज्यादा लाभ हो और किसान अपना विकास कर सकें।

इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, पांच मिनट ...

(व्यवधान)

यह सही है कि अफीम के उत्पादकों को उसका पूरा उत्पादन मूल्य नहीं मिल रहा है, मेरा निवेदन है कि देश में दो प्रकार का सोना है, एक पीला सोना और एक काला सोना। यह जो काला सोना है इससे देश को निश्चित रूप से बड़ी धनराशि, विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। मेरा निवेदन है कि विशेष रूप से राजस्थान और मध्यप्रदेश के जिन गांवों में अफीम का उत्पादन होता है वह बहुत बड़ी तादाद में होता है। केवल ये दो ही ऐसे प्रदेश हैं मध्यप्रदेश और राजस्थान जहां अफीम का उत्पादन होता है। यह सही है कि हम अगर मैसूर की खान बन्द कर दें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। मध्यप्रदेश और राजस्थान का किसान जिस प्रकार से बड़ा श्रम करके, कठोर मेहनत करके और सब प्रकार के नुकसानों को भोगने के बाद

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अफीम का उत्पादन करता है, अफीम की फसल करके देश की सेवा करता है किन्तु उसका वास्तविक मूल्य उस किसान को नहीं मिलता। अफीम उत्पादन के बाद उत्पादक को जहां डेढ़ सौ, दो सौ रुपया मात्र मिलता है, वहां सरकार उसी अफीम को विदेशों में भेजकर हजार डेढ़ हजार रुपया प्राप्त करती है। तथा सारा प्रोफिट कमाती है। तो मेरा निवेदन है कि जब सरकार स्वयं विदेशों में भेज कर इतना प्रोफिट कमाती है तो यह आवश्यक है कि किसानों को भी कम से कम उचित कीमत मिले। इसलिए आज जो डेढ़ सौ दो सौ रुपये के बीच में कीमत मिलती है उस कीमत को अधिक बढ़ा कर किसान की जो श्रम साध्य खेती है उस खेती का सही मुआवजा और मूल्य उसको प्राप्त हो इसके लिए आज यह प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजें कि राजस्थान के किसानों को अफीम की खेती का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको सही मूल्य मिले ताकि राजस्थान के किसान की माली हालत अच्छी हो। वह सही है कि अफीम की खेती करने में बहुत कठिनाई होती है, यह बहुत श्रम साध्य है। अफीम की खेती जो किसान करता है वह इस बात से निश्चित नहीं रहता है कि यह फसल उसको मिल ही सकेगी। कई बार फसल किसान के मुंह में आई हुई चली जाती है, उस किसान के हाथ से निकल जाती है। डोडे के अन्दर दूध होते हुए भी जब दूध निकालने का मौका आता है तो कई दफा दूध सूख जाता है और फसल समाप्त प्राय: हो जाती है। मेरा निवेदन है कि अफीम की खेती बहुत महंगी है, इसकी बहुत महंगी प्रक्रिया है। मेरा निवेदन है कि आज इस सदन के द्वारा प्रस्ताव पास करा कर केन्द्रीय सरकार से निवेदन करें कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के किसानों को अफीम की कीमत सही सही नहीं दे रहे हैं वह सही दिलाने की कृपा करें।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदया, कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़ आदि जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनमें अफीम की खेती की जाती है। सभापति महोदया, अफीम की खेती बड़ी नाजुक खेती है। बड़ी मेहनत से अफीम पैदा होती है। कोटा के आसपास के गांवों के किसान अफीम की खेती करते हैं। इन जिलों में किसानों के पास थोड़ी थोड़ी सी जमीन है, टुकड़े-टुकड़े जमीन पर ये अफीम की खेती करते हैं। अफीम की खेती बड़ी मुश्किल से हो पाती है। सभापति महोदया, इसको उगाने में खास तौर से जो सिंचाई होती है वह सिंचाई भी बड़े अवेर के साथ करनी पड़ती है। फिर सिंचाई बड़ी चिन्ता करके करनी पड़ती है। उसके बाद पास में घास उग जाती है उसको भी बड़ी सावधानी से अलग-अलग करके जगह खाली करनी पड़ती है ताकि डोडे दूर-दूर तक अच्छी तरह से उग सकें, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके अलावा डोडों से दूध निकालने का काम है वह भी बड़ा नाजुक होता है। बड़ी मुश्किल के बाद किसान इस फसल को अपने हाथ में ले पाता है। तो एक तरफ तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है जिसमें बड़े मजदूरों की आवश्यकता होती है दूसरी तरफ जो आप खाद वगैरह देते हैं वह भी बड़ी महंगी होती है। उस पर बड़ी कीमत किसान को लगानी पड़ती है। यह फसल प्रकृति पर निर्भर है। इसमें जो फूल हैं वे मुरझा जाते

(श्री हीरालाल आर्य)

हैं। कभी दूध निकालते वक्त उसके अन्दर का जो दूध है वह सही तरह से नहीं निकल पाता है। अक्सर मौसम के अनुसार इसमें खराबी आ जाती है। इस तरह से यह खेती बड़ी महंगी और मेहनत वाली है। इस सब के बावजूद किसान को जो कीमत दी जाती है वह बहुत थोड़ी दी जाती है।

सभापति महोदया, मेरा आपके मार्फत सरकार से निवेदन है कि वह भारत सरकार से निवेदन करें कि जो इसकी कीमत किसानों को मिलती है वह कीमत पर्याप्त मिले, अधिक मिले, अच्छी मिले। किसान को जो पैसा मिलता है वह बहुत कम मिलता है। अफीम का नाम लेते हैं तो वह बड़ा चौंकाने वाला है। इसका जो धन्धा करते हैं उनको गलत धन्धा करना पड़ता है। इसका कारण क्या है, क्यों गलत धन्धा करते हैं? इसके बारे में अपने को विचार करना चाहिए। जब किसान अपनी मेहनत के बाद भी उचित तरीके से कीमत नहीं पाता है तो उसको फिर अपनी मेहनत का पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए गलत धन्धे करने पड़ते हैं और उसको जो नुकसान होने वाला है उससे अपने आपको बचाने के लिए गलत धन्धे करने पड़ते हैं। एक तरफ तो इतनी मेहनत हो और दूसरी तरफ उसको पैसा पर्याप्त नहीं मिले तो इसका अर्थ यह है कि सरकार खुद इस बात के लिए बाध्य करती है किसान को कि जो ज्यादा पैसा उसने खर्च किया है, जितनी मेहनत की है वह इसका पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए वह गलत धन्धा करे। उसको अफीम चुपके से बेचने और गलत धन्धा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सभापति महोदय, किसान को अपनी मेहनत की, अपनी कमाई की वास्तविक कीमत मिल सके और वह गलत धन्धा नहीं करे, इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसको पर्याप्त कीमत दी जानी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार से निवेदन करें कि जो किसान अफीम की खेती करते हैं, उनको जो अफीम की कीमत मिलती है वह बढ़ायी जानी चाहिए।

दूसरी पट्टे देने वाली बात है, अधिक पट्टे मिलने के बजाय पट्टे कम मिलें यह उचित नहीं है। फिर पट्टे भी किस तरह से मिलते हैं? इसमें भी, सभापति महोदय, बड़ा करप्शन होता है। लोगों को बड़ी परेशानी से पट्टे मिलते है। एक ओर तो पर्याप्त पट्टे नहीं मिलते हैं और पट्टे मिलते हैं तो बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। इन सारी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पट्टे मिलें। जब किसान अफीम की खेती करना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं पर्याप्त पट्टे दिये जाते हैं। मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि भारत सरकार से यह निवेदन किया जाय कि जो किसान अफीम की खेती करना चाहते हैं उनको उनकी इच्छा के अनुसार पट्टे दिये जावें और कीमत में बढ़ोतरी हो।

इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : उत्तर देंगी, मंत्री महोदया। एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। श्री ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदया, अफीम की खेती बड़ी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कठिनाई से होती है और बहुत मेहनत के बाद उसकी कीमत जो कुछ भी किसान को मिलती है वह तो अलग बात है किन्तु सरकार किसान को अपनी इच्छा के अनुसार खेती करने की स्वीकृति देने में भी कठिनाई महसूस करती है। इसी के कारण किसान के मन में काफी असंतोष है। मेरे इलाके में चार पांच वर्ष तक पंचायत समिति द्वारा निरन्तर प्रयास करने के बाद और उसके बाद मेरे द्वारा काफी प्रयत्न करने के बाद कुछ लोगों को अफीम की खेती करने की स्वीकृति दी गई। उससे आस-पास के गांवों में अफीम की खेती करने का उत्साह बढ़ा। किन्तु काफी प्रयत्नों के बाद भी किसानों को और नए गांवों को खेती का विस्तार करने के लिए स्वीकृति नहीं मिलती है। इसलिए, सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार को, माननीय कृषि मंत्री महोदय को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां-जहां किसान इसके लिए स्वीकृति चाहते हैं उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। खेती करने की इजाजत उसकी मर्जी पर होनी चाहिये। उसमें बाधा उपस्थित नहीं हो, इस बारे में मेरा निवेदन है।

इसके साथ-साथ किसानों के सामने यह भी समस्या है कि किसानों को स्वीकृति लेने के लिये अपने गांव से काफी दूर जाना पड़ता है। इससे, सभापति महोदय, मेरा निकट से संबंध है। उन्हें लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार भी चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के कई जिलों में काफी बड़े हिस्से में अफीम की खेती होती है इसलिये राज्य सरकार को भारत सरकार से बात करनी चाहिये ताकि अफीम की स्वीकृति किसानों को अधिक से अधिक मिल सके। जहाजपुर तहसील में 40-50 गांवों में हर साल किसानों को अफीम की खेती करने के लिये स्वीकृति देते हैं। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किसानों को स्वीकृति मिले और वह तहसील हैडक्वार्टर पर ही मिले। भीलवाड़ा जिले के पास सवाई में छोटे से गांव में मीटिंग बुलाई। थाने पर ठहराने की व्यवस्था की गई लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। मौसम सर्दी का था। रात भर किसान सर्दी में ठिठुरते रहे। इस तरह की व्यवस्था हो कि तहसील हैडक्वार्टर पर ही स्वीकृति मिले तो किसानों को परेशानी नहीं होगी।

यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदया उत्तर देंगी।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में इस वक्त 17412 हैक्टेयर में अफीम की खेती होती है। राजस्थान में 4-5 जिले प्रमुख हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, उदयपुर और झालावाड़ प्रमुख तौर से अफीम पैदा करते हैं कुछ और जिलों में भी मामूली सी जगह में अफीम पैदा होती है। इस अफीम की पैदावार के लिये लाइसेंस लेने के दौरान या उसकी बिक्री के दौरान में इस प्रकार की जो मामूली दिक्कतें होती हैं उनके बारे में सरकार को भारत सरकार से बात करने में आपत्ति नहीं है। फिर भी व्यवस्था इस प्रकार से की जाये कि किसानों को लाइसेंस लेने के प्रोसीजर से निकलने में कोई दिक्कत न हो। जहां तक इसके भावों का, पैदावार का

(श्रीमती कमला)

लेने का सवाल है यह सब भारत सरकार के द्वारा ही इंडियन ओपीयम एक्ट, 1939 के तहत रेगुलेट होता है। कितने एरिया में अफीम पैदा करवानी है, क्या भाव रखना है, कैसे खेती करनी है यह सारे का सारा मामला भारत सरकार से संबंधित है। वैसे तो अफीम के भाव भी इस समय में बहुत रेज कर रहे हैं लेकिन किसानों को अनाज पैदा करना चाहिये। अफीम की जरूरत किस काम के लिये कितनी होगी, कितने क्षेत्र में कितनी अफीम पैदा करवानी है यह सारा रेगुलेट भारत सरकार से होता है। इसलिये भाव बढ़ाने का सवाल जहां तक है भारत के जितने और भी प्रोड्यूसर हैं उनके हिसाब से ही भारत सरकार भाव तय करती है और उसी हिसाब से लाइसेंस इश्यू करती है। राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र में यह कहीं भी नहीं आता सिवाय इसके कि डे-टू-डे कोई परेशानी किसानों को आ रही हो वह परेशानी नहीं हो और किसानों को सुविधाजनक ढंग से लाइसेंस उपलब्ध हो जाय, इस बारे में जरूर राज्य सरकार बात करेगी।

श्री सभापति : क्या प्रस्तावकर्ता बोलेंगे ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि इसका राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों में अफीम की खेती होती है उनका संबंध राज्य सरकार से है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में भारत सरकार को सिफारिश करें कि इसका मूल्य बढ़ाया जाय, इसके लाइसेंस अधिक से अधिक दिये जायं और नये किसानों को भी इसकी खेती करने के लिये लाइसेंस दिये जायं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने प्रस्ताव बना करके कम से कम केन्द्र सरकार को सुझाव भेजे कि किसानों को लाइसेंस नहीं मिलते हैं, अच्छा मूल्य नहीं मिलता है। यह तो प्रस्ताव सरकार भेज सकती है।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : मैंने निवेदन किया कि यह जिस प्रकार की वस्तु है यह कितनी पैदा करने की इजाजत दी जाय और किस प्रकार से इसका मूल्य निर्धारित करना चाहिये यह कोई जौ, गेहूं वाली बात तो है नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर ली जाय। यह जिस प्रकार की चीज है इसको रेगूलेट करने की जरूरत है। रेगुलेशन के अन्तर्गत ही पैदावार संभव है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के झालावाड़ जिले में अफीम की खेती होती है। यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो इस बारे में जन आन्दोलन होगा और जो आप अपने को किसानों की सरकार कहते हैं, गरीबों की सरकार कहते हैं आपको उन किसानों का एक भी वोट नहीं मिलेगा, यह मेरा चेलेन्ज है।

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, जिस भाषा में माननीय सदस्य बोल रहे हैं उससे तो यह नजर आता है कि अगर आप चोरी, डकैती करने की इजाजत नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। भगवान करे चोरों, डकैतों के वोट आपको ही मिलते रहें और बाकी के हम को मिलते रहें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : जो चोरी करते हैं उनको आप पकड़े लेकिन किसान, मेरा मतलब जो गरीब है···

श्रीमती कमला : जितने क्षेत्र में अफीम पैदा होती है उतने क्षेत्र में जौ, गेहूं दूसरी वस्तुएं पैदा हो सकती हैं, जो हानिकारक नहीं हैं। अफीम का उपयोग नहीं है उसको पैदा करने वाले लोगों को मोबिलाइज करके आप आन्दोलन करना चाहते हैं। एक विशेष उपयोग के लिये अफीम पैदा कराई जाती है। आप जबरदस्ती अफीम अधिक खेती करके अधिक पैदा करवाना चाहते है और आप चैलेंज करते हैं तो करिये आन्दोलन, अफीम खाइये और खिलाइये।

श्री बालचन्द आर्यवीर : यह कहने का मेरा मतलब नहीं है। आप झालावाड़ में चल कर प्रत्यक्ष में देखें, किसानों से बात करें तो आपको पता चलेगा। आपने जवाब दिया कि आप चोरी करवाना चाहते हैं, डकैती करवाना चाहते हैं इसका मतलब तो यह है कि एक तरफ तो आप अपने को किसानों की हिमायती सरकार कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों को चोर, डकैत कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया। अब क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : वापिस नहीं लेंगे।

एक माननीय सदस्य : ये प्रेस करना चाहते हैं वोटिंग के लिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो जीतमल जैन और बालचन्द आर्यवीर ने प्रस्ताव रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्रीमती कमला : Noes have it,

श्री भैरोंसिह शेखावत : Ayes have it.

श्रीमती कमला : Noes have it,

(मतदान सूचक घंटी)

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री जीतमल जैन, श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य विधान सभा ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकृत किया गया।

तीर्थ स्थलों में भूमि कर

श्री अनंग कुमार जैन अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"इस सदन की यह राय है कि तीर्थ स्थलों पर किसी भी प्रकार का यात्री कर नहीं लगाया जाना चाहिए अतः सरकार द्वारा इस विषय में सम्बन्धित नगरपालिकाओं या पंचायती राज संस्थाओं को वांछित अनुदेश दिये जाये तथा यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित कानूनों में संशोधन किया जावे।"

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करती हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

परिचालित संकल्प व सदन में प्रस्तुत संकल्प में भिन्नता

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदया, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसमें यात्री कर के बारे में कहा गया है परन्तु जो वि रित किया गया है उसमें भूमि कर है। मेरा निवेदन है कि ओरिजनल को मंगवा कर देखा जाए कि सही क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यात्री कर ही है।

श्री गोविन्दसिंह : इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसमें भूमि कर छपा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूमि कर नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मेरी मांग है कि ओरिजनल मगवा कर देखा जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, शायद टाइप की भूल हो गई है। ओरिजनल में हाथ से काट कर लिखा हुआ है।

श्री सभापति : ओरिजनल मंगवा लिया जाए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उसको मगवाने से क्या होगा ? हमारे पास तो यह आया है।

श्री सभापति : वह टाइप किया हुआ, सिगनेचर किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है भूमि कर। इस पर इनके सिगनेचर हैं। माननीय सदस्य, इनमें भूमि कर ही है।

श्री भगवानदास शास्त्री : सभापति महोदया, मैं भूमि कर के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रस्ताव आपने नहीं रखा है, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, इस प्रकार के 8 प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं। सात में यात्री कर लिखा हुआ है सिर्फ इसी प्रस्ताव में दुर्भाग्य से भूमि कर लिखा हुआ रह गया। इसमें संशोधन नहीं हो पाया। इसमें गलती से भूमि कर रह गया इसलिए इसको यात्री कर लिखा हुआ मान लिया जाए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदया, जो भी प्रस्ताव आए थे उन पर बैलट डाले गये हैं। जो प्रस्ताव आया है वही डिस्कस किया जा सकता है। दूसरा प्रस्ताव एडमिसिबल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति : क्या आप भूमि कर पर बोलेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलना ही पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है सदन की सम्पत्ति विपक्ष के नेता महोदय के पास है। कृपा करके वापस लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सदन की ही है। यह सदन की सम्पत्ति ही है।

सभापति महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अनंग कुमार जैन ने प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव की भूमिका प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कोई भी तीर्थ स्थान हो उसमें खास तौर से देखा गया है कि राज्य सरकार, नगरपालिका, नगरपरिषद्, जिला परिषद्, पंचायत समिति अथवा पंचायत द्वारा किसी प्रकार के भूमि कर नहीं लगाये जायें। अब हमें विचार करना होगा कि तीर्थ स्थान किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के टैक्स लगाये जाते हैं। टैक्स लगाने का अधिकार किसको होना चाहिए। इस टैक्स लगाने के कारण से उस क्षेत्र का डवलपमेंट होगा। यह बड़ा क्वेश्चन है। इस पर थोड़ा बहुत विचार कर लें।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने मूव करते मगर कुछ नहीं कहा है। विरोधी दल के नेता महोदय क्या पुनः इसको मूव कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं।

श्री शिवराम शर्मा (वनीराकं) : भूमि कर के बारे में बोलें।

श्री दिनेश राय डांगी (देसूरी) : विपक्ष के नेता महोदय का समर्थन में बोलना शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री सभापति : (1) If a resolution, has been moved any member may, subject to the rules relating to resolution, move an amendment to the resolution.

(2) If notice of such amendment has not been given one day previous to the day on which the resolution is moved, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदया, आपको याद होगा, एक बार जब आप सदन की सदस्या थीं तो इसी प्रकार का प्रश्न आया था और आपने बड़े जोर से इसकी वकालत की थी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो आपत्ति की गयी है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गलती रह गयी है।

श्री सभापति : मैंने कभी ऐसा सवाल नहीं उठाया है। आपको याद है परन्तु मुझे कतई याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अर्ज कर रहा हूं, याद रहने और नहीं रहने का सवाल ऐसा है, यह वूमैन के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे पूरी सहानुभूति है आपके साथ में···

श्री सभापति : मुझे भी आपके साथ पूरी सहानुभूति है। मुझे भी माननीय सदस्य के साथ पूरी सहानुभूति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोथ आफ उस एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखेंगे तो काम चल जाएगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो अमेंड मेण्ड किया गया है, इसको अलाउ नहीं किया जाये।

(व्यवधान)

मैं रख दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अर्ज करूं। अमेण्डमेण्ड आपने स्वीकार कर लिया।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदया, आप भूमि कर पर बोलना चाहते हैं।

श्री भवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है, मैं रूलिंग की ओर दुबारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं–

"After a resolution, has been moved any member may subject to the rules relating to resolution move an amendment to the resolution."

अब यहां प्रस्ताव तो प्रस्तुत हो गया है। देखिये, एक शर्त तो पूरी हो गई दूसरे अमेंडमेंट भी प्रस्तुत हो गया।

(व्यवधान)

I am in the possession of the House. I am holding ovar.

(व्यवधान)

अब रूल 112 (2) देखें

(2) "If a notice of such amendment has not been given one day previous to the day on which the resolution is moved any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved.

अभी जो स्थिति है, वह यह है कि प्रस्ताव सदन के सामने आ गया अमेण्डमेण्ट आ गया और एक माननीय सदस्य ने उस पर आपत्ति भी कर दी है। अब डिस्क्रिशन आप का है। यदि आप चाहें तो इस अमेण्डमेंट पर आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती हैं। आपत्ति इतनी ही है कि एक दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया। समय से पहले अर्थात् एक दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। वह नहीं दिया गया This is the only objection सभापति महोदया, आपका ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब जो अमेण्डमेण्ट आपके सामने है वह क्या अमेण्डमेण्ट है। अमेण्डमेण्ट यह है कि मूल प्रस्ताव में जो "भूमि कर" है, वह न पढ़ कर "यात्री कर" पढ़ा जावे। मूल भावना जो प्रस्तावक महोदय की है, प्रस्तावक महोदय ने भी यही निवेदन किया है कि इन स्थानों को यात्री कर से मुक्त किया जाये। जैसा कि हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने भी इंगित किया है कि जो प्रस्ताव दिये गये थे, उनमें से केवल एक काशी में छोड़ कर शेष सभी में यात्री कर लिखा हुआ है। तो यह मोर ओर लैस टेक्निकल मिस्टेक है। ऐसी परिस्थिति में जब आपके सामने यह अमेण्डमेण्ट है, आपको यह अधिकार है कि अमेण्डमेण्ट टाइम पर नहीं दिया गया है, उस समय की जो सीमा है, उसको वेव करना है आपको। और कोई आब्जेक्शन नहीं है इसमें। आप जो अनुमति देंगी उसमें केवल इतना लेटीट्यूड देंगी यह अमेन्डमेन्ट टाइम पर पेश नहीं किया गया। यह अब सदन के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समक्ष विचारार्थ है। मेरा यह निवेदन है कि मूल भावना को देखते हुए जो माननीय सदस्य ने अमेण्डमेण्ट मूव किया है केवल उसको यह कहकर टाला न जावे कि समय पर इन्होंने नहीं दिया है। राजस्थान के जो धार्मिक स्थान हैं, जहां हजारों यात्री जाते हैं उनको यात्री कर से मुक्त किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : केवल कहने वाली बात है। मेरा इतना ही निवेदन है, सभापति महोदय, यह देवस्थान पर यात्री कर पर बहस करना चाहते हैं जब कि मूल प्रश्न यह है कि प्रस्ताव भूमि कर दिया है।

(व्यवधान)

हमें आपत्ति है। यात्री कर की बात है तो अलग से ला सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, यह गाइडेंस आप दें तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न यह है कि जो प्राइवेट मेम्बर बिल माननीय सदस्य ने दिया उस पर बैलट किया गया। उस बैलट में जो प्रस्ताव सामने आया, उसमें "भूमि कर" शब्द लिखा था यही प्रस्ताव सरकार के सामने गया। आज जब संशोधन लाये। यह संशोधन वाली बात है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी तीर्थ स्थान पर भूमि कर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में सरकार को उसकी फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन भी जानने की बात आती है। जो अमेण्डमेन्ट इस प्रकार करना चाहते हैं ऐसा इस वक्त कोई संशोधन लाना उचित नहीं है माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी ग्राह्यता तय करते वक्त में मूल बात जो प्रस्ताव में माननीय सदस्य ने रखी है उस पर विचार किया गया। आज चाहे इनकी भावना कुछ भी हो। दुबारा प्रस्ताव वह ला सकते हैं, दूसरे प्राइवेट मेम्बर्स डे में एडमिट करने वाली बात तो समझ में आती है लेकिन जहां तक इस वक्त में इस प्रस्ताव का सवाल है, मैं यह मानता हूं कि एडमिसिबल नहीं है। इसको एडमिट नहीं किया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदया, एक जानकारी मैं करना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री अनंगकुमार ने जो प्रस्ताव रखा है, वह रखा हुआ तो है। मूव तो कर ही दिया है, यह तो आप मानते हैं।

एक माननीय सदस्य : उसमें कोई विवाद नहीं, संकल्प तो प्रस्तुत हो चुका।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उसमें यात्री कर पढ़ा है। इस पर हमारा एतराज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं मेरा क्वेश्चन सीधा आपसे नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदया से जानकारी करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, वह मूव्ड माना जाये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : नहीं, नहीं। नहीं साहब। सभापति महोदय, मेरा एतराज यह है कि उन्होंने प्रस्ताव ही गलत पढ़ा है। यही मैंने एतराज किया है कि इन्होंने जो प्रस्ताव पढ़ा है, वह गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलती उस समय रखते। तो मुझे भी प्रस्ताव · · ·

(व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय मंत्री महोदय, आप मिस कर गये। आप मेरी सुनिये। आप मिस इसलिए कर गये कि मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ तो इसका मतलब यह है कि आलरेडी मूव्ड है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

आपने भूमि कर का समर्थन करने की बात कही है।

एक माननीय सदस्य : ये यात्री कर और भूमि कर में फर्क ही नहीं समझते।

श्री शिवचरण माथुर : जैसे ही आप समर्थन करने के लिए खड़े हुए हमने एतराज किया है। मूल बात इसकी एडमिसिबिलिटी पर है। इस प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी का सवाल यह है . . .

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल लें।

श्री शिवचरण माथुर : आपने प्रस्ताव में भूमि कर कहा है जब कि आप यात्री कर के नाम पर संशोधन कराना चाहते हैं, इस वक्त करना चाहते हैं। इस वक्त में कितना ग्राह्य है, कितना एडमिसिबल है। यह प्रश्न डिसाइड करने का है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: सभापति महोदया, प्रश्न यह है कि इसकी जो प्रक्रिया है, प्राइवेट मेम्बर्स रिजोल्यूशन की उसको खा गये। वह भूमि कर के बारे में है, यात्री कर के बारे में या किसी और कर के बारे में नहीं है। अमेन्डमेंट टाइम में पेश नहीं किया गया है।

श्री सभापति : अमेन्डमेंट भूमि कर के उपर पेश किया गया है। यह यात्री कर होना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, यह किस समय पेश हुआ ? नियम यह है कि एक रोज पहले पेश होना चाहिए। चूंकि यह समय पर पेश नहीं हुआ है, इसलिए अमेण्डमेंट गलत है। इस पर विचार हो नहीं सकता है। मेरा आब्जेक्शन यह है। यह सवाल जा चुका है।

श्री सभापति : बता दिया है। यह नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, प्रश्न यह है कि मूव किया है। इस समय सदन के सामने विचारार्थ क्या चीज है। विचारार्थ है सदन के सामने श्री अनंग कुमार का प्रस्ताव।

एक माननीय सदस्य : यह गलत पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बात नहीं है।

श्री सभापति : वह प्रस्ताव है अगर, तो वह भूमि कर का है यात्री कर का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, सभापति महोदया, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, यह संकल्प लिखित में पेश किया है।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव पढ़ कर प्रस्तुत किया है वह तो मूल में नहीं है। जो मूल है, वह उन्होंने पढ़ा नहीं है इसलिए हाउस के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह तो आपको चुनौती है। आप कहती हैं कि प्रस्ताव है। आपने प्रस्ताव का अनुमोदन करने की अनुमति मुझे दी है प्रस्ताव नहीं होता तो आप मुझे किस प्रकार अनुमति देती ?

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : भूमि कर के प्रस्ताव का समर्थन करने का सवाल ही नहीं होता। जो प्रस्ताव है ही नहीं आज की तारीख में विचारार्थ उसका आप समर्थन करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 112 की ओर दिलाना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप चुप क्यों हो गये। पढ़ कर के सुनाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नियमों में यह प्रावधान है, सभापति महोदया, जो संकल्प विचारार्थ लिया जाये वह सक्यूंलेट होता है। जो सक्यूंलेट हुआ है उससे डिफरेन्ट कैसे पढ़ कर सुना सकते हैं ? मैम्बर ने तो इसकी भाषा ही बदल दी है। इसमें फाइनेंसियल इम्प्लीकेशन का भी सवाल है। इसकी भावना ही बदल दी है। मेरा आसन से निवेदन है कि आसन इस पर अपनी व्यवस्था दे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्था किस बात की दें ? व्यवस्था इस बात की दे रहे हैं कि जो प्रस्ताव भूमि कर के संबंध में मूव किया गया है वह यात्री कर के रूप में मूव किया गया है। आप कहना चाहते हैं कि प्रस्ताव जो सक्यूंलेट किया गया है उसमें लिखा हुआ है भूमि कर और जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पढ़कर के सुनाया है उसमें उन्होंने भूल से भूमि कर के स्थान पर पढ़ दिया यात्री कर····

(व्यवधान)

मैं तो फैक्टस बता रहा हूं। यात्री कर जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपने यह कहा था कि मैं भूमि कर का समर्थन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : विरोधी पक्ष के माननीय नेता, कानून का सहारा लेकर के मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप अपनी योग्यता का सहारा लेकर के हमको दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता भूमि कर के नाम से इसका समर्थन करने के लिये खड़े हुये। लेकिन इस तरह का

(श्रीमती कमला)

प्रस्ताव ही नहीं है। उन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जो असेम्बली से अजेन्डा सक्यूंलेट हुआ है उसमें इस तरह का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। इसलिए जब कोई प्रस्ताव ही नहीं है और कोई प्रस्ताव ही मूव नहीं हुआ जो अजेन्डा में है तो वे समर्थन किसका कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, नया प्रस्ताव तो मूव हो ही नहीं सकता है। इसके लिये तो पूरी प्रक्रिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने यह कहा कि सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि जब सदन में कोई प्रस्ताव ही नहीं था तो आपने मुझे प्रस्ताव का समर्थन करने की अनुमति कैसे दी? तो आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि जब प्रस्ताव ही मूव नहीं हुआ था तो मुझे आपने अनुमति कैसे दी।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैंने यह कहा है कि असेम्बली सेक्रेटेरियट से जो प्रस्ताव सर्क्यूलेट किया गया है वह प्रस्ताव तो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया नहीं और वह एक नया ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने लगे जिसकी इजाजत मिल ही नहीं सकती और आप बिना प्रस्ताव के समर्थन कर ही नहीं सकते। आप प्रस्ताव जो अजेन्डा में है, के बिना प्रस्तुत हुए ही उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़े हो गये। प्रस्ताव प्रस्तुत हो नहीं हुआ तो आप समर्थन किस प्रस्ताव का कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आसन व्यवस्था दे कि जो प्रस्ताव सर्क्यूलेट हुआ है और जो प्रस्ताव बोला गया है वह, वह नहीं है इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। यह आसन की व्यवस्था होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने सारी समस्या का समाधान स्वतः ही कर दिया। अब तो मुझे यह बता दीजिए कि जो प्रस्ताव श्री अनंग कुमारजी ने प्रस्तुत किया है, एक तो आपने माननीय सदस्या को समर्थन करने की अनुमति दे दी और एक मुझे समर्थन करने की इजाजत दे दी····

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, भाषा ही उन्होंने बदल दी। जब प्रस्ताव मूव किया गया था तो मंत्री ने उस पर आपत्ति उठायी कि माननीय सदस्य भूमि कर की जगह यात्री कर बोल रहें हैं। इसके अन्दर भूमि कर लिखा हुआ है। उस बीच में आप खड़े हो गये कि मैं भूमि कर के इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं तो भूमि कर का प्रस्ताव तो मूव ही नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी व्यवस्था नहीं चाहता हूं। मैं तो माननीय सभापति महोदया की व्यवस्था चाहता हूं कि.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो प्रस्ताव सक्यूंलेट हुआ था उसमें लिखा है भूमि कर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं परन्तु माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव पढ़ा है उसमें वे भूमि कर के स्थान पर बोल गये यात्री कर, बोल गये गलती कर दी....

(व्यवधान)

और यात्री कर बोलने के बाद जो प्रस्ताव रखा आपने उस प्रस्ताव, जो हाउस में रखा है, पर मुझे अनुमति दे दी। आप किसको इम्पोर्टेन्स देंगे; जो सक्यूंलेट हुआ है उसको या जो माननीय सदस्य ने हाउस में मूव किया है उसको···

श्री प्रद्युम्न सिंह : सक्यूंलेट हो गया है उसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर सक्यूंलेट हो गया है और वह सदस्य ही नहीं है तो....

श्री प्रद्युम्नसिंह : उसकी भी प्रक्रिया मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"A member may, with the Permission of the speaker, authorise any member, in whose name the same resolution stands lower in the list of business, to move it on his behalf, and the member so authorised may move it accordingly."

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अगर प्रस्ताव करने वाला नहीं है तो वह प्रस्ताव अपने आप ही खतम हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है वह। वह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल आपके और मेरे बीच में नहीं है। सवाल मेरे और सभापति महोदया के बीच में हैं।

(व्यवधान)

पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री संसदीय कार्य) : जो प्राइवेट मेम्बर डे होता है उस पर संकल्प मांगे जाते हैं। उन संकल्पों को जब प्राइवेट मैम्बर्स डे होता है तो लिया जाता है। सभापति महोदय, आपने माननीय सदस्य को संकल्प मूव करने की अनुमति दी थी उसको उन्होंने मूव नहीं किया दूसरा मूव कर दिया। इस तरह वह संकल्प अनमूव्ड है। अगर अनमूव्ड है और मूव नहीं हुआ है तो दूसरा संकल्प मूव किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं···

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : दूसरा संकल्प देने के लिये 15 दिन का नोटिस आवश्यक होता है। 15 दिन का नोटिस है नहीं इसलिये इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमको मालूम है आप वाक आउट करना चाहते हैं, माननीय नेता महोदय। मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो दलील दी है संकल्प को पेश करने के बारे में, वह उचित नहीं है। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह नियमों के विपरीत अमेण्डमेन्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। नया संकल्प तो कर सकते हैं, लेकिन यह नियमों के विपरीत किया जा रहा है। अब यह विचार कर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

निर्णय दें कि सदन इस पर विचार कर सकता है या नहीं, यह ग्रासन से निर्णय दिया जाना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य ने जो संकल्प दिया है तथा माननीय सदस्य ने समर्थन किया है उसी पर ग्रमेण्डमेन्ट पेश किया है।

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता (पाली) : किस चीज का ग्रमेण्डमेन्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदया ने यह कहा कि यह ग्रमेण्डमेन्ट है, इसे मंजूर नहीं कर सकेंगी क्योंकि यह टाइम पर नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या वकील हैं ग्राप भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदया ने कहा, ग्रमेण्डमेन्ट पेश नहीं कर सकते तो ग्रमेण्डमेन्ट किस बात का पेश नहीं कर सकते ग्रर्थात् There is a resolution pending before the House to which it is an amendment. तो यह कहना कि कोई प्रस्ताव नहीं है, उचित नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदया, इस समय सदन के सामने यह उपस्थित है कि बैलट में जो मूल प्रस्ताव ग्राया उसकी भाषा एक है ग्रौर जो प्रस्ताव पेश किया गया उसकी भाषा दूसरी है। क्या ऐसा किया जा सकता है ? मेरा मानना है कि यह नहीं किया जा सकता। मूल प्रस्ताव जो पेश हुग्रा है उस पर माननीय मंत्री जी ने भी ग्राब्जेक्शन कर दिया। मैं ग्रौर ग्राप खड़े हुए उस पर भी ग्राब्जेक्शन कर दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रस्ताव बैलट में ग्राया ग्रौर जो पेश किया गया उसकी भाषा में ग्रन्तर है, इसलिए इसको ग्राह्य करना सम्भव नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा, ग्रासन ने मुझे इजाजत दी ग्रौर मैंने अनुमोदन किया।

(व्यवधान)

उस समय कोई कण्ट्रोवर्सी हाउस में नहीं थी।

(व्यवधान)

कण्ट्रोवर्सी हाउस में उस समय चालू हुई...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ग्राप गलत कह रही हैं, ग्राप खड़ी ही नहीं हुईं।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : ग्राप ग्रसम्बद्ध हैं इससे।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य, इस प्रकार के ग्रल्फाज का प्रयोग नहीं कर सकते। ग्रसभ्य शब्द को एक्सपंज किया जाय सभापति महोदय।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : असभ्य नहीं कहा, अगर आपने सुना है तो अफसोस है।

सुश्री पुष्पा जैन : अगर आसन इजाजत दे तो मुझे कहने का अधिकार है।

माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया उसका मैंने अनुमोदन किया। उस समय कहा गया कि भूमि कर पर बोल सकते हैं, यात्री कर पर नहीं। मैंने अनुमोदन करके बोलना चालू किया, उसके बाद संशोधन पेश किया गया और आसन ने व्यवस्था दी कि संशोधन देरी से लाया गया है इसलिए नामन्जूर किया जाता है, लेकिन मूल प्रस्ताव पेश हो चुका है। आसन की इजाजत से जिसका अनुमोदन हो चुका है लिहाजा अब आसन को तो यह तय करना है कि आसन की अनुमति से प्रस्तुत और अनुमोदित संकल्प पर हम बोल सकते हैं? यदि नहीं, तो फिर प्रस्तुत संकल्प के अनुमोदन की अनुमति क्यों मिली।

श्रीमती कमला : पेश ही नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप फैसला कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे इधर से भी सुनने दीजिए, उसके बाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप व्यवस्था दे दीजिये, यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है।

श्री सभापति : पहले तो आपने कहा कि यह सदन की।

(व्यवधान)

आप चक्कर देने की बात करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति महोदया, मैं गुमराह करने की बात नहीं करूंगा। उन्होंने लोगों को आश्चर्य और चक्कर में डालने की बात की है।

श्री सभापति : तीन बार।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न यह उपस्थित है कि जो प्रस्ताव बैलट में आया और जो सक्यूलेट किया गया, ये जो दो प्रस्ताव हैं उनकी भाषा में अन्तर है, मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी एडमिसिबिलिटी का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक इनका यह कहना है कि मूव कर दिया और कागनिजेन्स ले ली, मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं हुआ। माननीय मन्त्री महोदय ने आब्जेक्शन कर दिया। विरोधी दल के माननीय नेता इसका समर्थन करने के लिये खड़े हुए तब मैंने आब्जेक्शन किया, इसलिए प्रस्ताव पेश ही नहीं हुआ। मैं समझता हूं इसकी एडमिसिबिलिटी का सवाल नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से—

(व्यवधान)

श्री सभापति : समय कम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं विरोधी दल के नेता महोदय का आशय समझ रहा हूं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं—

श्री सभापति : मेरी रूलिंग यह है—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप खड़ी होकर रूलिंग दीजिये।

श्री सभापति : कोई संकल्प उसी रूप में रखा जाना चाहिए जिस रूप में कि वह कार्यसूची में दिया गया हो। यदि संकल्प का प्रस्तावक उसके किसी भाग को उससे हटाना चाहे तो वह सभा के आदेश द्वारा ही ऐसा कर सकता है।

मेरी रूलिंग यह है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अब पांच बज गये हैं।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 11 अगस्त, 1980 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे सोमवार दिनांक 11 अगस्त, 1980 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची)

राजस्थान सागड़ी उन्मूलन अधिनियम, 1961 के तहत डूंगरपुर जिले में मुक्त कराये गये सागड़ियों की सूची

1. लेम्बा । थावरा मीणा
2. मना । रतना मीणा
3. भोगी । मना मीणा
4. नवंबा । मना मीणा
5. कोदरा । हीरा भील
6. मैरिया । नाथिया भील
7. नानजी । हुवजी भील
8. कान्ति । धनजी भील
9. सुखिया । रामा चमार
10. मगनभाई । कोपाभाई भील
11. मणि । मगनभाई भील
12. वालू । मगनभाई भील
13. शक्कू पुत्री । मगनभाई भील
14. मानजी । गोकल मीणा
15. रामा । बाकल्या भील
16. रोहण्या । बाकल्या भील

(18)

परिशिष्ट--2

तारांकित प्रश्न सं 432 की सूची

प्रश्न के भाग 2 से संबंधित सूची

मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मरु प्रसार को रोकने हेतु विभिन्न वन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं:–

1. फार्म फोरेस्ट्री।
2. सिल्वी पेस्टरोल वृक्षारोपण ।
3. जलाऊ लकड़ी व चारे का वृक्षारोपण ।
4. मिश्रित वृक्षारोपण।
5. शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण ।
6. सड़क के किनारे वृक्षारोपण ।
7. रेत के टीबों का स्थिरीकरण ।
8. नर्सरियों की स्थापना ।
9. राजस्थान नहर क्षेत्र में नहर के किनारे वृक्षारोपण व चरागाह विकास। इसके अतिरिक्त सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी मरु के प्रसार को रोके जाने हेतु वन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं:–

(1) नहर के किनारे वृक्षारोपण ।

(2) टीबों का स्थिरीकरण (रेत के टीबे)।

(3) जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण।

(4) सड़क के किनारे वृक्षारोपण ।

119

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

महिला चिकित्सालय राजगढ

438. श्री समर्थलाल (राजगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) महिला चिकित्सालय में पोस्ट-मार्टम स्कीम समाप्त करके ब्यावर भिजवा दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राजगढ़ हॉस्पिटल में रेफरल स्कीम लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

एक अस्पताल में केवल एक पोस्ट पार्टम प्रोग्राम ही स्वीकृत किया जाता है। राजगढ़ में ब्रिटिश एड प्रोग्राम के अन्तर्गत पोस्ट मार्टम् प्रोग्राम की स्वीकृति देने के बाद भारत सरकार द्वारा दूसरी पोस्ट पार्टम की स्कीम को ब्यावर स्थानान्तरण करना आवश्यक हो गया।

(2) जी हां।

छठी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर तथा जन सहयोग से भवन उपलब्ध कराये जाने पर यह स्कीम लागू की जा सकती हैं।

जयपुर निवासियों को पेयजल की व्यवस्था हेतु ईसरदा बांध का निर्माण

439. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर के नागरिकों के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनास नदी पर ईसरदा बांध निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था? यदि हां, तो किस सन् में एवं सर्वेक्षण की क्या रिपोर्ट है?

(2) क्या सरकार ईसरदा बान्ध बनवाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जावेगा?

(3) क्या इस बांध के पानी को पीने के अलावा कृषि भूमि की सिंचाई हेतु भी उपलब्ध कराया जावेगा? यदि हां, तो इस बान्ध से कितनी एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकेगा?

उत्तर

(1) बनास नदी पर ईसरदा बांध का सर्वेक्षण सिंचाई विभाग के अधीन चल रहा है। यह योजना केवल सिंचाई के लिए प्रस्तावित है।

(2) योजना के क्रियान्वयन के विषय में सर्वेक्षण एवं अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर ही सिंचाई विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) अभी योजना के अन्तर्गत बांध का पानी केवल सिंचाई हेतु काम में लिया

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

जाना प्रस्तावित है। इससे 15,000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

किशनगढ़ सब-डिवीजन, सलेमाबाद में ग्रिड-स्टेशन स्थापित करना

441. **श्री केसरीचन्द चौधरी** (किशनगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या किशनगढ़ सब-डिवीजन में 33 के.वी. का कोई ग्रिड स्टेशन सलेमाबाद में स्थापित किया जाने का प्रस्ताव विद्युत्-मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(2) क्या इस 33 के. वी. के स्टेशन के लिए सन् 1979-80 के बजट में विद्युत्-मंडल को साढ़े चार लाख रुपया स्वीकार किया गया था ? क्या इस राशि का सामान बुक किया गया था ?

(3) क्या इस रकम की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई थी ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन की दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसे किसी प्रस्ताव की स्वीकृति विद्युत् मण्डल द्वारा प्रसारित नहीं की गई है।

(2) वर्ष 1979-80 के बजट में शुरू में सलेमाबाद में 33/11 के. वी. के सब-स्टेशन बनाने के लिये 12 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था परन्तु 1979-80 के संशोधित बजट में इस कार्य के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया। सब-स्टेशन के काम आने वाला कोई सामान इस मद में बुक नहीं किया गया था।

(3) जी नहीं, इस कार्य के लिये कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। अतः क्रियान्वयन का प्रश्न नहीं उठता।

जिला झालावाड़ में कुण्डला सड़क का निर्माण कार्य

442. **श्री बाल चन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में निर्माण हेतु कितनी सड़कों पर कार्य चल रहा है ?

(2) कुन्डला सड़क के लिए कितने किलोमीटर के टेन्डर मांगे हैं ? क्या वर्तमान समय में उस सड़क का कार्य चल रहा है ? उस पर कब तक डामर हो जायेगा ?

उत्तर

(1) 16 सड़कों पर कार्य चल रहा है, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) केवल 4 कि.मी. के लिए ही टेन्डर मांगे गये थे। इसके अतिरिक्त और कोई टेण्डर मांगे हुये नहीं हैं।

जी हां, वर्तमान में 1 से 4 कि. मी. पर कार्य चल रहा है तथा इस वित्तीय वर्ष में डामर का कार्य होने की सम्भावना है।

सूची

(वर्ष 1980–81 में)

झालावाड़ जिले में निम्न सड़कों का कार्य निर्माणाधीन/सुधार प्रगति पर है।

1. खानपुर से अकलेरा सड़क सारोला कलां तक (14 कि. मी.)।
2. बांघेरा से हरीगढ़ तक की सड़क।
3. भवानी मण्डी-डग-आगर सड़क (41–5) कि. मी. एवं 18 माइनर सी. डी. वर्क।
4. सुकेत-पीपलिया सड़क 3 कि. मी. व एक पाटली नदी पर पुल निर्माण कार्य।
5. बड़ोदिया एप्रोच सड़क (3–8 कि. मी.)।
6. अकलेरा-मनोहर थाना सड़क का विकास कार्य (29 कि. मी.)।
7. गंगधार से उन्हेल सड़क बी. टी. 12 कि. मी. 12 माइनर सी. डी. वर्क और 1 आर. सी. का खरजा।
8. खानपुर से तारज तक सड़क सारोला कलां होती हुई 10 कि. मी. सड़क 5 कांजवे और 2 छोटी पुलियाएँ।
9. सुनेल लडोदिया बी. टी. सड़क 13 कि. मी.
10. आसलपुर से भालता सड़क जी. टी. 9 कि. मी.
11. भवानी मण्डी-डग-आगर सड़क पर पुल निर्माण कार्य।

माइनिंग सडक

12. लुहाड़िया की ढाणी से कोटा-झालावाड़ सड़क तक 1 कि. मी.।

कृषि उपज मण्डी समिति सड़क

13. पंचपहाड़ से गुराड़िया माना तक सड़क 4 कि. मी.।

अकाल राहत कार्य

14. स्टेट हाईवे 19

इन्द्रगढ़, इटावा, बारां, खानपुर, झालावाड़, भवानीमण्डी, डग, आगर रोड (भवानी मण्डी-डग-आगर पोर्शन 30 कि. मी.)

15. मनोहर थाना से हरनावदा सड़क।
16. मनोहर थाना से राजगढ़ सड़क (जिला सीमा तक)

गडरा रोड में पीने के पानी की व्यवस्था

443. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के गडरारोड में पीने के पानी की सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि गडरारोड गांव में मोटर व डीजल सेट पुराना होने के कारण नल कूप बहुत महीनों तक बन्द रहता है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में आगे क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, गडरा रोड में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है।

(2) जी नहीं, गांव में स्रोत पर अब विद्युत् उपलब्ध है तथा जल वितरण नियमित रूप से हो रहा है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण

444. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त ग्रामों में कौन कौन से धंधों के लिए कौन कौन से गांवों में प्रशिक्षण देने का सरकार ने निर्णय किया है ? यह निर्णय किस आधार पर किया गया ?

(3) इस योजना के तहत बीकानेर जिले में सन् 1979-80 में कुल कितनी राशि व्यय हुई ? वर्ष 1980-81 में इस संबंध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले में वर्ष 79-80 में 406 ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण दिया गया जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन एवं उससे संबंधित कार्य, ग्रामीण दस्तकारी एवं विभिन्न अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। यह योजना केन्द्रीय संचालित है अतः इसका मार्गदर्शन भारत सरकार से प्राप्त होता है और उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है। किसी ग्राम को प्रशिक्षण हेतु चयन नहीं किया है। इन क्षेत्रों के व्यक्तियों का ही चयन किया जाता है।

(3) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर बीकानेर जिले में वर्ष 79-80 में कुल 6.57 लाख की धन राशि व्यय की गयी है इसमें से 1.42 लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय हुआ। वर्ष 80-81 में 10 लाख रु. का प्रावधान रखा है जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम पर 4.96 लाख रु. व्यय होना प्रस्तावित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नसीराबाद क्षेत्र के क्षतिग्रस्त तालाब व बांधों की मरम्मत

445. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नसीराबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कितने तालाब, व बांध गत वर्षा के कारण टूट गये व वह गये और उनमें से कितनों की मरम्मत इस वर्षा से पहले पूर्ण कर ली गई?

उत्तर

गत वर्ष वर्षा के कारण नसीराबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग के आठ तालाब टूट गये थे, जिनकी सूची परिशिष्ट—"क" पर संलग्न है। समस्त टूटे हुए तालाबों की मरम्मत का कार्य इस वर्ष वर्षा से पूर्व पूर्ण करवा दिया गया है।

परिशिष्ट—"क"

गत वर्ष वर्षा में सिंचाई विभाग के टूटे हुए बांध एवं तालाबों की सूची

	तालाब एवं बांध का नाम
1.	कानपुरा टैंक
2.	बलवन्ता टैंक
3.	मबासिया टैंक
4.	भीमसागर तिहारी टैंक
5.	श्री नगर टैंक
6.	बरवाती टैंक सूरजपुरा
7.	बड़ा तालाब रामसागर
8.	जोधा सागर केसरपुर

(124)

कॉमर्स कालेज, कोटा के भवन का निर्माण कार्य

446. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा):–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कॉमर्स कालेज, कोटा के नये भवन के लिये सरकार ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है ?

(2) निर्माणाधीन नये भवन पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(3) क्या अब नये भवन का निर्माण कार्य रुक गया है ?

(4) नया भवन कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) 20 लाख रु. की धनराशि स्वीकृत की है।

(2) दिनांक 30-3-80 तक 4.71 लाख रु. की धनराशि व्यय हो चुकी है।

(3) जी नहीं।

(4) शीघ्र पूरा कराने के प्रयास किये जायेंगे।

श्रीगंगानगर की आवासीय समस्या के समाधान हेतु योजना

447. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर):–क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गंगानगर शहर में गत 15 वर्षों से सरकार या नगर परिषद् द्वारा आवास योजना स्वीकृत नहीं की गई है, जबकि इस अवधि में शहर की आबादी 1.50 लाख तक हो जाने के कारण शहर की आवास समस्या अत्यन्त जटिल हो गई है और मकानों के किराये काफी बढ़ जाने के कारण गरीब तबके को आर्थिक कठिनाई हो रही है ?

(2) क्या सरकार ऐसी स्थिति में निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर आवासीय भू-खण्ड अथवा निर्मित मकान उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) श्री गंगानगर में आवासन बोर्ड द्वारा बनाये जा रहे मकानों के बनने एवम् आवंटन के पश्चात् क्या श्रीगंगानगर की आवास समस्या का निदान पूर्ण रूप से हो जावेगा ? यदि नहीं, तो इस समस्या को हल करने के लिए अन्य क्या योजनायें विचाराधीन हैं ?

(4) आवास समस्या के निराकरण हेतु क्या कृषि भूमि पर बने अनधिकृत मकानों को नियमित करने की भी कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) गंगानगर शहर में गत 15 वर्षों में निम्नांकित आवास योजनाएं स्वीकृत की गई थीं:–

(क) जवाहर नगर
(ख) स्लम क्लीयरेन्स योजना
(ग) केदार बस्ती

इसके अनुसार समस्या को हल करने की कार्यवाही की जा रही है।

(नगर आयोजना मंत्री)

(2) प्रश्न सं. (1) के उत्तर में वर्णित योजनाओं में इस वर्ग को भूमि या भूखण्ड आवंटित करने का प्रावधान है।

(3) आवास समस्या को हल करने के लिये और भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(4) कृषि भूमि पर बने हुए अनधिकृत मकानों को नियमित करने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अन्तर्गत हो सकती है। अतः जो मामले इसके अन्तर्गत आयेंगे, वे ही नियमित हो सकेंगे।

देसूरी-नाडोल-रानी-केनपुरा सड़क का राष्ट्रीयकरण

448. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में ऐसे अनेक मार्ग हैं जिन पर डामर की हुई सड़कें हैं ? यदि हां, तो ऐसे मार्गों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

(2) यदि पाली से रानी व आगे जाने वाले यात्रियों की सुविधा की दृष्टि में देसूरी-नाडोल-रानी-केनपुरा (पाली-सुमेरपुर) सड़क के राष्ट्रीयकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली जिले के समस्त बड़े मार्ग जो पूर्णतः डामर किये हुये हैं, राष्ट्रीयकृत हैं। जो छोटे मार्ग अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं किये गये हैं उनका सर्वेक्षण कराये जाने के पश्चात् ही उन्हें राष्ट्रीयकृत करने पर विचार किया जायेगा।

(2) देसूरी-नाडोल-रानी-केनपुरा मार्ग का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, सर्वेक्षण के पश्चात् ही राष्ट्रीयकरण की योजना बनाया जाना सम्भव होगा।

जिला बूंदी के उपक्षेत्र गरमपुरा-नयापुरा में पेयजल व्यवस्था

449. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लाखेरी, जिला बूंदी के उपक्षेत्र गरमपुरा-नयापुरा में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा जल प्रदाय योजना तैयार की गई थी ? यदि हां, तो योजना का कार्य कब से प्रारम्भ किया जावेगा, कितनी धन राशि व्यय की जावेगी और इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे ?

उत्तर

जी हां। लाखेरी नगर के उपक्षेत्र की गरमपुरा एवं नयापुरा बस्तियों में अभी पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था हेतु 1.60 लाख रु. की एक योजना विचाराधीन है जिसको धन की उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वित किया जाना सम्भव होगा। इस योजना से लगभग 9,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। जिसमें सीमेंट फैक्ट्री के भी कुछ कर्मचारी सम्मिलित हैं।

टी. सी. आई. द्वारा जिला चूरू में आयोजित पशु चारा के शिविर

450. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने चूरू जिले में अकाल-राहत कार्यों के अन्तर्गत पशु चारा के शिविर लगा रखे हैं ?

(2) क्या इन शिविरों पर असामाजिक तत्वों ने कई बार हमले किये हैं, जिनकी पुलिस को रिपोर्ट की गई है ?

(3) इन रिपोर्ट्स के आधार पर कितने मुकदमे किस प्रकार की प्रकृति के दर्ज किये गये हैं तथा अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केवल दो बार हमलों की रिपोर्ट पुलिस में प्राप्त हुई है।

(3) दो अभियोग दर्ज हुए हैं जिनमें से अभियोग संख्या 27 धारा 147, 148, 149, 341, 323 ता. हि. दिनांक 18-6-80 थाना रतन नगर में पांच मुलजिमों का चालान दिनांक 15-7-80 को पेश अदालत किया गया है। दूसरा मुकदमा नं. 80 धारा 382, 147, 323 ता. हि. दिनांक 21-6-80 थाना रतनगढ़ में दर्ज हुआ है जिसका अनुसंधान जारी है।

बांसवाड़ा क्षेत्र में खोदे गये ट्यूब-वैल्स

451. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर):—क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 1 मई, 1980 से 31 मई, 1980 के बीच विभाग ने कितने ट्यूब-वैल कहां-कहां पर खोदे हैं ?-सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इन ट्यूब वैल्स की स्वीकृति सम्बन्धित अधिकारी से ली गई ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिकारी से ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में इस अवधि में 12 ग्रामों में 29 नलकूप खोदे गये जिनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां चार ग्रामों हेतु उप सचिव जन जाति क्षेत्र विकास विभाग एवं आठ ग्रामों हेतु सहायता आयुक्त एवं शासन सचिव द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक के बारे में विवरण संलग्न सूची में है।

सूची

बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थानों की सूची जहां 1 मई, 80 से 31 मई, 80 तक ट्यूब-वैल खोदे गये

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड सं.	ट्यूब-वैल सं.	प्रशासनिक स्वीकृति एवं अधिकारी	विभागीय स्वीकृति एवं अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	बांसवाड़ा	बाड़ खम्बोर	270	3	एफ.1 (एफ) (8) टी ए डी/79–80 दिनांक 13-8-79 (उप सचिव ट्राइबल क्षेत्र विभाग)	एफ. 9 (19) पी एच/ई/डी/पीएल/79-80/3213 से 45 दि. 21-8-79 (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय)
2.	,,	डावरी कलां	287	2	,,	,,
3.	,,	भूतपुरा	271	2	,,	,,
4.	,,	बाजेरा चारपिटा	296	2	,,	,,
5.	गढ़ी	अखेराज का गढ़	44	2	एफ 4(33) स.अ. जल/पी एच ई डी/79-80/2485–2500 दि. 21-1-80 (सहायता आयुक्त एवं शासन सचिव)	एफ. 9 (19) पी एच ई डी/पीएल/79-80/6971 90 दिनांक 28-1-80 (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मु.)
6.	,,	दायना	39	3	,,	,,
7.	,,	कोटारा छोटा	23	1	,,	,,
8.	,,	नदियाड़ा	132	4	,,	,,
9.	,,	आमरन्द	163	4	—	एफ. 42/पीएचडी II/फेमिन बजट/79-80/4268-70 दिनांक 26-2-80 (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय)

1	2	3	4	5	6	7
10.	गढ़ी	सारहनपुरा	122	1	–	एफ/42/पी/एच/डी।। फेमिनबजट79-80। 4268-70 दिनांक 26-2-80 (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय)
11.	,,	बाजाखेड़ा	41	1	–	,,
12.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	4	4	–	एफ.9(64)पी/एच/ई. डी. /पी. एल./ 80-81/ 1875-1925 दिनांक 31-7-80 (मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, राज., जयपुर ।)

पीपलिया-कलां में मातृ शिशु कल्याण चिकित्सालय खोलना

452. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलियां कलां, जिला पाली में मातृ-शिशु कल्याण योजना प्रस्तावित या स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसके लिए भवन निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा एवं महिला डाक्टर की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपलियां कलां, जिला पाली में कार्यरत प्रसूति सुविधा का विस्तार किये जाने के लिये राजस्थान रूरल डवलपमेंट सोसायटी जयपुर द्वारा प्रसूति विंग निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया है। उक्त सोसायटी ग्राम पंचायत के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना में भवन निर्माण करायेगी। अतः निर्माण कब तक पूर्ण होगा कहना संभव नहीं है। इस कार्य हेतु अलग से महिला डाक्टर की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र के प्रभारी के पद पर उपलब्ध होने पर महिला डाक्टर ही लगाने का प्रावधान है।

(129)

परिशिष्ट--4

तारांकित प्रश्न संख्या 436 का विवरण

प्रश्न एक के गांव की सूची

1. क्षेत्रीय योजना बुगाला
2. पंम्प एवं टैंक योजना संगासी
3. ,, ,, मंडासी
4. ,, ,, डाबली
5. ,, ,, डूंगलोद
6. ,, ,, परस रामपुरा
7. ,, ,, झझारू
8. ,, ,, बसवा
9. ,, ,, खेरोड़
10. ,, ,, चिराना
11. परम्परागत स्रोत डूमरा
12. ,, ,, पवाना
13. ,, ,, केसू
14. ,, ,, बाई
15. ,, ,, चेतासी
16. ,, ,, विरोत
17. ,, ,, टोंक चेलासी

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 366 की सूची)

जिला चित्तौड़गढ़ में विद्युतीकृत ग्रामों का तहसील एवं वर्षवार ब्यौरा

क.सं.	तहसील	31-3-72 तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	वर्ष 72-73 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	73-74 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	74-75 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	75-76 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	76-77 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	77-78 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	78-79 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	79-80 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	31-3-80 तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
1.	गंगरार	8	–	–	–	9	25	2	8	–	58
2.	बेगूं	40	6	–	4	10	44	38	21	19	179
3.	कपासन	12	4	4	16	21	17	12	34	22	142
4.	राश्मी	11	2	1	12	10	–	–	2	–	38
5.	चित्तौड़गढ़	39	2	–	3	–	4	8	35	32	123
6.	निम्बाहेड़ा	39	25	1	3	5	–	4	29	2	10[illegible]
7.	भादेसर	19	–	3	1	–	1	2	–	8	34
8.	छोटीसादड़ी	21	13	–	1	–	1	2	2	8	48
9.	बड़ीसादड़ी	19	10	2	–	–	–	7	–	–	38
9.	प्रतापगढ़	26	5	10	28	6	10	1	1	13	100
11.	डूंगला	10	–	–	–	–	–	–	1	2	13
	कुल योग	244	67	21	68	61	102	76	133	109	881

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 368 की सूची)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य आदेश के पूर्ण होने की तिथि	विभागीय कार्यवाही कार्य पूर्ण कराने के लिए	सम्भावित तिथि कार्य पूर्ण होने की	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	
1.	लिंक रोड लूनी-बांध का निर्माण	मै. मदनसिंह देवी लाल मालपुरा	18-2-79	13-2-80	सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने बावत वैधानिक नोटिस एवं पत्रादि दिए जा चुके हैं	3/81	
2.	लिंक रोड बनेठा-सूथड़ा रोड़	मै. बनास इन्टर प्राईजेज टौंक	12-4-79	11-2-80	,,	3/81	
3.	उनियारा नैनवा रोड	मैं. गोपाल लाल सुरेश कुमार उनियारा	6-3-79	5-1-80	,,	3/81	
4.	धूली धाड़ रोड	मै. मदनसिंह देवीलाल मालपुरा	22-3-79	21-11-79	,,	3/81	
5.	निर्माण कार्य सोप रोड	श्री बंजरंगलाल श्रीमाल निवाई	12-8-78	11-8-79	,,	3/81	
6.	उनियारा खुर्द टू देवल वाया छारली रोड	मै. त्रिलोक चन्द सोमानी, अजमेर	6-7-78	11-1-79	,,	3/81	

1	2	3	4	5	6	7
7.	पचेवर दूदू मालपुरा रोड़	मै. त्रिलोक चन्द सोमानी अजमेर	12-7-78	11-1-79	सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने बाबत वैधानिक नोटिस एवं पत्रावि दिये जा चुके हैं	3/81
8.	पपेवर-नगर रोड़ (ग्राम आवला टू नगर)	मै. यूनाईटेड कान्ट्रेक्टर्स, मालपुरा	30-3-79	29-12-79	,,	3/81
9.	हमीरपुर टू बिराना रोड	श्री वंजरगलाल श्रीमाल निवाई	,,	29-11-79	,,	इस कार्य को ठेकेदार द्वारा नहीं करने के कारण कार्य निरस्त करने बाबत आवश्यक कार्यवाही भी की है

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 379 की सूची)

तहसील पाली जिला, पाली

क्र.सं.	मु. नं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	कार्यवाही आदेश	
1	2	3	4	5	
1.	82/79	श्री चुना/उम्मेद कुमार	बुधवाड़ा	नोटिस देकर बेदखल किया जाकर जुर्माना आरोपित किया गया। जु.रु.	97.50
2	46/79	,, माना/मना कुम्हार	,,	जु. रु.	97.50
3.	197/79	,, हरिसिंह/केशरसिंह रा. गुडाना रखो	,,	,,	58.50
4.	86/79	,, ओगड/वीरमसिंहजी सोनाइ मोजी	,,	,,	37.50
5.	87/79	,, वेना/कुपापुखा ,,	,,	,,	37.50
6.	88/79	,, चिमना/नगिंग फोरवी ,,	,,	,,	37.50
7.	89/79	,, धना/उमा कलाल ,,	,,	,,	75.00
8.	90/79	,, नेवा/आदा सीरवी ,,	,,	,,	37.50
9.	91/79	,, माला/मोती सरगरा ,,	,,	,,	37.50
10.	92/79	,, गमना/डाया सीरवी ,,	,,	,,	37.50
11.	95/79	,, रूपा/रावत राजपूत श्री ,, रामा/उम्मेदसाद मोपत/ धूता राजपूतगांग/बाला राजपूत	,,	,,	200.00
12.	93/79	श्री पुर्खा/मेगा सिरवी ,,	,,	,,	37.50
13.	94/79	,, नगा/कसा सिरवी ,,	,,	,,	37.50
14.	540/80	,, बरदा/दरगा सीरवी बूसी	,,	,,	82.50
15.	533/80	,, चूना/कुपा कुमार ,,	,,	,,	88.50
16.	534/80	,, मोटा/केनो ,,	,,	,,	88.50
17.	539/80	,, मूल सिंह/लक्ष्मणसिंह ,,	,,	,,	88.50
18.	541/80	,, नारसिंह/नवलसिंह रा. ,,	,,	,,	112.50
19.	531/80	,, भेरा/हीरा सिरवी ,,	,,	,,	73.50
20.	530/80	,, हुंसीया/पेमा सिरवी ,,	,,	,,	150.00
21.	532/80	,, पका/केसा, देवा/ समा सिरवी सांपुरी	,,	,,	88.50

(134)

1	2	3	4	5	
22.	538/80	श्री बिरा/राजा सिरवी	बूसी	नोटिस देकर बेदखल किया जाकर जुर्माना आरोपित किया गया जु. रु.	69.00
23.	529/80	,, तेजा/उमा सिरवी	,,		82.50
24.	528/80	,, बन/गोरधन सिरवी	,,		67.50
25.	535/80	,, किसना/मना सिरवी श्री राजा/वीरसिंह सिरवी	,,	,, ,,	118.50
26.	537/80	,, अचला/पना कुमार बूसी	,,	,, जु. रु.	172.50
27.	18/77	,, अब्दुल बहाव/अजीम खाँ	,,	,, ,,	--
		,, भैरूदास/मोतीदास वैष्णव पाली		,, ,,	300.00
28.	19/77	,, सकूर/नाथू लुहार	,,	,, ,,	350.90
29.	20/77	,, मांवू/हाजी उस्मान श्री यासन खां/गफूर खां पठान,,		,, ,,	ड्रोप
30.	21/77	,, अहसान अली/लाल मो.	,,	,, ,,	250.00
31.	96/77	,, लाल मोम्मद/दीन मो.	,,	,, ,,	1800.00
32.	22/77	,, लालाराम/पना सरकगरा	,,	,, ,,	530.00
33.	98/79	,, यासीन जारखा मुसलमान	,,	,, ,,	1800.00
34.	100/79	,, जसराज/मांगीलाल कुमार	,,	,, ,,	1800.00
35.	101/79	,, लाला/पना सरगरा	,,	,, ,,	1800.00
36.	6/80	,, शेर/भीरमल वगैरह	,,	,, ,,	--
37.	7/78	,, धर्मा चन्द वगैहरा	,,	भूमि काबिज किया गया।	80.00

तहसील खारची जिला पाली

1	2	3	4	5		
1.	43/77	श्री पुखिया/लाला कुमार	गादाणा	बेदखल	जु. रु.	100.00
2.	42/77	,, कूपा/जैसा, स्वरूप पि. मोटा सीरवी	चाटेलाव	,,	,,	400.00
3.	59/77	,, चुतुरभुज/नैना कुमार	जोजावर	,,	,,	50.00
4.	60/77	,, पाजिया/आगेड कुमार	,,	,,	,,	50.00
5.	61/77	,, केसा/पेमा कुमार	,,	,,	,,	50.00
6.	62/77	,, नथीया/गोमा कुमार	,,	,,	,,	50.00
7.	61/78	,, गोपी सिह/रणछोड सिंह	भाण्डा	,,	,,	25.00
8.	133/78	,, मुखिया घीसा कुमार	राणावास	,,	,,	500.00
9.	137/78	,, मोती/पुखा कुमार	,,	,,	,,	500 00
10.	138/78	,, हाजी/किसना कुमार	,,	,,	,,	500.00
11.	136/78	,, पुखा/नवला	,,	,,	,,	500.00
12.	135/78	,, बाजू/आमा	,,	,,	,,	250.00
13.	134/78	,, खूमा/पुखा कुमार	,,	,,	,,	500.00
14.	149/78	,, मंगना/हमका	गुडालवा	,,	,,	100.00
15.	154/78	,, कनिया/भगा	,,	,,	,,	100.00
16.	161/78	,, करता/भता	,,	,,	,,	100.00
17.	157/78	,, घनामना पि. पुरा सीरवी	,,	,,	,,	50.00
18.	151/76	,, भेरा/घना	गुडा केसरसिंह	,,	,,	50.00
19.	140/78	,, राजीया/मोती	गोदावास	,,	,,	300.00
20.	146/78	,, राजिया/मोती	,,	,,	,,	500 00
21.	145/78	,, दूदा/ओगा	,,	,,	,,	500.00
22.	144/78	,, टीकम/मेना कुमार	,,	,,	,,	500.00
23.	143/78	,, पुखा/बाला	,,	,,	,,	500.00
24.	142/78	,, मोती/चेना कुमार	,,	,,	,,	500.00
25.	141/78	,, उरा/किशना कुमार	मोदावास	,,	,,	500.00
26.	176/78	,, मोटा/इन्दा पि. रतन	आंगदोष	,,	,,	75.00
27.	166/78	,, देवा/मगना कुमार	रडावास	,,	,,	30.00
28.	165/78	,, पुखिया/उमा कुमार	,,	,,	,,	100.00
29.	164/78	,, नैना/दला	,,	,,	,,	80.00
30	174/78	श्री घनिया/संगार	गुढ़ा रामसिंह	,,	,,	80.00
31.	163/78	,, पुखा/शेरा	रड़ावास	,,	,,	80.00

1	2	3	4		5	
32.	162/78	श्री धनिया/पुखा	रड़ावास	बेदखल	जु. रु.	80.00
33.	175/78	,, संगार/दला	गुढ़ारामसिंह	,,	,,	80.00
34.	173/78	,, सुजा/खगार	,,	,,	,,	30 00
35.	172/78	,, मोटा/नेना सीरवी	श्रांगदोष	,,	,,	25.00
36.	171/78	,, भेरा/जीवा कुमार	,,	,,	,,	25.00
37.	170/78	,, पुखा/लाच्छा	,,	,,	,,	25.00
38.	169/78	,, डरगा/बुद्धा कुमार	,,	,,	,,	40.00
39.	168/78	,, पुजिया/खोमा	गुड़ावास	,,	,,	200.00
40.	167/78	,, सोनी की पत्नी पुखा	,,	,,	,,	50.00
41.	147/78	,, श्रोगड़/नेना कुमार	गुड़ा केसरसिंह	,,	,,	50.00
42.	135/78	,, नेना/धुनाजी वगैरा	भीमालिया	,,	,,	150.00
43.	89/79	,, मांगीया/पका कुमार	धनला	,,	,,	ड्रोप
44.	90/79	,, घीसा/जगाकुमार	,,	,,	,,	—
45.	91/79	,, नथा/कूमा कुमार	ड्रोप	ड्रोप	ड्रोप	ड्रोप
46.	92/79	,, हीरका/मूला कुमार	,,	,,	,,	—
47.	93/79	,, ढ़ारिया/श्रादा	,,	,,	,,	—
48.	94/79	,, रामा/पना कुमार	,,	,,	,,	—
49.	95/79	,, खुशिया/मूल	,,	,,	,,	—
50.	96/79	,, पुखिया/कला वगैरा	,,	,,	,,	—
51.	87/79	,, नथिया/छोगा कुमार	,,	,,	,,	—
52.	98/79	,, श्रमा/पना कुमार	,,	,,	,,	—
53.	99/79	,, तारी/धील	,,	,,	,,	—
54.	124/80	,, नेना/नथा वगैरा	मुसालिया	बेदखल	जु.	1000.00
55.	125/80	,, भोला/काता कुमार	,,	–	ड्रोप	—
56.	139/80	,, भोला/नथा सीरवी	गंगा अणावा	बेदखल	जु.	100.00
57.	140/80	,, दाणा/वीरमा वगैरा	,,	,,	,,	150.00

तहसील सोजत जिला पाली

1.	श्री जस्सा पुत्र पन्ना राम कुम्हार	सोजत रोड़	कार्यवाही विचाराधीन है।
2.	श्री घीसाराम/भानाराम	"	"
3.	श्री नारायण/जयदेव मोदी	"	"
4.	श्री मोहनलाल/जयदेव मोदी	"	"
5.	श्री कानाराम/डायाराम	"	"
6.	श्री कूनाराम/सेराराम	"	"
7.	श्री डकडा राम/सावल राम	"	"
8.	श्री त्रिलोक राम पुत्र कानाराम	"	"
9.	श्री मगा, धना, जोगा, लालू, मांगीया, सोरवी	"	"

तहसील देसूरी जिला पाली

1.	6/78 श्री पेमा/हुकमा सीरवी	डायलानाकसी	कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।
2.	2/78 श्री गोमा/चेला वगैरा	"	"
3.	5/78 श्री दीपा/नेमा कुमार	"	"
4.	4/78 श्री ओटा/देवा वगैरा	"	"
5.	3/78 श्री ओगड/रामा कुमार	"	"

तहसील बाली जिला पाली

1.	1/80 श्री मगा/छतरा माली	बेड़ा	कार्यवाही विचाराधीन है।

(138)

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 380 का विवरण)

वर्ष वार विकास योजनाओं पर हुए व्यय की सूचना

विकास मद	योजनान्तर्गत व्यय (लाख रुपये)		
	1977–78	1978–79	1979–80
1. कृषि एवं संबंधित	493.02	629.07	822 63
2. सहकारिता	34.87	22.52	31.51
3. जल विद्युत् विकास	583.14	1915.79	2296.55
4. उद्योग एवं खनन	14.84	148.42	119.19
5. परिवहन एवं संचार	97.54	212.84	156.60
6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	246.93	353.01	358.46
7. आर्थिक सेवाएं	0.88	0.58	1.08
8. सामान्य सेवाएं	25.96	46.36	29.13
	1497.18	3328.59	3815.15

ह./–
अतिरिक्त आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।